आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
के
महत्वपूर्ण शासनादेशों
का संकलन

(जनवरी 2004 से दिसम्बर 2004)

आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

COMPLIMENTARY COPY

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

के

महत्वपूर्ण शासनादेशों
का संकलन

(जनवरी 2004 से दिसम्बर 2004)

आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

प्राक्कथन

जनसंख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि तथा ग्रामीण आबादी के नगरों की ओर पलायन के फलस्वरूप आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त आवास की व्यवस्था शासन के लिए चुनौती है। इस सम्बन्ध में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास हेतु उत्तरदायी विकास प्राधिकरणो तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा अनेकों आवासीय योजनाएं विकसित की जा रही हैं। इन आवासीय योजनाओं के सम्पत्ति प्रबन्धन, अनाधिकृत निर्माण शमन, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित हाईटेक टाउनशिप, मानचित्र स्वीकृति एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण आदि के सम्बन्ध में उ.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2004 में अनेक महत्वपूर्ण नीति विषयक शासनादेश जारी किये गये हैं।

प्रस्तुत संकलन में उपरोक्त कार्यक्रमों तथा नीतिगत सुधारों के सम्बन्ध में जारी महत्वपूर्ण शासनादेशों को संकलित किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह संकलन आवास सेक्टर से सम्बन्धित नीतियों, कार्यक्रमों एवं महत्वपूर्ण सुधारों की जानकारी उपलब्ध कराने में सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक संस्थाओं/विभागों, आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों तथा आवास निर्माण में कार्यरत निजी निर्माणकर्ताओं, सहकारी आवास समितियों तथा वास्तुविदों के साथ साथ जन सामान्य के लिए उपयोगी होगा।

(के. एल. मीना)

सचिव

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक	पृष्ठ सं.
1.	**सम्पत्ति प्रबन्धन**			**1–58**
1.1	भूमि अर्जन के प्रतिकर के प्रकरणों में प्रतिकर वृद्धि से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में दाखिल की गई रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय के दि. 05.03.04 को प्राधिकरण के पक्ष में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।	सं.1519/9–आ–3–2004–68एल.ए./2004	09 जून, 04	01
1.2	भूमि अर्जन के प्रतिकर के प्रकरणों में प्रतिकर वृद्धि से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में दाखिल की गई रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय के दि.05.03.04 को प्राधिकरण के पक्ष में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।	सं. 3715/9–आ–3–2004–68एल.ए./2004	14 अक्टूबर, 04	06
1.3	भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही समाहित किये बिना अनाधिकृत रूप से भूमि का कब्जा लेना न्याय एवं विधि विरुद्ध होने के सम्बन्ध में	सं. 4717/9–आ–3–2004–143एल.ए./2004	10 नवम्बर, 04	08
1.4	भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2003 का राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 3308/9–आ–3–2004–87एल.ए./2004	14 सितम्बर, 04	11
1.5	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों (रजिस्ट्री दस्तावेजों) पर संयुक्त सचिव/ओ.एस.डी. अथवा उनके समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 3024/9–आ–1–04–131 एल.ए./04	01 जुलाई, 04	47
1.6	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों/परिवारों की आय सीमा के निर्धारण के उपरान्त लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 2734/9–आ–1–04–51 विविध/04	20 जुलाई, 04	49

1.7	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माह अगस्त एवं सितम्बर, 2003 में जल्दबाजी में किये गये भूखण्डों के आवंटन को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।	सं.3527/9-आ-1-04-8(32)/04	22 जुलाई, 04	51
1.8	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा सृजित अचल सम्पत्तियों का पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से अन्तरण की अवधि दिनांक 31.12.04 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 1066/9-आ-1-2004-19जीडीए/04	13 सितम्बर, 04	52
1.9	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित कालोनियों का हस्तांतरण सम्बन्धित निकायों यथा नगर निगम/नगर पालिका को किये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 4815/9-आ-1-04-52विविध/04	02 नवम्बर, 04	53
1.10	विभिन्न पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा पेट्रोल पम्प उपलब्ध कराये जाने की नीति को सरलीकृत किये जाने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।	सं. 5408/आठ-1-04-316 एल.डी.ए./04	31 दिसम्बर, 04	55
1.11	कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गुटैया योजना संख्या-07 के ब्लाक-एल. के भूखण्ड संख्या-02 जिसे लक्ष्मण बाग सम्पत्ति कहा गया है, जो जे.के. मिल्स कम्पनी लि. को त्रुटिपूर्ण विधि. विरुद्ध नामांतरण फ्री-होल्ड की कार्यवाही को रिवाईज किये जाने के सम्बन्ध में	सं. 4976/9-आ-1-04-30 के.डी.ए./04टी.सी.-2	30 सितम्बर, 04	56
1.12	कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गुटैया योजना संख्या-07 के ब्लाक एल. के भूखण्ड संख्या-02 जिसे लक्ष्मण बाग सम्पत्ति कहा गया है, को जे.के मिल्स कम्पनी लि. के प्रकरण में पूर्व उपाध्यक्ष के आदेशों को रिवाइज करने के सम्बन्धी सुनवाई	सं. 5696/8-1-04-30 के.डी.ए./04 टी.सी.-3	17 नवम्बर, 04	57
1.13	कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गुटैया योजना संख्या-07 के ब्लाक-एल. के भूखण्ड संख्या-02 (लक्ष्मण बाग) की भूमि नामान्तरण/फ्री होल्ड के सम्बन्ध में तत्कालीन उपाध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई में उपेक्षित सूचना/अभिलेख/रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु अधिकारियों का नामांकन।	सं. 5750/आठ-1-04-30के.डी.ए./04	09 नवम्बर, 04	58

1.7	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माह अगस्त एवं सितम्बर, 2003 में जल्दबाजी में किये गये भूखण्डों के आवंटन को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।	सं.3527/9-आ-1-04-8(32)/04	22 जुलाई, 04	51
1.8	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा सृजित अचल सम्पत्तियों का पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से अन्तरण की अवधि दिनांक 31.12.04 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 1066/9-आ-1-2004-19जीडीए /04	13 सितम्बर, 04	52
1.9	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित कालोनियों का हस्तांतरण सम्बन्धित निकायों यथा नगर निगम/नगर पालिका को किये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 4815/9-आ-1-04-52विविध/ 04	02 नवम्बर, 04	53
1.10	विभिन्न पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा पेट्रोल पम्प उपलब्ध कराये जाने की नीति को सरलीकृत किये जाने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।	सं. 5408/आठ-1-04-316 एल.डी.ए./04	31 दिसम्बर, 04	55
1.11	कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गुटैया योजना संख्या-07 के ब्लाक-एल. के भूखण्ड संख्या-02 जिसे लक्ष्मण बाग सम्पत्ति कहा गया है, जो जे.के. मिल्स कम्पनी लि. को त्रुटिपूर्ण विधि. विरुद्ध नामांतरण फ्री-होल्ड की कार्यवाही को रिवाईज किये जाने के सम्बन्ध में	सं. 4976/9-आ-1-04-30 के.डी.ए./ 04टी.सी.-2	30 सितम्बर, 04	56
1.12	कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गुटैया योजना संख्या-07 के ब्लाक एल. के भूखण्ड संख्या-02 जिसे लक्ष्मण बाग सम्पत्ति कहा गया है, को जे.के मिल्स कम्पनी लि. के प्रकरण में पूर्व उपाध्यक्ष के आदेशों को रिवाइज करने के सम्बन्धी सुनवाई	सं. 5696/8-1-04-30 के.डी.ए./04 टी.सी.-3	17 नवम्बर, 04	57
1.13	कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गुटैया योजना संख्या-07 के ब्लाक-एल. के भूखण्ड संख्या-02 (लक्ष्मण बाग) की भूमि नामान्तरण/फ्री होल्ड के सम्बन्ध में तत्कालीन उपाध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई में उपेक्षित सूचना/अभिलेख/रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु अधिकारियों का नामांकन।	सं. 5750/आठ-1-04-30के.डी.ए. /04	09 नवम्बर, 04	58

2.	**नजूल भूमि प्रबन्धन**			**59–62**
2.1	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पट्टागत नजूल भूमि पर अवस्थित राजकीय कार्यालयों के पक्ष में नजूल भूमि का आवंटन निःशुल्क किया जाना।	सं. 1688/आठ–4–2004–152 एन./2000	14 अक्टूबर, 04	61
3.	**महायोजनायें**			**63–70**
3.1	महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में	सं. 1941/9–आ–3–2003–62रिट/2003	28 जून, 04	65
3.2	सम्भल महायोजना, 2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं. 2043/9–आ–3–2004–4महा/2003	16 अगस्त, 04	66
3.3	मऊनाथ भंजन महायोजना, 2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं. 351/9–आ–3–2004–2 महा/2004	17 अगस्त, 04	67
3.4	आगरा महायोजना,2021 पर शासन की अनुमोदन/स्वीकृति	सं. 2350/9–आ–3–04–6महा/2003	20 अगस्त, 04	68
3.5	सिकन्दराबाद महायोजना, 2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं. 3030/9–आ–3–2004–17महा/2003	15 सितम्बर, 04	69
3.6	झांसी महायोजना, 2021 पर शासन की अनुमोदन/स्वीकृति	सं. 5091/9–आ–3–2004–11महा/2000 टी.सी.	20 दिसम्बर, 04	70
4.	**जोनिंग रेगुलेशन्स**			**71–74**
4.1	लखनऊ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 543/9–आ–3–2004–72वि./94(आ.ब.)	03 सितम्बर, 04	73
5.	**भवन निर्माण एवं विकास उपविधि**			**75–84**
5.1	मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के आवश्यक परिष्कार।	सं. 1806/9–आ–3–2004–42वि./99	08 जून, 04	77
5.2	मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों में आवश्यक परिष्कार के सम्बन्ध में।	सं. 3242/9–आ–3–2004–42विविध/97	16 सितम्बर, 04	79
5.3	विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में बेसमेंट, स्टिल्ट. फ्लोर. सेट–बैक तथा निर्मित क्षेत्र में पूर्व विकास/पुनर्निर्माण के मानकों में संशोधन।	सं. 4262/9–आ–1–2004–29विविध/98(आ.ब.)	28 अगस्त, 04	80

2.	**नजूल भूमि प्रबन्धन**			**59–62**
2.1	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पट्टागत नजूल भूमि पर अवस्थित राजकीय कार्यालयों के पक्ष में नजूल भूमि का आवंटन निःशुल्क किया जाना।	सं. 1688/आठ–4–2004–152 एन./2000	14 अक्टूबर, 04	61
3.	**महायोजनायें**			**63–70**
3.1	महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में	सं. 1941/9–आ–3–2003–62रिट/2003	28 जून, 04	65
3.2	सम्भल महायोजना, 2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं. 2043/9–आ–3–2004–4महा/2003	16 अगस्त, 04	66
3.3	मऊनाथ भंजन महायोजना, 2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं. 351/9–आ–3–2004–2 महा/2004	17 अगस्त, 04	67
3.4	आगरा महायोजना,2021 पर शासन की अनुमोदन/स्वीकृति	सं. 2350/9–आ–3–04–6महा/2003	20 अगस्त, 04	68
3.5	सिकन्दराबाद महायोजना, 2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं. 3030/9–आ–3–2004–17महा/2003	15 सितम्बर, 04	69
3.6	झांसी महायोजना, 2021 पर शासन की अनुमोदन/स्वीकृति	सं. 5091/9–आ–3–2004–11महा/2000 टी.सी.	20 दिसम्बर, 04	70
4.	**जोनिंग रेगुलेशन्स**			**71–74**
4.1	लखनऊ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 543/9–आ–3–2004–72वि./94(आ.ब.)	03 सितम्बर, 04	73
5.	**भवन निर्माण एवं विकास उपविधि**			**75–84**
5.1	मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के आवश्यक परिष्कार।	सं. 1806/9–आ–3–2004–42वि./99	08 जून, 04	77
5.2	मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों में आवश्यक परिष्कार के सम्बन्ध में।	सं. 3242/9–आ–3–2004–42विविध/97	16 सितम्बर, 04	79
5.3	विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में बेसमेंट, स्टिल्ट, फ्लोर, सेट–बैक तथा निर्मित क्षेत्र में पूर्व विकास/पुनर्निर्माण के मानकों में संशोधन।	सं. 4262/9–आ–1–2004–29विविध/98(आ.ब.)	28 अगस्त, 04	80

2.	**नजूल भूमि प्रबन्धन**			**59–62**
2.1	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पट्टागत नजूल भूमि पर अवस्थित राजकीय कार्यालयों के पक्ष में नजूल भूमि का आवंटन निःशुल्क किया जाना।	सं. 1688/आठ-4-2004-152 एन./2000	14 अक्टूबर, 04	61
3.	**महायोजनायें**			**63–70**
3.1	महायोजना में अंकित आवासीय भू-उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में	सं. 1941/9-आ-3-2003-62रिट/2003	28 जून, 04	65
3.2	सम्भल महायोजना, 2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं. 2043/9-आ-3-2004-4महा/2003	16 अगस्त, 04	66
3.3	मऊनाथ भंजन महायोजना, 2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं. 351/9-आ-3-2004-2 महा/2004	17 अगस्त, 04	67
3.4	आगरा महायोजना,2021 पर शासन की अनुमोदन/स्वीकृति	सं. 2350/9-आ-3-04-6महा/2003	20 अगस्त, 04	68
3.5	सिकन्दराबाद महायोजना, 2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं. 3030/9-आ-3-2004-17महा/2003	15 सितम्बर, 04	69
3.6	झांसी महायोजना, 2021 पर शासन की अनुमोदन/स्वीकृति	सं. 5091/9-आ-3-2004-11महा/2000 टी.सी.	20 दिसम्बर, 04	70
4.	**जोनिंग रेगुलेशन्स**			**71–74**
4.1	लखनऊ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 543/9-आ-3-2004-72वि./94(आ.ब.)	03 सितम्बर, 04	73
5.	**भवन निर्माण एवं विकास उपविधि**			**75–84**
5.1	मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के आवश्यक परिष्कार।	सं. 1806/9-आ-3-2004-42वि./99	08 जून, 04	77
5.2	मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों में आवश्यक परिष्कार के सम्बन्ध में।	सं. 3242/9-आ-3-2004-42विविध/97	16 सितम्बर, 04	79
5.3	विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में बेसमेंट, स्टिल्ट. फ्लोर. सेट-बैक तथा निर्मित क्षेत्र में पूर्व विकास/पुनर्निर्माण के मानकों में संशोधन।	सं. 4262/9-आ-1-2004-29विविध/98(आ.ब.)	28 अगस्त, 04	80

				85–90
6.	अनधिकृत निर्माण शमन			
6.1	रिट याचिका संख्याः 2435(एम/बी)/2001 निशातगंज रेजीडेन्ट्स वेलफेयर सोयाइटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा आदेश दिनांक 20.01.2004 का प्रभावी अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 355/9–आ–3–2004–215 काम्प /2003	29 जनवरी, 04	87
				91–130
7.	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क/फीस निर्धारण, मानचित्र स्वीकृत			
7.1	विकास प्राधिकरणों द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों के सम्बन्ध में।	सं.5449/9–आ–3–2003–65 रिट /2003	14 जनवरी, 04	93
7.2	रजिस्ट्रीकृत निजी निर्माणकर्ता/विकासकर्ता द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित लिखितों पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु अमिहित अधिकारी को नामित किया जाना।	सं. 3557/9–आ–3–2003–57डी.ए. /02	23 जनवरी, 04	94
7.3	भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर लिये जाने वाले अम्बार शुल्क की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।	सं. 3086/9–आ–3–04–163 काम्प /98(टी.सी.)	06 अगस्त, 04	95
7.4	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा सृजित सम्पत्तियों के निबंधन हेतु लिये जाने वाले स्टाम्प शुल्क में छूट की समय–सीमा को विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में	सं. 2764/9–आ–1–2004–57डी.ए. /02	09 सितम्बर, 04	98
7.5	नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति करने की प्रक्रिया सरलीकरण के सम्बन्ध में।	सं. 5516(1)/9–आ–3–2003–23 ए.एन./99	09 जनवरी, 04	101
7.6	विकास प्राधिकरणों द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों के सम्बन्ध में	सं. 347/9–आ–3–2004–65 रिट/ 2003	.23 जनवरी, 04	103
7.7	मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया सरलीकरण के सम्बन्ध में	सं. 4146/8–आ–3–04–38 विविध /97	17 दिसम्बर, 04	104
7.8	रिलाइन्स पेट्रो प्रोडक्ट्स द्वारा खोले जाने वाले आउटलेट्स के भवन मानचित्रों के स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं. 1939/9–आ–3–2004–240 काम्प/01	09 जून, 04	105
7.9	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में औद्योगिक इकाईयों को विकास शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में	सं. 2450/9–आ–3–2003–12 वि. /2004	23 अगस्त, 04	106

7.10	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में औद्योगिक इकाईयों को मलबा शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 3344/9–आ–3–2003–12 वि. /2004	23 अगस्त, 04	107
7.11	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में परम्परागत चिकित्सा पद्धति केन्द्रों की स्थापना हेतु भूखण्डों का आरक्षण/प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में	सं. 3345/9–आ–3–2004–12 वि. /2004	23 अगस्त, 04	108
7.12	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों को अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 3346/9–आ–3–2004–12 वि. /2004	23 अगस्त, 04	109
7.13	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में नगरों की अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य समाज सेवा के कार्यों में अनिवासी भारतीयों का सहयोग प्रदान करने के सम्बन्ध में	सं. 3347/9–आ–3–2004–12वि./ /2004	23 अगस्त, 04	111
7.14	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित हरित पट्टिका भूमि को हरित रखते हुए अन्य उपयोगों यथा–खेल के मैदान, पार्क, समारोहों हेतु पार्क आदि के लिए लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 3348/9–आ–3–2004–12वि./ 2004	23 अगस्त, 04	113
7.15	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में आवंटित औद्योगिक भूखण्डों को अन्य व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने की सुविधा विषयक।	सं. 3349/9–आ–3–2004–12 वि. /2004	23 अगस्त, 04	114
7.16	प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक अस्थानों तथा इन क्षेत्रों के बाहर स्थापित होनी वाली औद्योगिक इकाइयों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।	सं. 3350/9–आ–3–2004–(आ.ब.)	23 अगस्त, 04	115
7.17	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तन के शुल्क का निर्धारण से सम्बन्धित नीति में आंशिक संशोधन।	सं. 3351/9–आ–3–2004–12विविध /2004	23 अगस्त, 04	117
7.18	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में प्रदेश के "कवाल" नगरों में नगरीय	सं. 3352/9–आ–3–2004–12विविध /2004	23 अगस्त, 04	119

	हाट तरीके के बाजारों की स्थापना के सम्बन्ध में		23 अगस्त, 04	121
7.19	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में निजी क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों नर्सिंग होम, हेल्थ क्लब एवं अन्य व्यापारिक औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भूमि का एकमुश्त आवंटन/नीलामी के आधार पर विक्रय।	सं. 3353/9–आ–3–2004–12विविध /2004		
7.20	औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु उद्योगों से सम्बन्धित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में।	सं. 3401/9–आ–3–2004–12विविध /2004	10 सितम्बर, 04	123
7.21	विकास क्षेत्र, विशेष विकास क्षेत्र एवं विनियमित क्षेत्र वाले नगरों की पुनरीक्षित/नई महायोजना तैयार किये जाने में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सं. 3452/9–आ–3–2004–55वि./02	30 अक्टूबर, 04	125
7.22	रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में	सं. 4701/9–आ–3–03–74एल.यू.सी. /2001	16 अक्टूबर, 04	128
8.	**विकास/निर्माण योजनायें**			**131–136**
8.1	राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन के सम्बन्ध में कन्सल्टेन्सी आफर्स एजेन्सी/फर्म के चयन हेतु समिति का गठन	सं. 3634/9–आ–6–04–4(गठन) /2001	04 नवम्बर, 04	133
8.2	राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन के औचित्य, स्वरूप एवं रूपरेखा के निर्धारण हेतु "टास्क फोर्स" के सम्बन्ध में।	सं. 3635/9–आ–6–2004–4(गठन) /2004	04 नवम्बर, 04	134
9.	**वित्तीय प्रबन्धन**			**137–174**
9.1	विनियमित क्षेत्रों के कार्यालयों के अधिष्ठान व्यय के बजट प्राविधान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सम्बन्ध में।	सं. 2546/9–आ–3–2004–42एन. एन/2003	12 अगस्त, 04	139
9.2	वित्तीय प्रबन्धन के आधुनिकीकरण एवं आंतरिक सम्परीक्षाओं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षण समिति का गठन।	सं. 2913/9–आ–1–04–40आडिट /2003	15 सितम्बर, 04	140
9.3	वित्तीय वर्ष 2003–04 व 2004–05 के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय में	सं. 4225/9–आ–1–04–34 बजट/ 96टी.सी.	20 सितम्बर, 04	142

	लेखांकित आंकड़ों से मिलान किया जाना।			
9.4	वित्तीय प्रबन्धन के आधुनिकीकरण एवं आंतरिक सम्परीक्षाओं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति का गठन–संशोधन	सं......./9–आ–2004–40–आडिट/2004	12 अक्टूबर, 04	144
9.5	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों/प्राधिकरणों में कम से कम 10 प्रतिशत आंतरिक लेखा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 4668/9–आ–1–04–40आडिट/04	12 अक्टूबर, 04	146
9.6	वित्तीय वर्ष 2004–05 में अर्जित आय, भूमि अर्जन तथा सबके लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिकरणवार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष माह सितम्बर 04 तक की उपलब्धियां तथा शेष लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मासिक फांट का निर्धारण।	सं.254/9–आ–1–समीक्षा बैठक/519(आ.ब.)	02 नवम्बर, 04	149
9.7	मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट भाषण के दौरान की गई घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 की विभागीय प्राथमिकताओं के लक्ष्यों का निर्धारण एवं कार्यपूर्ति योजना।	सं. 1147/9–आ–1–04 लक्ष्य वि. वर्ष 2004–05 (आ.ब.–2)	08 अप्रैल, 04	159
10.	**कार्मिक प्रबन्धन**			**175–182**
10.1	बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर भारतीय सामाजिक परिवर्तन साहित्य संस्थान एवं संग्रहालय के कार्यसंचालन हेतु निदेशक के अस्थायी फलस्वरूप श्री अजीत कुमार दास, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) की संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति।	सं. सीएम 48/9–आ–1–04–191 एल.डी.ए/03	01 मार्च, 04	177
10.2	बाध्य प्रतीक्षा काल के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में	सं. 1460/9–आ–5–04–65विविध/03	01 जून, 04	178
10.3	विकास प्राधिकरणों में तैनात/कार्यरत अभियंताओं से उनसे उच्च पदों का कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में।	सं. 1454/9–आ–5–04–135 ई./03	30 जुलाई, 04	181
11.	**अवस्थापना सुविधाओं का विकास**			**183–194**
11.1	ग्रीष्म ऋतु में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित कालोनियों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में	सं. 1777/9–आ–1–2004	28 अप्रैल, 04	185
11.2	ग्रीष्म ऋतु में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित कालोनियों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में	सं. 2091/9–आ–1–2004	30 जून, 04	187
11.3	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण के सम्बन्ध में	सं. 261/9–आ–1–सीवेज प्लांट/04/(आ.ब.)	17 नवम्बर, 04	188

			25 अक्टूबर, 04	189
11.4	सीवेज निस्तारण एवं ट्रीटमेंट से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।	सं. 238/9–आ–1–समीक्षा बैठक/519/(आ.ब.)	03 दिसम्बर, 04	190
11.5	कूड़ा निस्तारण तथा सीवरेज ट्रीटमेंट के सम्बन्ध में।	सं. 6265/आठ–1–04–67 बैठक/04	09 जून, 04	192
11.6	रिलायन्स इन्फोकाम लि. द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों (एम.सी.एन.) की स्थापना के सम्बन्ध में।	सं. 1678/9–3–2004–240 काम्प/2001		
12.	**सिस्टम सुधार**		**195–226**	
12.1	प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से सम्बन्धित जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में	सं. 2479/9–आ–1–2004	21 जून, 04	197
12.2	सरकारी भवनों में रूफ–टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन।	सं. 1760/9–आ–1–04–17 विविध/03	29 जुलाई, 04	199
12.3	सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना हेतु मानक उपविधि	सं. 3894/9–आ–1–29 विविध/98 (आ.ब.)	09 अगस्त, 04	201
12.4	प्रदेश में भूजल संचयन एवं रिचार्जिंग की विभिन्न योजनाओं के समन्वय भूजल अनुसंधान, अनवेषण, प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु शासन स्तर पर लघु सिंचाई विभाग को "नोडल विभाग" तथा लघु सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन "भूगर्भ जल निदेशालय" को "नोडल एजेन्सी" घोषित किया जाना।	सं. 1624/62–आ–1–2004–7डब्ल्यू पी./2004 टी.सी.	08 सितम्बर, 04	203
12.5	उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से "हाई–टेक टाउनशिप" विकसित करने के सम्बन्ध में तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन।	सं. 3085/9–आ–1–विविध/2004	05 जून, 04	205
12.6	उत्तर प्रदेश में "हाई–टेक टाउनशिप" विकसित करने के लिए निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन हेतु निर्धारित नीति में आंशिक संशोधन	सं. 2626/9–आ–1–04–34 विविध/03 टी.सी.–1	01 जुलाई, 04	207
12.7	भारत सरकार द्वारा जारी नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम–2000 में व्यवस्थित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु।	सं. 263/9–आ–1–सालिड वेस्ट मैनेजमेंट/2004 (आ.ब.)	24 नवम्बर, 04	209
12.8	बहुखण्डीय आवासीय भवनों में सीवर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित न करने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।	सं. 2726/9–आ–3–04–96 काम्प/2004	05 अगस्त, 04	210
13.	**विविध**		**227–236**	
13.1	मो. कैफ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को निःशुल्क आवास प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में	सं. 1818/9–आ–3–04–76 डीए/04	28 मई, 04	229

13.2	उत्तर प्रदेश, 14वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2002–03) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या प्राक्कलन समिति, विधान सभा, सचिवालय उ.प्र., को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी का नामांकन।	सं. विस–17/9–आ–1–04–4 समिति 04	07 जुलाई, 04	230
13.3	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को आवंटित "दसवीं योजना (2002–07) का मध्यावधि मूल्यांकन" विषयक अध्ययन हेतु वांछित आंकड़े/सूचनायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी का नामांकन	सं. 3697/9–आ–1–04–50विविध /04	17 अगस्त, 04	231
13.4	"सिटी इन्जाइज ऑफ रूरल डेवलपमेंट" विषय पर विश्व पर्यावरण दिवस–2004 मनाये जाने के सम्बन्ध में	सं. भा.स.128/9–आ–1–04–46विविध /04	28 सितम्बर, 04	232
13.5	आर्कीटेक्ट एक्ट 1972 की आवश्यकताओं के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–37–2–250 डी.ए./81 (विकास प्राधिकरण भवन योजना या जल निकास व सीवर योजना तैयार करने के लिए लाइसेंस देने) उपविधि 1984 में संशोधन करने के सम्बन्ध में समिति का गठन।	सं. 1732/9–आ–1–04–46 वि./04	12 अक्टूबर, 04	233
13.6	आर्कीटेक्ट एक्ट 1972 की आवश्यकताओं के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–37–2–250 डी.ए. /81 (विकास प्राधिकरण भवन योजना या जल संभरण, जल निकास व सीवर योजना तैयार करने के लिए लाइसेंस देने) उपविधि 1984 में समिति का गठन।	सं. भा.स. 4179/9–आ–3–04–46 वि./03	20 अक्टूबर, 04	234
13.7	विभागीय निर्णय प्रक्रमों में सांख्यिकीविद की भूमिका के सम्बन्ध में।	सं. भा.सं. 5143/आठ–1–04–108 विविध/04	06 दिसम्बर, 04	235

सम्पत्ति प्रबन्धन

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या : 1519/ 9–आ–3–2004–68 एल ए/2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 09 जून, 2004

विषयः भूमि अर्जन के प्रतिकर के प्रकरणों में प्रतिकर वृद्धि से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा. उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय के दि. 5–3–2004 को प्राधिकरण के पक्ष में दिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

भूमि अर्जन के प्रतिकर के प्रकरणों में, प्रतिकर वृद्धि से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के आदशों के विरुद्ध आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा. उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दि. 5–3–2004 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्णय में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला देते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर वृद्धि से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध विभिन्न रिट याचिकायें मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल की गयी थी। चूंकि प्रतिकर वृद्धि से संबंधित उपर्युक्त प्रकार के वाद प्रदेश के समस्त प्राधिकरणों में चल रहे हैं। अतः समस्त प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि संलग्न वादों में प्रभावी पैरवी/ कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय

जे.एस.मिश्र
सचिव

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHBAD

....

CIVIL SIDE
APPELLATE JURISDICTION

DATE THE ALLAHBAD : 05.03.2004

PRESENT

THE HON' BLE M.KATJU ....JUDGE.

THE HON' BLE TRIPATHI ....JUDGE.

....

....

FIRST APPEAL NO. 981 OF 2002

Agra Development Authority Vs. State of U.P.

CONNECTED WITH

FIRST APPEAL NO. 979 OF 2002

Agra Development Authority Vs. State of U.P.

CONNECTED WITH

FIRST APPEAL NO. 983 OF 2002

Agra Development Authority Vs. State of U.P.

CONNECTED WITH

FIRST APPEAL NO. 980 OF 2002

Agra Development Authority Vs. State of U.P.

CONNECTED WITH

FIRST APPEAL NO. 982 OF 2002

Agra Development Authority Vs. State of U.P.

First appeal against the judgment and decree dated 29.08.2008 passed by Sri N.C. Pushkar, Presiding Officer Nagar Maha Palika Tribunal/Agra Development Authority Tribunal Agra In L.A.Case No. 4 of 1992.

Inre

Agra Development Authority Agra through its Secretary/Vice Chairman.

.... Appellant/Opp.Party.

VERSUS

1. State of U.P. through Collector, Agra
2. Collector, Agra. Opp. Parties
3. Special Land Acquisiton Officer, Agra Resp.
4. Shilpak Sahkari Avas Samiti Ltd. Agra.
5. Sri S.K. Singh son of Sri K.D. Singh, Resident 61, Gwalior Road, Agra.
6. Kisan Karmani son of Sri Mohan Lal Resident 31, Shanti Kunj, Kheriya Morh, Agra.

7. Pawan Kumar son of Sri Murlidhar Verma, Resident of Ram Nagar, Sita Nagar Tahsil Itmadpur, Agra.

8. Smt. Saroj Singh daughter of Dr. Hari dutt Singh, Resident of 83, Khandari Quarter Agra.

9. Subodh Kumar Singh Son of Sri Hari Dutt Singh, Resident of 83, Khandari Quarter Agra.

10. Smt Pushpa Chauhan W/o Sri ------- Singh

Resident of 2/72, Church Road, Agra.

11. Prem Singn son of Sri Umrao Singh, Resident of Pashimpuri Sikindra, Agra.

12. Narendra Singh son of Sri Damodar Prasad, resident Sikindra Tahsil and District Agra.

.... Claimants/Respondets

Cousel for the Petitioner : Sri Ramesh Upadhyay

Sri V.B. Misra.

Cousel for the Respondents : Smt. Sunita Agrawal.

BY THE COURT

In First Appeal No. 982 of 2002 one Ratan Lal was the original tenure holder. Before the award was given by S.L..A.O. the litigation was purchased by Sri P.N. Gupta respondent no. 4 from Ratan Lal for Rs. 12000/- by registered sale deed 30.10.91 The compensation determined by the S.L.A.O.v was Rs. 1,15,060/- which was paid to respondent no.4 P.N. Gupta and the compensation fixed by the court below for the said land is Rs. 6,24,701.47. Thus the above facts show that after paying Rs. 12,000/- P.N. Gupta has already received Rs. 1.15,060/- by S.L.A.O. and now he has been awarded Rs. 6,24,701/- by the court below.

These facts desclose the scandalous state of affairs prevailing in the Disti Courts of the U.P. and it is no wonder that the public is disgusted with this state of affairs which smacks of rampant courruption.

In our opinion all these appeals deserve to be allowed on the short point that a mere right to sue cannot be transferred as it is hit by Section 6 (e) of the Transfer of Property Act. In all these cases the respondents have not purchased any property but only the litigation. which is violative of Section 6(e).

In Ellis. V. Torrington. 1920 (1) KB, 399, it was held that the rule that a bare right to action for damages is not assignable rested on the principle that the law will not recognise any transaction savouring of maintenagnee or champerty. The prohibition in us S.6. (C) is based on grounds of public policy vide (1902) 35 cal 420: 35 Ind App 48 (P.C.)

In Monmatha Nath Dutt V. Matilal Milra, AIR 1932 Cal 719, it was observed

"In this case the question is whether what was assigned was a mere right to sue or property with an icidental remedy for its recovery and consequential benefit. An assignment of a mere right to sue does not convey any property, e.g., if any person out of possession fo immovable property makes an assignment to the effect that the assignee would have a right to sue, without coneryAnd any interest in property, the assignee would not be entitled to maintain any suit for the recovery of property. But it would be otherwise if the property itself is trnsferred"

The same view has been taken in Gangadin V. Piyare, AIR 1929 All 63 and Jagannath V. Kalidas, AIR 1929 Pat 245.

In Ram Dayal vs. Mukat Manohar AIR 1937 Allahabad 317 the Court held that property does not include a mere right to sue for breach fo contract. Hence the right to sue for breach of contract could not be transferred in view of Section 6(e) of the Transfer of Property Act.

In Motilal vs. Radhey Lal AIR 1933 Allahabad 642 the Allahabad High Court held that a claim for unliquidated damage for breach of contract is not an actionable claim within the meaning of Section 3 of the Trancfer of Property Act and hence it cannot be trancferred in wiew of sectin 6 (e).

In Sri Sri Iswar Gopal Jew vs. Globe Theatres Ltd. Air 1947 Cal 200 the Calcutta High Court held that an action for damages in tort is no assignable, and a person cannot bring an action for damages for the tort of trespass committed on the premises. before the becomes the owner thereof.

On the other hand, in Manmatha Nath Mullick vs. Sheikh Hedait Ali, AIR 1932 Privy Council 32 Privy Council held that where what was assigned was not mere right to sue but a claim for a definite sum of money which the lessee was bound by his contract with the lessor to repay it would be an actionable claim to which Section 130 of the Transfer of Property Act applyed and hence Section 6 (e) had no application.

Thus the above decisions show that distinction has been drawn between a mere right to sue and an actionalble elaim. To give an example, if A files suit against B claiming certain property of certain money then f A executes a deed in favour of C transferring all his rights in respect of the litigation before the suit is decided such a conveyance would be invalid being hit by Section 6 (e) of the Transfer Property Act._ However, if the suit of A against B is decreed and after the decree, but before its exccution, A transfers all his rights under the decree to C this conveyance would not be hit by Section 6 (e) vide AIR 1935 Cal. 751, AIR 1955 Madras 165 etc.

Inthe present case we are of the opinion that what has been transferred is a mere right to sue and not any property or an actionable claim.

It is crystal clear that in the present case, the land was not tranferred but merely a right to prusue. the litigation to recover compenstion was transferred. In our opinion, this is clearly prohibited by Section 6 (e) of the T.P. Act and, therefore, the conveyance deeds in favour of the respondents are wholly invalid and they cannot mainatain any claim on their basis.

The land had vested with the government free from all encumbrances when possession of the same was taken as the govemment had invoked the provisions of Section 17 (1) and (4) of the Act. The deed in favour of the contestion respondents were executed long after the date of vesting, and hence the vendors and vendees were fully aware that the land was not being transferred. Hence such transfers are violative of Section 6 (e) of the Transfer of Property Act.

It has been clearly mentioned in the conveyance deed that the land in question has already been acquired by the Agra Develoment Authority and the said authority has also taken possession of the said land and houses have been constructed on it. It has also been mentioned in the conveyance deed that only the right to sue has been sold.

First Appeal No. 981 of 2002 has been filed against the Judgement and order dated 29.8.2002 In that Judgment Issue No. 9 was framed as followe:

"Whether the transferees of the original claimant are entitled to the compensation in place of the original elaimant ? Il so what extent ?

The answer to Issue no.9 a has been given by the court below in the affirmative holding that the right of compensation is a transferarable rights. However in view of the reasons expressed by us above we are of the opinion that the aforesaid issue has not been rightly decided and the correct legal position is that the transferes of the original claimant have no right to get compensation as as a mere right to sue cannot be transferred.

In view of the above it is not neccssary to go into the correctness or otherwise of the finding on issue no.1. which is;

"Whether the compensation given by the S.L.A.O. is not proper. If not what rate is proposed?"

Apart from the above we are also of the opinion that the referances made to the Tribunal constituted

under the Nagar Mahapalika Adhiniyam were not in accordance with law in view of section 59 U.P. Urban Planning and Develoment Act 1973 which states that Chapter XIV of U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam 1959 shall in respect of a development area remained suspended. The Nagar Mahapalika tribunal is constituted under Section 371 of U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, but Section 371 is in chapter XIV and hence it was suspended in view of section 59 of U.P. Urban Planning and Development Act 1973. In fact this has been conceeded in the written submission filed by the answering respondents in para 9. the written submission shall be kept on record.

In view of the impugned judgement are set aside and these appeals are allowed.

Let the Registrar of this Court place copy of this judgment before the Administrative Committee of the High Court for taking appropriate action against the concerned persons and judicial officers who appear to be in collusion. A copy of this order will also be sent by the Registrar General to all District Judges in U.P. who will communicate it to all Judges hearing Land Acquisition References with the warning that collusive orders may lead to disciplinary action.

Dated: 5.3.2004

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या : 3715/ 9—आ—3—2004—68 एल. ए./2004

प्रेषक,

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2004

विषयः भूमि अर्जन के प्रतिकर के प्रकरणों में प्रतिकर वृद्धि से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा. उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय के दि. 5—3—2004 को प्राधिकरण के पक्ष में दिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में समस्त विकास प्राधिकरण को प्रेषित शासनादेश 1519/ 9—आ—3—2004—68 एल. ए./2004 दिनांक 09 जून, 2004 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भूमि अर्जन के प्रकरणों में प्रतिकर वृद्धि से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा. उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी रिट याचिकाओं में आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्णीत, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दि. 5—3—04 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी थी। उक्त निर्णय की प्रति आवास एवं विकास परिषद को संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2. उक्त संबंध में अग्रेतर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 5—3—2004 के विरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिकायें दाखिल की गयी है जिनके विरुद्ध आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिवाद/ प्रभावी पैरवी की जा रही है। चूंकि मा. उच्च न्यायलय के निर्णय दि. 5—3—2004 प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद के हित में है अतः यह उचित है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गयी विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में समस्त प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद पक्षकार बनकर प्रभावी प्रतिवाद करने की कार्यवाही करें। उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण के पत्र की प्रति संलंग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि समस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद के हित में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव।

क्रम संख्या :– 453/D/विधि/2004 दिनांक :– 6.09.2004

प्रेषक,

उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
सचिवालय, बापू भवन,
लखनऊ।

विषय: **<u>प्रथम अपील संख्या 979/2002, 980/2002, 981/2002, 982/2002 एवं 983/2002 मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.03.2004 के विरुद्ध प्रतिपक्षियों द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिकाएं क्रमशः 16211/2004, 7864/2004, 16513/2004, 14042/2004 एवं 16016/2004 योजित करने के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उपर्युक्त पाँचों अपीलें मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2004 द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में निर्णीत हुई हैं जिससे प्राधिकरण को लगभग चार करोड़ रुपये की देयता से राहत मिली है।

उल्लेखनीय है कि मा. उच्च न्यायालय ने उपने उक्त निर्णय में भू–अर्जन के सन्दर्भ वादों के निस्तारण में अवर न्यायालय/न्यायाधिकरण नगर महपालिका, आगरा की संलिप्ता उजागर की गयी है तथा न्यायायिक अधिकारियों तथा व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की गयी है जिसके क्रम में दिनांक 27 व 28 अगस्त, 2004 को मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति डा. वी.एस. चौहान तथा मान. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की द्विसदस्यीय टीम द्वारा आगरा आकर उक्त अनियमितताओं की समीक्षा/जॉच की गयी है।

मा. उच्च न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 05.03.2004 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) शासन द्वारा भी प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को प्रेषित किया गया है तथा उक्त आदेश की प्रति प्रदेश के सभी जिला जजों को भी प्रेषित किये जाने का मा. न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है।

मा. न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध उक्त पाँचों अपीलों में प्रतिवादी गणों द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिकाएं योजित कर एक दूसरे से टैग करायी गयी हैं तथा मा. उच्च न्यायालय उक्त आदेश के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है किन्तु प्राधिकरण के मा. उच्चतम न्यायालय में केविएट दाखिल करके सघन प्रतिवाद के कारण उक्त पाँचों अपीलों में से एक में भी अद्यावधिक स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रधिकरण द्वारा उक्त पाँचों विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में एडवोकेट ऑन रिकार्ड श्री अशोक के. श्रीवास्तव फोन नं 95120–2531918, 2527547 मोबा. नं 09810077424 तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी को इन्गेज करके प्रतिशपथ पत्र तैयार कराया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में शासन से भी अनुरोध है कि वह भी उक्त विशेष अनुज्ञा याचिकाओं स्वयं तथा प्रदेश के विास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद को भी पक्षकार बनने हेतु अपने स्तर से समुचित निर्देश पारित करने का कष्ट करें जिससे मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2004 जो है के आलोक में अपने–अपने प्राधिकरणों के हितों को देखते हूए अपना पक्ष रख सकें।

संलग्नक – यथोपरि मा. उच्च न्यायालय
का आदेश दिन. 05.03.2004

भवदीय

टी.एन. सिंह
उपाध्यक्ष

क्रम संख्या :– 4217/9–आ–3–2004–143 एल.ए/2004

प्रेषक,

एच.एल. गुप्ता
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग – 3

लखनऊः दिनांकः 10 नवम्बर, 2004

विषयः भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही समाहित किये बिना अनाधिकृत रूप से भूमि का कब्जा लेना न्याय एवं विधि विरूद्ध होने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव राजस्व के पत्र दिनांक 03–09–2004 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलंग्नकः यथोक्त।

भवदीय

एच.एल. गुप्ता
विशेष सचिव

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या :– 1433/1–13–2004–18–1 (50)/2004–रा.–13

प्रेषक,

श्री कपिल देव,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/**
   सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **समस्त मण्डलायुक्त/**
   जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग – 13 लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2004

विषयः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (यथा संशोधित 1984) के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित/पूर्ण कार्यवाही समाहित किये बिना अधिकृत रूप से भूमि का कब्जा लेना न्याय एवं विधि विरुद्ध होने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या – 244/1–13/89 राजस्व–13 दिनांक 07 मार्च, 1989, जिसमें बिना भूमि अर्जन, अधिनियम के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही संपादित किये भूमि का कब्जा प्राप्त न किये जाने के निर्देश दिये गये थे एवं क्रमानुसार कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गई थी।

2. इस परिप्रेक्ष्य में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सिविल मिस. रिट याचिका सं.–43908/2002 अमर नाथ शुक्ला बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2004 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कतिपय मामलों में भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 के अंतर्गत बिना भूमि अर्जन की औपचारिक कार्यवाही सम्पादित कराये ही अर्जन निकाय/संबंधित विभागों द्वारा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा ले लिया जा रहा है। जिसके तमाम प्रशासनिक एवं विधिक जटिलतायें उत्पन्न हो रही हैं। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है जैसा कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में अपने निर्णय में अभिलिखित किया गया है।

3. यहाँ यह स्पष्ट करना है कि भूमि के कब्जे का हस्तान्तरण पूर्ण रूप से एक विधिक प्रक्रिया है और यदि उक्त विधिक प्रक्रिया का पूर्णरूप पालन किये बिना ही संबंधित विभाग द्वारा भूमि पर कब्जा ले लिया जाता है तो यह कार्य पूर्णतया अनियमित एवं/विधि विरुद्ध है। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जे को मान्यता नहीं देता है। इस संबंध में मा. उच्च न्यायालय द्वारा अपने उक्त निर्णय दिनांक 7.4.2004 में यही मत प्रतिपादित किया है तथा भविष्य में भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत नियानुसार कार्यवाही सम्पन्न कराने के उपरान्त ही विधिवत कब्जा प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

4. अतएव अनुरोध है कि मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्ण दिनांक 07.04.2004 के तथा विषय प्रसंग में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 07 मार्च 1989 के अनुसार ही नियमानुसार विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय तथा हर हाल में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही संम्पादित कराने के पश्चात् ही विधिक प्रक्रियान्तर्गत भूमि का कब्जा संबंधित विभाग/ अर्जन निकाय द्वारा प्राप्त किया जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये एवं इस संबंध में अधीनस्थों को भी यथात्पयक निर्देश तत्काल जारी किये जाये।

संलंग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

कपिल देव
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्र संख्या–पी.एस. (आर. जी.)/71/2004 दिनांक 22 अप्रैल, 2004 के संदर्भ में।

2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ.प्र.।

3. प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग उ.प्र. शासन को मा. न्यायालय के आदेश 07–4–2004 के क्रम में अन्य अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।

4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव के सूचनार्थ

5. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय उ.प्र. लखनऊ को पूर्वः संदर्भित शासनादेशों एवं मा. न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय दिनांक 07.04.2004 के अनुक्रम में इस निर्देश सहित कि कृपया उक्त के अनुपालन कराये जाने के संबंध में अपने स्तर से भी निर्देश समस्त जिला भूमि अधाप्ति अधिकारियों/वि.भू.अ.अ./उप भू.अ.अ. अधिकारियों एवं अधीनिस्थों को भेजे कि उक्त निर्देशों/आदेशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्तानुसार जारी निर्देश की प्रति एवं शासना देश दिनांक 07 मार्च, 1989

6. जिलाधिकारी, सन्तरविदास नगर भदोही को मा. न्यायालय के सन्दर्भगत निर्णय के संदर्भ में सूचनार्थ/अनुपालन हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

कपिल देव
प्रमुख सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता

क्रम संख्या :– 3308/9–आ–3–2004–87 एल.ए./2004

प्रेषक,

एच.एल. गुप्ता
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ

2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्रधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग – 3 लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2004

विषयः भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारा के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2003 का राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में प्रमुख सचिव, राजस्व के पत्र दिनांक 10–8–2004 के साथ संलग्न भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 को प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

एच.एल. गुप्ता
विशेष सचिव

संख्या :— 1321/1—13 2004 — 20 (29)/2004 रा. 13

प्रेषक,

श्री कपिल देव,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव**/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2. **समस्त विभागाध्यक्ष,** उ. प्र. शासन।

2. **समस्त मण्डलायुक्त**/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग — 13

लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2004

विषय: भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति—2003 (एन.पी.आर.आर.—2003) को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति—2003 (एन.पी.आर.आर. —2003) जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग—1 खण्ड—1 में दिनांक 17 फरवरी, 2004 को अधिसूचित/प्रख्यापित की गयी है, की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की उक्त पुनस्थापित एवं पुर्नवास नीति, 2003 को अधोलिखित संशोधन के साथ अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार है

1. भारत सरकार की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2003 भूमि अर्जन अधिनियम — 1894 के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में प्रभावित परिवारों पर लागू मानी जायेगी।

2. भारत सरकार की उपरोक्त नीति प्रदेश के सभी विभागों पर समान रूप से लागू मानी जायेगी तथा यदि कोई विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं/उद्देश्यों को देखते हुए भूमि अर्जन से प्रभावित परिवार को अन्य अतिरिक्त सुविधा देना चाहता है तो वह विभाग सक्षम स्तर से निर्णय लेकर अतिरिक्त सुविध भूमि अर्जन से प्रभावित परिवार को देने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु भारत सरकार के पुनर्स्थापित एवं पुनर्वास नीति, 2003 का अनुपालन प्रत्येक विभाग के लिय अनिवार्य होगा।

3. उक्त नीति (एन.पी.आर.आर.—2003) के अध्याय 4 के अन्तर्गत पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास कार्य के लिय 'प्रशासक' एवं 'आयुक्त' की नियुक्ति संबंधित प्रशासकीय विभाग की संस्तुति पर नियुक्ति विभाग द्वारा की जायेगी तथा ऐसे पुनर्वासन क्षेत्रों का निर्दिष्टिकरण अधिसूचना के माध्यम से किया जायेगा।

4. जहां पर परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या 500 से कम होगी, वहां 'प्रशासक' एवं 'आयुक्त' की नियुक्ति नही की जायेगी, किन्तु परियोजना प्रभावित परिवारों को भी भारत सरकार द्वारा घोषित संदर्भगत राष्ट्रीय नीति के 'अध्याय—6' में उल्लिखित समस्त लाभ समानता व एकरूपता की दृष्टि से दिये जायेगें।

5. पूर्व में भूमि अर्जन के फलस्वरूप विस्थापितों को नौकरी तथा भूमि के बदले भूमि आदि अन्य सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, कार्मिक विभाग व अन्य विभागों द्वारा जो समय—समय पर शासनादेश जारी किये गये है, वह सभी शासनादेश भारत सरकार की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति—2003 तात्कलिक प्रभाव से लागू होने के पश्चात् अवक्रमित/प्रभाव शून्य समझे जायेंगे।

अतएवं प्रकरण में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना प्रभावित परिवारों को, उपरोक्तानुसार पनुर्स्थापन एवं पुर्नवास लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करने तथा प्राविधानित व्यवस्था का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

कपिल देव
प्रमुख सचिव

रजिस्ट्रेशन सं. डी.बी.एल. – 33004/99

RECD. NO.D.L.-3304/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1 – खण्ड 1

PART I - Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 46	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19,2004/माघ 30, 1925
No. 46	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2004/MAGHA 30, 1925

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2004

विषयः परियोजना प्रभावित परिवारो के पुनस्थापित और पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति–2003

(एन.पी.आर.आर.–2003)

का. सं. एक्वि 130011/4/2003– एल.आर.डी.– जबकि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन के विभाग के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापित और पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति–2003 तैयार की है।

और जबकि भारत सरकार यह चाहती है कि उक्त नीति का विषय–वस्तु को जन–साधारण के ध्यान में लाया जाए तथा उनका धारक रूप में प्रचार किया जाए।

अतः अब यह निदेश दिया जाता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में की गयी राष्ट्रीय नीति की दिनांक 17 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

अनुसूची

विषयः परियोजना प्रभावित परिवारो के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति–2003

अध्याय–1 : नीति

प्रस्तावना

अधिनस्थ से संरचनात्मक परियोजनाओं सहित सर्वजानिक प्रयोजनो के लिए भूमि के अनिवार्य अर्जन से लोग विस्थापित हो जाते है इसे अपने स्तर पर और अजीविका के साधनों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लोगों को अपनी भूमि अजीविका और साधन– आधर से वंचित करने के अंलावा; विस्थापन के अन्य घातक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक–संकृतिक परिणाम भी सामने आते हैं। भारत सरकार बड़े पैमाने पर हाने वाले विस्थापन के संभव सीमा तक कम किए जाने की आवश्यकता और जहाँ पर विस्थापन अपिरहार्य हो, वहाँ पर परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास से संबंधित मामलों को अत्यन्त सावधानी से और दूरदर्शिता के साथ सुविचारित रूप से हल किए जाने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। ऐसे दृष्टिकोण को जनजातीय लोगों, छोटे और सीमान्त किसानों और महिलाओं के संबंध में विशेष रूप अपनाए जाने की आवश्यकता है।

1.2 क्षतिपूर्ति करने हेतु नकद भुगतान की प्रणाली होने पर भी इसके द्वारा अधिकांश मामलों में प्रभावित परिवार, खेती योग्य कृषि भूमि, आवास और अन्य उन संसाधनों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो जाते है, जिन्हें वे राज्य को समर्पित करते है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कठिनाइयाँ और दुष्कर हो जाती है जो अपने जीवन के बने रहने/आजीविका के लिए मुख्य प्य से अर्जित को गयी परिसम्पत्तियों पर निर्भर होते हैं, जैसे भूमिहीन कृषि मजदूर, वन–वासी, काश्तकार और कारीगी। इनके कट৬ और गरीबी ज्यादा गंभीर होती है, फिर भी वे नगद मुआवजे के लिए पात्र नहीं होते हैं।

1.3 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में कुछेक राज्यों और केन्द्रीय मंत्रायलों/विभागों की अपनी नीतियाँ और दिशा–निर्देश है। तथापि, परियोना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में अभी तक कोई राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं की गई है। इस दस्तावेज का आशय नीति के रूप में बुनियादी मापदण्ड और पैकेज निर्धारित करना है जिसे अब इसके बाद परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति–2003 (एन.पी.आर.आर.–2003) कहा जाएगा।

1.4 यह नीति सम्पत्तिहीन ग्रामीण गरीबों को मदद देने, विस्थापित हो चुके संसाधनहीन वर्गो, मूलतः छोटे और सीमान्त किसानों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों/महिलाओं के पुनर्स्थापन संबंधी प्रयासों में सहयाता देने की आवश्यकता को अनिवार्य रूप से पूरा करेगी, इसके अलावा, इसका उद्‌देश्य पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में परियोजना प्रभावित परिवारों और प्रशासन के बीच कारगर बात–चीत के लिए एक व्यापक आधार मुहैया कराना है इस प्रकार की बातचीत से लागत संबंधी सुनिश्चितताा और विस्थापित व्यक्तियों, विशेष रूप से संसाधनहीन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त ध्यान दिए जाने सहित परियोजनओं को समय पर पूरा किया जाना संभव हो सकेगा। इसका आशय आपसी बात–चीत और वार्ता के लिए अत्याधिक लचीलापन मुहैया कराना है ताकि परिणामस्वरूप तैयार किए जाने वाले पैकेज को सभी प्रभावित व्यक्तियों/अधिग्रहण निकायों को संतुष्टि प्रदान करने वाले एक व्यवहारिक दस्तावेज के रूप में सभी प्रकार से स्वीकार किया जा सके।

1.5 परियोजना प्रभावित परिवारों पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति सभी संबंधित पक्षों मार्गदर्शन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देशों और कार्यपालक अनुदेशों के रूप में इसी और यह नीति मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवारों या इससे अधिक परिवारों और पर्वतीय क्षेत्रों, सनभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) वाले खण्डो, भारत के संविधान की अनुसूची–V और अनुसूची–VI में शासित क्षेत्रों में 250 परिवारों को सामूहिक रूप में विस्थापित करने वाली परियोजनो के संबंध में लागू होगी। यह आशा की जाती है कि पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए समुचित सरकार और प्रशासक इस नीति को पूर्ण रूप से लागू करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीति के अंतर्गत परिकल्पित लाभ परियोजना प्रभावित परिवारों, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों सहित संसाधनहीन वर्गों को प्राप्त होते हैं।

1.6 नीति में प्रस्तावित पुनर्वास अनुदान और अन्य आर्थिक लाभ न्यूनतम होंगे और ये लाभ सभी परियोजना प्रभावित परिवारो, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बी.पी.एल) परिवार हों अथवा गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों से अन्यथा

(गैर–बी.पी.एल.) परिवार हो, के लिए लागू होंगे। उन राज्यों, जहाँ पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकज, नीति में प्रस्तावित पैकेज से उच्चतर स्तर पर हैं, को अपने पैकेज को लागू करने की स्वतंत्रता है।

अध्याय– II

2. नीति के उद्देश्य

2.1 नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैः

क) विस्थापन को न्यूनतम करना और गैर–विस्थापन अथवा कम से कम विस्थापन के विकल्प अभिज्ञान करना

ख) जनजातीय लोगों और संसाधनहीन वर्गों की विशेष आवश्यकाताओं को पूरा करने सहित परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की योजना बनाना;

ग) परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए बेहतर जीवन–स्तर मुहैया कराना; तथा

घ) अधिग्रहण निकाय और परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच आपकी सहयोग के द्वारा सद्भावपूर्ण सम्बन्ध बनाने को सुसाध्य बनाना।

अध्याय– III

3. <u>परिभाषाएँ</u>

3.1 इस निति दस्तावेज में प्रयोग किए गए विभिन्न शब्दों/पदों की परिभाषा निम्नानुसार हैः–

(क) 'पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए प्रशासक' का अर्थ है, राज्य सरकार के जिला कलक्टर के अन्यून पद का अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा संबंधित परियोजना में परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है, परन्तु यदि परियोजना के सबंध में समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है, तो ऐसी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके की जाएगी।

(ख) परियोजना कें संबंध में 'प्रभावित क्षेत्र' का अर्थ है, एक ऐसी परियोजना; जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 अथवा किसी अन्य लागू अधिनियम के तहत भूमि अर्जित की जा रही है, के अंतर्गत गावों या इलाके के अंतर्गत शामिल क्षेत्र अथवा परियोजना के जलाशय में पानी एकत्रित होने के कारण डूबने वाले क्षेत्र की समुचित सरकार द्वारा इस नीति के पैरा 5.1 के अंतर्गत घोषणा करना।

(ग) 'कृषि परिवार' का अर्थ है, एक ऐसा परिवार जिसका जीविका चलाने के लिए मुख्य्‍ साधन कृषि है और इसमें भू–स्वामियों के परिवार तथा कृषि भूमि पर कृषि करने वाले उप–काश्तकारों, कृषि श्रमिकों, वन भूमि के अधिभोगियों और लघु वन उत्पादों को एकत्रित करने वालों के परिवार शामिल है।

(घ) 'कृषि श्रमिक' का अर्थ है, एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्तया प्रभावित क्षेत्र की घोषणा से तत्काल पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अविध के लिए प्रभावित क्षेत्र का निवासी रहा हो आर जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि न रखता हो परन्तु अपनी जीविका, मुख्यतः ऐसी घोषणा के तत्काल पूर्व उसमें स्थित कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम के द्वारा अर्जित करता हो पर जो अपनी जीविका से वंचित हुआ हो।

(ड़) 'कृषि भूमि' में यह भूमि शामिल है जिसका प्रयोग निम्न प्रयोजन के लिए किया गया हो या किया जा सकता हैः–

(i) कृषि या बागवानी

(ii) डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, पशुओं के प्रजनन या पशुपालन तथा ऐसी नर्सरी, जिसमें औषधीय जड़ी–बूटियां उगायी जाती है,

(iii) फसलें, घास उगाने का उद्योग उत्पाद प्राप्त करना तथा

(iv) वन भूमि जिसे कृषकों द्वारा पशुओं की चराई के लिए प्रयोग में लाया गया है, परन्तु इसमें वह भूमि शामिल नहीं है जिसका प्रयोग केवल लकड़ी की कटाई के लिए किया गया है।

(च) 'समुचित सरकार' का अर्थ हैः–

(i) संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में केन्द्रीय सरकार;

(ii) उस परियोजना के संबंध में जिसका निष्पादन केन्द्र सरकार की एजेंसी/केन्द्र सरकार के उपक्रप द्वारा किया जाता है अथवा केन्द्र सकरार के आदेशों/निर्देशों पर किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता है, केन्द्र सरकार अन्यथा राज्य सरकार, तथा

(iii) अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि कें अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार।

(छ) गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारः— गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार होंगे जैसा कि भारत के योजना आयोग द्वारा समय समय पर परिभाषित किया जाता है।

(ज) एक परियोजना के संबंध में 'पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त' का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुर्नस्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त जो उस सरकार के आयुक्त/सचिव के पद से नीचे के पद का अधिकारी नहीं होगा :

(झ) 'विस्थापित परिवार' का अर्थ है कोई भू–धृति धारी, काश्तकार, सरकारी पट्टेदार या अन्य सम्पत्ति का स्वामी जिसे परियोजना के प्रयोजन हेतु प्रभावित क्षेत्र में, आबादी में स्थित भू–खण्ड सहित उसकी भूमि का अन्य सम्पत्ति का अधिग्रहण किए जाने के कारण ऐसी भूमि या सम्पत्ति से विस्थापित किया गया है;

(ञ) 'परिवार' का अर्थ है परियोजना प्रभावित परिवार जिसमें ऐसा व्यक्ति, उसकी पत्नी/उसका पति, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियाँ, अवयस्क भाई यह अविवाहित बहने पिता, माता और अन्य सदस्य जो उसके साथ रह रहे हों एवं अपनी जीविका के लिए उस पर निर्भर हो, शामिल हैं।

(ट) 'जोत–क्षेत्र' का अर्थ है किसी एक व्यक्ति द्वारा दखलकार के रूप में या काश्तकार के रूप में अथवा दोनों ही रूपों में धारित कुल भूमि;

(ठ) 'सीमान्त किसान' का अर्थ है एक ऐसा खेतिहर–किसान जिसके पास एक हेक्टेयर तक असिंचित भूमि या आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि हो;

(ड) 'गैर कृषि श्रमिक' का अर्थ है वह व्यक्ति जो कृषि श्रमिक नहीं है परन्तु जो सामान्यतया प्रभावित क्षेत्र में, उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने से तत्काल पूर्व से कम से कम 3 वर्षो से अन्यून अवधि से रह रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि नहीं रखता है परन्तु जो इस प्रकार की घोषणा से तत्काल पूर्व में अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रमिक के रूप में या ग्रामीण दस्तकार के रूप में अर्जित करता रहा है और जो प्रभावित क्षेत्र में, अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रम के द्वारा या ऐसे दस्तकार के रूप में अर्जित करने से वंचित हुआ हो।

(ढ) 'अधिसूचना' का अर्थ है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(ण) 'अधिभोगी' का अर्थ है अनुसूचित जनजाति समुदाय के वे सदस्य जो 25 अक्टूबर 1980 से पहले वन भूमि के कब्जाधारी रहे थे।

(त) परियोजना को अर्थ है एक ऐसी परियोजना, जिसमें किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवार या इससे अधिक परिवार और पहाड़ी क्षेत्रों, डी.डी.पी. वाले खण्डों, भारत के संविधान की अनुसूची V और अनुसूची VI में शामिल क्षेत्रों में 250 परिवार या इससे अधिक परिवार सामूहिक रूप में विस्थापित होते हैं ;

(थ) 'परियोजना प्रभावित परिवार' का अर्थ है एक ऐसा परिवार/व्यक्ति जिसका निवास स्थान या अन्य सम्पत्ति या जीविका का साधन परियोजना के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया के कारण पर्याप्त रूप से प्रभावित हुआ हो और जो प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने की तारीख से पूर्व लगातार तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक उस क्षेत्र में रह रहा हो अथवा जो प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने की तारीख से पूर्व लगातार तीन वर्षों से अन्यून अवधि से प्रभावित क्षेत्र में कोई व्यापार व्यवसाय या उद्योग–धंधा चला रहा है।

(द) 'परियोजना के संबंध में पुनर्स्थापन क्षेत्र' का अर्थ है किसी समुचित सरकार द्वारा परियोजना प्रभावित परिवार के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए अर्जित किए गए या अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र को इस नीति के पैरा 5.12 के अंतर्गत पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित करना।

(ध) 'अधिग्रहण निकाय' का अर्थ होगा ऐसी कोई कम्पनी, निगमित निकाय या कोई सरकार या कोई अन्य संगठन जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया जाता है और इसमें समुचित सरकार भी शामिल है यदि भूमि अर्जन ऐसी सरकार

अपने प्रयोग के लिए किया जाता है या तत्पश्चात् ऐसी भूमि जनहित में किसी निगमित निकाय, संस्था या किसी अन्य संगठन या किसी कम्पनी को पटटे, अनुज्ञप्ति के अंतर्गत या ऐसी किसी कम्पनी को भूमि अंतरण की किसी अन्य पद्धति के तहत, जैसा भी मामला हो, आवंटित कर दी जाती है।

(न) 'छोटे किसान' का अर्थ है ऐसा कृषक जिसके पास दो हैक्टेयर तक असिंचित भूमि या एक हेक्टेयर तक सिचित भूमि हो।

अध्याय—IV

4. पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए प्रशासक तथा आयुक्त की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियाँ एवं कार्य

4.1 जहां समुचित सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जित करने के परिणामस्वरूप मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवार या इससे अधिक परिवार और पहाड़ी क्षेत्रों डी.डी.पी. खण्डो, भारत के संविधान की अनुसूचि—V और अनुसूची—VI में शामिल क्षेत्रों में 250 परिवार या इससे अधिक परिवार सामूहिक रूप विस्थापित होते हैं, तो वह राज्य सरकार के जिला कलक्टर से अन्यून पद के अधिकारी को अधिसूचना द्वारा उस परियोजना के संबंध में पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए प्रशासन के रूप में नियुक्त करेगी। परन्तु यदि परियोजना के संबंध में समुचित सरकार केन्द्र सरकार है तो ऐसी नियुक्ति केन्द्र सरकार के साथ परामर्श से की जाएगी।

4.2 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए प्रशासन की ऐसे अधिकारी और कर्मचारी सहायता करेंगे सरकार करेंगे जिन्हें समुचित सरकार उपलब्ध कराएगी।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए प्रशासक

4.3 समुचित सरकार तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त के पर्यवेक्षण, निर्देशों तथा नियंत्रण के अध्यधीन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक संबंधित परियोजना में सभी परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए सभी उपाय करेगा।

4.4 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना तैयार करने तथा इसे कार्यान्वित करने के संबंध समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य प्रशासक, पुनस्थापित तथा पुनर्वास में निहित होगा।

प्रशासक की शक्तियाँ और कार्य

4.5 समुचित सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक निम्नलिखित कार्यो/कर्त्तव्यों को पूरा करेगा:—

(i) व्यक्तियों के विस्थापन को न्यूनतम करना और अधिग्रहण निकाय के साथ परामर्श से गैर—विस्थापन या कम से कम विस्थापन किए जाने के विकल्पों को अभिज्ञात करना;

(ii) पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए स्कीम/योजना तैयार करते समय परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ परामर्श करना;

(iii) परियोजना से प्रतिकूलतः प्रभावित अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के परिवारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(iv) इस नीति के पाँचवें अध्याय के तहत यथा अपेक्षित पुनर्स्थापन तथा

अध्याय—V

5. पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए स्कीमें / योजनाएँ :

इस अध्याय में उल्लेख की गई प्रक्रिया का प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करने, परियोजना प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण तथा गणना करने तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास के प्रयोजन के लिए उपलब्ध सरकारी भूमि तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का आकलन करने, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए स्कीम/योजना की प्रारूप तैयार करने तथा इसे अंतिम रूप से प्रकाशन के लिए अनुसरण किया जाऐगा।

प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करना

5.1 समुचित सरकार यदि उसका यह मत हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जित किए जाने से मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवारों

अथवा इससे अधिक परिवारों तथा पहाड़ि क्षेत्रो, डी.डी.पी. वाले खण्डों, भारत के संविधानकी अनुसूची–V और अनुसूची–VI में शामिल क्षेत्रों में 250 परिवारों या इससे अधिक परिवारों के सामूहिक रूप से विस्थापित होने की संभावना है तो वह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके गाँवों या उस इलाके क्षेत्र को परियोजना के प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है और तब संबंधित परियोजना के संबधं में इस नीति के वर्ण्य विषय लागू होंगे।

परियोजना प्रभावित परिवारों आदि के सर्वेक्षण तथा संगणना के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाः

5.2 इस नीति के पैरा 5.1 के तहत की गई प्रत्येक घोषणा को कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, उनमें से एक समाचार पत्र स्थानीय भाषा में होना चाहिए, जिसका परिचालन उन गाँवों या क्षेत्रों में भी होता हो, जिनके प्रभावित होने की संभावना है और अधिसूचना की प्रति संबंधित ग्राम पंचायतों के सूचना बोर्ड पर तथा प्रभावित क्षेत्र में अन्य प्रमुख स्थान या स्थानों पर भी लगायी जानी चाहिए।

5.3 नीति के पैरा 5.1 के तहत जब एक बार घोषणा कर दी जाती है तब पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक परियोजना, के द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों और परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ करेगा।

पुनर्वास योजना/स्कीम का प्रालप तैयार करना;

(V) परियोजना प्रभावित परिवारो तथा अधिग्रहण निकाय, जिसके लिए भूमि अर्जित की जाती है के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से भूमि अर्जन के विभिन्न संघटकों, पुर्स्थापन तथा पुर्नवास, कार्यकलापों या कार्यक्रमों के अनुमनित व्यय सहित बजट तैयार करना;

(vi) परियोजना के लिए तथा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी समुचित भूमि अर्जित करना।

(vii) परियोजना प्रभावित परिवारों को भूमि आबांटित करना तथा लाभ स्वीकृत करना;

(viii) ऐसे अन्ध कार्यों को पूरा करना जो समुचित सरकार द्वारा समय–समय पर लिखित आदेश द्वारा सौंपे जाएं।

प्रशासक की शक्तियों प्रत्यायोजन

4.6 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक, इस नीति के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत उसे प्रदत्त की गई प्रशासनिक शक्तियों और सौपें गएं कर्त्तव्यों को, लिखित रूप में आदेश के द्वारा तहसीलदार से अन्यून पद के किसी अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी को प्रत्योयोजित कर सकता है।

4.7 इस नीति के तहत समुचित सरकार द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी तथा कर्मचारी पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक के अधीनस्थ कर्मचारी होंगे।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त

4.8 राज्य सरकार ऐसी परियोजनाओं, जिनके लिए यह नीति लागू होती है, के संबंध में पुनर्स्थापित तथा पुनर्वास हेतु उस सरकार के आयुक्त/सचिव से अन्यून पद के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी जिसे पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त कहा जायेगा।

4.9 इस नीति के प्रयोजनों के लिए, पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, जिन्हें परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया है, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त के अधीन्स्थ होंगे।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त के कार्य

4.10 आयुक्त पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजनाएँ/स्कीमें तैयार करनें, ऐसी योजनाओं/स्कीमों के समुचित कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने तथा इस नीति के अध्याय–VII में उल्लेख किए गए अनुसार शिकायतों का दूर करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5.4 प्रत्येक सर्वेक्षण में परियोजना प्रभारी परिवारों के बारे में निम्नलिखित रूप से गाँव–वार सूचना दी जाएगीः–

(i) परिवार के वे सदस्य जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्थायी रूप से रहते हैं, कोई व्यापार, व्यवसाय या कार्य करते है;

(ii) परियोजना प्रभावित वे परिवार जिनके अपने घर, कृषि, भूमि, रोजगार से वंचित होने अथवा अपने व्यापार, व्यवसाय या कार्य के मुख्य स्रोत से पूर्णतः या पर्याप्त रूप से अलग होने की संभावना है।

(iii) कृषि श्रमिक या गैर–कृषि श्रमिक।

(iv) वे परियोजना प्रभावित परिवार जिनके कब्जे में 25 अक्तूबर, 1980 से पूर्व अर्थात वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले से वन भूमि रही है।

5.5 पैरा 5.4 के अंतर्गत आरंभ किए गए प्रत्येक सर्वेक्षण को पैरा 5.1 के तहत की गई घोषणा की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

5.6 ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक, उसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों के ब्यौरों के प्रारूप को परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित लोगों की आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना के द्वारा और किसी भी अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा ताकि प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों तक ये ब्यौरे पहुँच सकें।

5.7 सर्वेक्षण के ब्यौरे के प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अविध समाप्त होने पर और इस संबंध में उन्हें प्राप्त हुई आपत्तियों सुझावों पर विचार करने के पश्चात् पुनर्स्थापित तथा पुनर्वास प्रशासक अपनी सिफारिशों के साथ सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरे को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

5.8 राज्य सरकार, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक की सिफारिशों के प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर राजपत्र में सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरे को प्रकाशित करेगी।

5.9 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा की परियोजना प्रभावित परिवारों को मुख्यतया समूह या समूहों में बसाया जाए और ऐसे बसावट स्थल जहाँ तक संभव हो मौजूदा ग्राम पंचायत का ही एक भाग बनने चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि परियोजना प्रभावित परिवारों को मेजबान समुदाय के साथ समानता तथा आपसी मेल–मिलाप के आधार पर तथा प्रत्येक समूह की अपनी पहचान तथा संस्कृति को बनाए रखने की इच्छा के अनुरूप बसाया जाए।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए उपलब्ध भूमि का निर्धारण

5.10 उपर्युक्त परा 5.9 के प्रयोजनों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन के लिए ऐसे भू–खण्डों की सूची तैयार करेगा जो किसी भी मौजूदा ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो सकती है।

5.11 पैरा 5.10 के तहत सूचीबद्ध की गई भूमि में निम्नलिखित भूमि शामिल होगीः–

(क) सरकारी बंजरभूमि या सरकार के स्वामित्व में कोई अन्य भूमि जो परियोजना प्रभावित परिवारों को आबंटित करने के लिए उपलब्ध हो।

(ख) यदि वहाँ पर सरकारी भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो तो पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी स्कीम/योजना के प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि तथापि, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि के ऐसे अर्जन से परियोजना प्रभावित परिवारों की एक सूची न तैयार हो जाए।

पुनर्स्थापन क्षेत्र की घोषणा

5.12 समुचित सरकार परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए अर्जित किए गए किसी क्षेत्र या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को अधिसूचना के द्वारा पुर्नस्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित करेगी।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए भूमि अर्जित करने की शक्ति

5.13 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक, समुचित सरकार की ओर से उपुर्यक्त पैरा 5.11 (ख) की विषय–वस्तु को ध्यान में रखते हुए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत किसी भूमि को या तो अनिवार्यतः अर्जित कर सकता है अथवा किसी भी व्यक्ति की सहमति से उसकी भूमि खरीद सकता है और इस प्रयोजन के लिए एक करार कर सकता है।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए स्कीम/योजना का प्रारूप

5.14 पैरा 5.3 और 5.11 में उल्लेख किए गए अनुसार पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए मूल रूप से सर्वेक्षण एवं परियोजना प्रभावित परिवारों की गणना का कार्य तथा पुर्स्थापन के लिए भूमि की आवश्कयता का आकलन पूरा करने के पश्चात् पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक महिलाओ सहित परियोजना प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों उन निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं, जिनके अंतर्गत परियोजना क्षेत्र स्थित है, के अध्यक्षों के साथ परामर्श सें परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनस्थापित तथा पुनर्वास के लिए स्कीम/योजना का प्रारूप तैयार करेगा।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए निधियों का प्रबंधन

5.15 प्रारूप स्कीम/योजना तैयार करते समय, पुनस्थापित तथा पुनर्वास प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास स्कीम/योजना की लागत उस परियोजना की लागत का अभिन्न भाग होना चाहिए जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है और परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास हेतु पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभों के लिए सम्पूर्ण व्यय तथा अन्य व्यय का वहन, उस अधिग्रहण निकाय द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है।

5.16 परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की स्कीम/योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक को पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व अधिग्रहण निकाय का होगा।

5.17 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक उसके अधिकार के अंतर्गत सौंपी गई निधियों के संबंध में लेखों के समुचित खाते और रिकार्ड रखेगा तथा इस संबंध में समुचित सरकार को आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की स्कीम/योजना के प्रारूप की विषय वस्तु

5.18 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास हेतु तैयार की कई प्रत्येक प्रारूप स्कीम/योजना में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे नामतः–

(क) परियोजना के लिए अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा संबंधित गाँव (गाँवों) का नाम।

(ख) परियोजना प्रभावित परिवारों की गांव–वार सूची तथा परिवार–वार विस्थापित व्यक्तियों की संभावित संख्या, भूमि का क्षेत्रफल तथा उसका स्वरूप तथा उनके स्वामित्व के तहत अचल सम्पत्ति का ब्यौरा जिसमें प्रभावित क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित ऐसी सम्पत्ति की सर्वेक्षण संख्या दी गई हो।

(ग) ऐसे क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की सूची तथा ऐसे व्याक्तियों के नाम जिनकी आजीविका कृषि संबंधी कार्यकलापों पर निर्भर है।

(घ) ऐसे व्यक्तियों की सूची जो परियोजना के लिए भूमि अर्जित किए जाने के परिणामस्वरूप अपना रोजगार या अपनी आजीविका खो चुके हैं या खोने वाले हैं अथवा जो अपने पेशे या व्यवसाय के मुख्य स्रोतों से पूर्णतः अथवा अधिकांशतः वंचित हो गए हैं।

(ड) दखलकारों की सूची, यदि कोई हो;

(च) सार्वजनिक उपयोग वाले या सरकारी भवनों की सूची जिनके प्रभावित होने की संभावना है।

(छ) परियोजना प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराये जाने वाले लाभों तथा पैकेज की विस्तृत सूची;

(ज) उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल का ब्यौरा जिसे परियोजना प्रभावित परिवारों को आवास क्षेत्र में पुनर्स्स्थापन के लिए तथा भूमि आवंटित करने के लिए अर्जित किया जा सकता है।

(झ) मूलभूत तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा जिन्हें पुनर्स्थापन के लिए उपलब्ध कराया जाना है।

(ञ) विस्थापित परिवारों को हटाने तथा पुनर्स्थापन क्षेत्रों में उन्हें पुनर्स्थापित करने की समयाविधि;

(ट) ऐसा कोई अन्य ब्यौरा जिसे पुर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक विस्थापित व्यक्तियों की सूचना के लिए शामिल करना उपयुक्त समझाता है।

पुनार्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी स्कीम/योजना का अंतिम रूप प्रकाशक

5.19 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक पुर्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी स्कीम/योजना के प्रारूप को राज्य सरकार को अनुमोदन

के लिए प्रस्तुत करेगा। इसे अनुमोदित करने से पूर्व अधिग्रहण निकाय की सहमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। प्रारूप स्कीम/योजना को प्रभावित क्षेत्र में इसके व्यापक प्रचार के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

5.20 स्कीम/योजना की अधिसूचना जारी हाने के बाद यह स्कीम/योजना लागू हो जाएगी।

अध्याय VI

परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ

6.1 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास (आर.एण्ड.आर.) संबंधी लाभों को परियोजना प्रभावित सभी परिवारों, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले (बी.पी.एल.) परिवार हों अथवा गरीबी, रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों से अन्यथा (गैर–बी.पी.एल.) परिवार हो, को उपलब्ध कराया जाएगा।

6.2 ऐसा कोई भी परियोजना प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर हो और जिसका घर अधिगृहीत कर लिया गया हो को अधिगृहीत घर के क्षेत्र की वास्तविक क्षति के बराबर आवास स्थल बिना किसी लागत के आबंटित किया जा सकेगा, परन्तु यह आवास स्थल ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग मीटर भूमि तथा शहरी क्षेत्र में 75 वर्ग मीटर भूमि से अधिक नहीं होगा।

6.3 गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को घर के निर्माण के लिए एक ही बार दी जाने वाली सहायता के रूप में 25000/– रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से अन्यथा परिवार (गैर–बी.पी.एल.परिवार) यह सहायता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

6.4 ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि रही हो और जिसकी पूरी भूमि अर्जित कर ली गई हो, को भूमि के क्षेत्र की वास्तविक क्षमि के बराबर कृषि भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि आबंटित की जाएगी, परन्तु यह भूमि अधिकतम एक हैक्टेयर सिंचित भूमि या दो हैक्टेयर असिंचित भूमि/कृषि योग्य बंजर भूमि होगी, बशर्ते कि जिलों में सरकारी भूमि उपलब्ध हो।

6.5 पंजीकरण के लिए अदा की जाने वाली स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्कों को अधिग्रहण निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।

6.6 पैरा 6.4 के तहत आबंटित की गई भूमि सभी प्रकार के ऋण–भारों से मुक्त होगी। आबंटित की गई भूमि परियोजना प्रभावित परिवार में पत्नी और पति के संयुक्त नाम से आबंटित की जाएगी।

6.7 अर्जित की गई भूमि के बदले में बंजर भूमि/ अवक्रमित भूमि आबंटित किए जाने के मामले में प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भूमि विकसित करने के लिए 10000/– रूपये प्रति हैक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कृषि भूमि आबंटित किए जाने के मामले में कृषि उत्पादन के लिए प्रत्येंक परियोजना प्रभावित परिवार को एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में 5000/– रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6.8 पशु रखने वाले प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को पशु शाला का निर्माण करने के लिए 3000/– रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6.9 प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भवन निर्माण सामग्री, अपने सामान तथ पशुओं को प्रभावित क्षेत्र से पुनर्स्थापन क्षेत्र तक ले जाने के लिए परिवहन लागत के रूप में 5000/– रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6.10 ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसमें ग्रामीण दस्तकार/छोटे व्यापारी तथा स्व–नियोजित व्यक्ति शामिल हों, को कार्य शैड/दुकान के निर्माण के लिए एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में 10,000/– रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6.11 ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भमि हो तथा जिसकी पूरी भूमि अर्जित की गई हो, जिन मामलों में परियोजना प्रभावित परिवार को न तो कृषि भूमि आबंटित की गई हो और नह हीं उसके किसी एक सदस्य को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया गया हो, को 'आजीविका की क्षति' के लिए 750 दिनों की न्यूनतम कृषि मजूदरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6.12 प्रभावित क्षेत्र मे कृषि भूमि रखने वाले ऐसें प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसकी पूरी भूमि अर्जित नहीं की गई है और भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप वे सीमान्त किसान बंन गए हैं, को 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार

दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6.13 ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि हो तथा जो भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप छोटे किसान बन गए हों, को 375 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6.14 'कृषि श्रमिक' या 'गैर–कृषि श्रमिक' की श्रेणी से संबंधित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को 625 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6.15 प्रत्येक विस्थापित परियोजना प्रभावित परिवार को एक वर्ष की अविध के लिए 250 दिनों तक प्रति मास 20 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक आजीविका भत्ता दिया जाएगा।

6.16 अपात कालीन स्थिति जैसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारी 17 के तहत अथवा किसी अन्य प्रवृत अधिनियम के सदृश्य उपबंधन के तहत भूमि के अर्जन के मामले में प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार का पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना का अन्तिम रूप दिए जाने तक की अवधि के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे परिवारों में उपयुक्त पैरों में उल्लेख किए गए अनुसार नीति के तहत पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास भी दिए जाएगे।

6.17 लम्बे भूखण्डों में भूमि क्षेत्र का अर्जन रेलवें लाइनों, राजमार्गों ट्रान्समिशन लाइनों, पाइप लाइन बिछाने जैसी परियोजनाओं के मामले में, जिनमें भूमि का अर्जन कम चौड़ाई में कई किलोमीटर की दूरी किया जाता है, परियोजना प्रभावित परिवारों को 10,000 रूपये प्रति परिवार की दर से अनुग्रह राशि मुहैया करायी जाएगी और उनके लिए कोई अन्य पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ मुहैया नहीं कराये जाएंगे।

6.18 परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभों के एक भाग के रूप में पुनर्स्थापन क्षेत्र में स्व–रोजगार परियोजनाएं आरंभ करने हेतु उद्योग–धंधा चलाने का कौशल विकसित करने हेतु अपेक्षित प्रशिक्षण सुविधाएँ मुहैया; करायी जाऐगी।

6.19 उन परियोजना प्रभावित परिवारों जिनके कब्जे में 25 अक्तूबर 1980 से पहले से वन भूमि थी, को इस नीति के तहत उपर्युक्त पैरों में दिए गए अनुसार सभी पुर्नस्थापन तथा पुनर्वास लाभ दिए जाएंगे।

6.20 अनुसूचित जाति वर्ग के परियोजना प्रभावित परिवार, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण की सुविधा प्राप्त थी, पुनर्स्थापन क्षेत्र में भी आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

6.21 अनुसूचित जनजाति वर्ग के परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ

6.21.1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भूमि के आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

6.21.2 जनजातीय वर्ग का प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार इस नीति के तहत उपर्युक्त पैरों में उल्लिखित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

6.21.3 जनजातीय वर्ग के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को वन उत्पादों के संबंध में परंपरागत अधिकार/उपयोग से वंचित होने के एबज में 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6.21.4 परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवारों को उनके प्राकृतिक बसावट के निकट हो किसी संहत खण्ड से पुनर्स्थापित किया जाएगा तांकि वे अपनी जातीय, भाषाई तथा सांस्कृति पहचान को कायम रख सकें।

6.21.5 परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवारों को सामुदायिक तथा धार्मिक अवसर पर सभाओं के लिए भूमि निःशुल्क दी जाएगी।

6.21.6 परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवारों, जिन्हें जिला/तालुक से बाहर पुनर्स्थापित किया जाता है को पुर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ मौद्रिक रूप में 25 प्रतिशत अधिक दिए जाएंगे।

6.21.7 भूमि अन्तरण के संबंध में लागू निमयों तथा विनियमों का उल्लघन करके नए जनजातीय भूमि के अंत को निष्प्रभावी माना जाएगा तथा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभ केवल भूमि केवल मूल के स्वामी को दिए जाएंगे।

6.21.8 परियोजना प्रभावित क्षेत्रों मे रहने वाले ऐसे जनजातीय परिवार जिन्हे नदी, तालाब, बाँध में मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त

थे को जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा।

6.21.9 परियोजना प्रभावित वे जनजातीय परिवार, जिन्हे प्रभावित जिन्हें प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिल रहा था, पुनर्स्थापन क्षेत्र में भी आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

6.22 पुनर्स्थापन क्षेत्र में उपलब्ध करायी जाने वाली बुनियादी सुविधाएँ:—

6.22.1 प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पुनर्स्थापन क्षेत्र में स्थानान्तरित करते समय पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक जहाँ तक संभव हो, निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:—

(क) यदि किसी गाँव/क्षेत्र की स्थानान्तरित की जाने वाली पूरी जनता किसी विशेष समुदाय से संबंध रखती है, तो ऐसे लोगों/परिवारों को सुसंहत क्षेत्र में सामूहिक रूप से पुनः बसाया जाए ताकि विस्थापित परिवारों के बीच सामाजिक—सांस्कृतिक संबंधों (सामाजिक मेल—मिलाप) में कोई बाधा न आए।

(ख) अनुसूचित जातियों के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें गांवों के निकट स्थानों पर पुनः बसाया जाता है।

6.22.2 परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन स्थल पर बुनियादी सुविधाएँ तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध कारयी जाएंगी।यह वांछनीय है कि पेयजल, बिजली, विद्यालयों, औषधालयों की व्यवस्था और अन्य बातों के साथ—साथ पुनर्स्थापन स्थलों पर पहुँचने की व्यवस्था को भी पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक द्वारा तैयार की गई पुनर्स्थापन योजना में शामिल किया जाए।

अध्याय–VII

7. विवाद निवारण तंत्र

7.1 परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास समिति

विवाद निवारण तंत्र

7.1.1 ऐसी प्रत्येक परियोजना जिसके लिए यह नीति लागू की जाती है, के संबंध में राज्य सरकार परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास की स्कीम/योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार उस परियोजना के प्रशासक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी जिसे पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास समिति कहा जाएगा।

7.1.2 ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार गठित की गई पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास समिति में अन्य सदस्यों के साथ–साथ निम्नलिखित को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा;

(i) प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का एक प्रतिनिधि

(ii) प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का एक–एक प्रतिनिधि;

(iii) स्वयंसेवी संगठन का एक प्रतिनिधि;

(vi) प्रबुद्ध बैंक का एक प्रतिनिधि;

(v) प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रही पंचायती राज संस्थाओं का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति;

(vi) प्रभावित क्षेत्र में शामिल क्षेत्र के संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य।

7.1.3 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास समिति के कार्यों इसकी बैठकों तथा उनसे सम्बद्ध अन्य मामलों को विनियमित करने की प्रक्रिया का निर्धारण समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा।

7.2 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

7.2.1 ऐसी प्रत्येक परियोजना, जिसके लिए यह नीति लागू की जाती है, के संबंध में राज्य सरकार परियोजना प्रभावित परिवारों की शिकायतों के निवारण के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त की अध्यक्षता में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करे।

7.2.2. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का संघटन शक्तियां, कार्य तथा इसके कार्यकरण से बांधित अन्य मामले समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

7.2.3. यदि किसी परियोजना प्रभावित परिवार को यह शिकायत हो कि उसे इस नीति के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार यथा स्वीकार्य पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ नहीं दिये जा रहे हैं तो वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में उपयुक्त याचिका दायर कर सकता है।

7.2.4 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराने के लिए फार्म तथा पद्धति और वह समयावधि जिसके भीतर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है तथा उसके निपटान की समयावधि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी।

7.2.5 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए परियोजना स्तर पर प्रशासक/पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति के निर्णय के विरुद्ध पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में सभी शिकायतों पर विचार करने तथा उनका निपटान करने और

ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक को ऐसे निर्देश देने जिन्हें उचित समझा जाता है, की शक्ति प्राप्त होगी।

7.3 अन्तर्राज्यीय परियोजनाएँ :–

अन्तर्राज्यीय परियोजनाएँ

7.3.1. यदि परियोजना के तहत एक से अधिक राज्य या राज्यों अथवा संघ–शासित प्रदेश का ऐसा क्षेत्र शामिल है, जहाँ पर परियोजना प्रभावित परिवार रहते हैं या रहते थे अथवा उन्हें वहां पर पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो केन्द्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) संबद्ध राज्यों या संघ क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, के साथ परामर्श से इस नीति के प्रयोजनों के लिए पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास प्रशासक तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति करेगा।

7.3.2 पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी योजनाओं/स्कीमों के कार्वान्वयन के तरीके पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा आपस में विचार किया जाएगा और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक द्वारा यथा सम्मत एक सामान्य योजना/स्कीम इस नीति में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत की जाएगी।

राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ :–

8.3 इस नीति के तहत गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पद का अधिकारी होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है निगरानी प्रकोष्ठ की सहायता अनुबंध– । में उल्लिखित अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा की जाएगी।

8.4 **प्रयोज्यता**

प्रयोज्यता : परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति (एन.पी.आर.आर.–२००३) भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुबंध–।

राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ का संघटन

(देखें पैरा 8.3)

क्रम.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	संयुक्त सचिव, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास	1
2.	क्षेत्रीय निदेशक/इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ/परामर्शदाता	4
3.	उप निदेशक	4
4.	सांख्यिकीय अधिकारी	1
5.	अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी	1
6.	सहायक	2
7.	सांख्यिकीय सहायक	2
8.	अवर श्रेणी लिपिक एवं टंकक	4
9.	आशुलिपिक	9
10.	चपरासी	4
11.	सफाई कर्मचारी	2
12.	ड्राइवर	2

ललिता कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Land Resources)

NATIONAL POLICY ON RESETTLEMENT AND REHABILITATION FOR PROJECT AFFECTED FAMILIES-2003

(Published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section 1, No- 46, dated 17th February, 2004)

CHAPTER – I: POLICY

PREAMBLE:

1.1 Compulsory acquisition of land for public purpose including infrastructure projects displaces people, forcing them to give up their home, assets and means of livelihood. Apart from depriving them of their lands, livelihoods and resource-base, displacement has other traumatic psychological and socio-cultural consequences. The Government of India recognizes the need to minimize large scale displacement to the extent possible and, where displacement is inevitable, the need to handle with utmost care and forethought issues relating to Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families. Such an approach is especially necessary in respect of tribals, small & marginal farmers and women.

1.2 The system of extending cash compensation does not, by itself, in most cases, enable the affected families to obtain cultivable agricultural land, homestead and other resources which they have to surrender to the State. The difficulties are more acute for persons who are critically dependent on the acquired assets for their subsistence/ livelihoods, such as landless agricultural workers, forest dwellers, tenants and artisans, as their distress and destitution is more severe, and, yet they are not eligible for cash compensation.

1.3 Some States and Central Ministries/Departments have their own Policies and Guidelines for Resettlement and Rehabilitation. However, a National Policy on Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families (PAFs) has not so far been enunciated. This Document aims at laying down basic norms and packages in the shape of a Policy which would, henceforth be referred to as the National Policy on the Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families - 2003 (NPRR-2003).

1.4 The Policy essentially addresses the need to provide succour to the assetless rural poor, support the rehabilitation efforts of the resource poor sections, namely, small and marginal farmers, SCs/STs and women who have been displaced. Besides, it seeks to provide a broad canvas for an effective dialogue between the Project Affected Families and the Administration for Resettlement & Rehabilitation. Such a dialogue is expected to enable timely completion of projects with a sense of definiteness as regards costs and adequate attention to the needs of the displaced persons especially the resource poor sections. The intention is to impart greater flexibility for interaction and negotiation so that the resultant Package gains all-round acceptability in the shape of a workable instrument providing satisfaction to all stakeholders/ Requiring Bodies.

1.5 The National Policy on the Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families will be in the form of broad guidelines and executive instructions for guidance of all concerned and will be applicable to Projects displacing 500 families or more enmasse in plain areas and 250 families enmasse in hilly areas, Desert Development Programme (DDP) blocks, areas mentioned in Schedule V and Schedule VI of the Constitution of India. It is expected that the appropriate Government and Administrator for R&R shall implement this Policy in letter and spirit in order to ensure that the benefits envisaged under the Policy reaches the Project Affected Families, especially resource poor sections including SCs/STs.

1.6 The rehabilitation grants and other monetary benefits proposed in the Policy would be minimum and applicable to all project affected families whether belonging to BPL or non-BPL families. States where R&R packages are higher than proposed in the Policy are free to adopt their own packages.

CHAPTER - II

2. OBJECTIVES OF THE POLICY

2.1 The objectives of the Policy are as follows:-

(a) To minimize displacement and to identify non-displacing or least-displacing alternatives;

(b) To plan the resettlement and rehabilitation of Project Affected Families, (PAFs) including special needs of Tribals and vulnerable sections;

(c) To provide better standard of living to PAFs; and

(d) To facilitate harmonious relationship between the Requiring Body and PAFs through mutual cooperation.

CHAPTER - III

3. DEFINITIONS

3.1 The Definition of various terms used in this Policy Document are as follows:

(a) "Administrator for Resettlement and Rehabilitation" means an officer not below the rank of District Collector of the State Government appointed by it for the purpose of resettlement and rehabilitation of the Project Affected Families of the Project, concerned provided that if the appropriate Government in respect of the project is the Central Government, such appointment shall be made in consultation with the Central Govt.

(b) "affected zone", in relation to a project, means declaration under para 5.1 of this Policy by the appropriate Government area of villages or locality under a project for which the land is being acquired under Land Acquisition Act, 1894 or any other Act in force or an area that comes under submergence due to impounding of water in the reservoir of the project;

(c) "agricultural family" means a family whose primary mode of livelihood is agriculture and includes family of owners as well as sub-tenants of agricultural land, agricultural labourers, occupiers of forest lands and of collectors of minor forest produce;

(d) "agricultural labourer" means a person normally resident in the affected zone for a period of not less than three years immediately before the declaration of the affected zone who does not hold any land in the affected zone but who earns his livelihood principally by manual labour on agricultural land therein immediately before such declaration and who has been deprived of his livelihood;

(e) "agricultural land" includes lands used or capable of being used for the purpose of-

(i) agriculture or horticulture;

(ii) dairy farming, poultry farming, pisciculture, breeding or livestock and nursery growing medical herbs;

(iii) raising of crops, grass or garden produce; and

(iv) land used by an agriculturist for the grazing of cattle, but does not include land used for the cutting of wood only;

(f) "appropriate Government" means,-

(i) in relation to acquisition of land for the purposes of the Union, the Central Government;

(ii) in relation to a project which is executed by Central Government agency/Central Government undertaking or by any other agency on the orders/directions of Central Government, the Central Government, otherwise the State Government and

(iii) in relation to acquisition of land for other purposes, the State Government.

(g) 'BPL Family': The Below Poverty Line Families shall be those as defined by the Planning Commission of India from time to time.

(h) "Commissioner for Resettlement and Rehabilitation", in relation to a project, means the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation appointed by the State Government not below the rank of Commissioner/Secretary of that Government.

(i) "Displaced family" means any tenure holder, tenant, Government lessee or owner of other property, who on account of acquisition of his land including plot in the abadi or other property in the affected zone for the purpose of the project, has been displaced from such land or other property;

(j) "family" means Project Affected Family consisting of such persons, his or her spouse, minor sons, unmarried daughters, minor brothers or unmarried sisters, father, mother and other members residing with him and dependent on him for their livelihood.

(k) "holding" means the total land held by a person as an occupant or tenant or as both;

(l) "marginal farmer" means a cultivator with an unirrigated land holding upto one hectare or irrigated land holding upto half hectare;

(m) "non-agricultural labourer" means a person who is not an agricultural labourer but is normally residing in the affected zone for a period of not less than three years immediately before the declaration of the affected zone and who does not hold any land under the affected zone but who earns his livelihood principally by manual labour or as a rural artisan immediately before such declaration and who has been deprived of earning his livelihood principally by manual labour or as such artisan in the affected zone;

(n) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(o) "occupiers" means members of Scheduled Tribe community in possession of forest land prior to 25th October, 1980;

(p) "project" means a project displacing 500 families or more enmasse in plain areas and 250 families or more enmasse in hilly areas, DDP blocks, areas mentioned in Schedule V and Schedule VI of the Constitution of India as a result of acquisition of land for any project.

(q) "project affected family" means a family/person whose place of residence or other properties or source of livelihood are substantially affected by the process of acquisition of land for the project and who has been residing continuously for a period of not less then three years preceding the date of declaration of the affected zone or practicing any trade, occupation or vocation continuously for a period of not less than three years in the affected zone, preceding the date of declaration of the affected zone.

(r) "Resettlement zone", in relation to a project, means the declaration of any area under Para 5.12 of this Policy by the appropriate Government acquired or proposed to be acquired for resettlement and rehabilitation of Project Affected Families as a resettlement zone ;

(s) "Requiring Body" shall mean any company, a body corporate, an institution, or any other organization for whom land is to be acquired by the appropriate Government, and includes the appropriate Government if the acquisition of land is for such Government either for its own use or for subsequent allotment of such land in public interest to a body corporate, institution, or any other organization or to any company under lease, license or through any other system of transfer of land to such company, as the case may be.;

(t) "small farmer" means a cultivator with an unirrigated land holding up to two hectares or with an irrigated land holding up to one hectare.

CHAPTER - IV

4. APPOINTMENT OF ADMINISTRATOR AND COMMISSIONER FOR RESETTLEMENT AND REHABILITATION AND THEIR POWERS & FUNCTIONS

4.1 Where the appropriate Government is satisfied that acquisition of land for any project involves displacement of 500 families or more enmasse in plain areas and 250 families or more enmasse in hilly areas, DDP blocks, areas mentioned in Schedule V and Schedule VI of the Constitution of India as a result of acquisition of land for any project, it shall, by notification, appoint in respect of that project, an officer not below the rank of District Collector of the State Government to be the Administrator for R&R in respect of that project.

Provided that if the appropriate Government in respect of the project is the Central Government, such appointment shall be made in consultation with the Central Government.

4.2 The Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall be assisted by such officers and employees as the appropriate Government may provide.

Administrator For Resettlement & Rehabilitation

4.3 Subject to the superintendence, directions and control of the appropriate Government and Commissioner for R&R, the Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall take all measures for the rehabilitation and resettlement of all project affected families(PAF) in respect of that project.

4.4. The overall control and superintendence of the formulation of resettlement and rehabilitation plan and execution of the same shall vest in the Administrator, Resettlement & Rehabilitation.

Powers and Functions of Administrator

4.5 Subject to any general or special order of the appropriate Government, the Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall perform the following functions/duties:-

(i) minimize displacement of persons and identify non-displacing or least displacing alternatives in consultation with the requiring body ;
(ii) hold consultation with the project affected families while preparing a resettlement and rehabilitation scheme/ plan;
(iii) ensure that interest of the adversely project affected families of Scheduled Tribes and weaker sections are protected.

(iv) prepare a draft plan/ scheme of resettlement and rehabilitation as required under Chapter V of this Policy;

(v) prepare a budget including estimated expenditure of various components of acquisition of land, resettlement and rehabilitation activities or programmes in consultation with representatives of the project affected families and requiring body for whom the land is acquired;

(vi) acquire adequate land for the project and also for settling the project affected families;

(vii) allot land and sanction benefits to project affected families;

(viii) perform such other functions as the appropriate Government may, from time to time, by order in writing, assign.

Delegation of powers of Administrator

4.6 Administrator for Resettlement & Rehabilitation may, by order in writing, delegate such of the administrative powers conferred and duties imposed on him by or under this Policy to any officer not below the rank of Tehsildar or equivalent.

4.7 All officers and staff appointed by the appropriate Government under this Policy shall be subordinate to the Administrator for Resettlement & Rehabilitation.

Commissioner for R & R

4.8 The State Government shall appoint an officer of the rank of Commissioner/Secretary of that Government for resettlement and rehabilitation in respect of such projects to which this Policy applies to be called the Commissioner for Resettlement & Rehabilitation.

4.9 For the purposes of this Policy, the Administrator for Resettlement & Rehabilitation and other officers and employees appointed for the purposes of resettlement and rehabilitation of PAF shall be subordinate to the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation.

Functions of Commissioner for R&R

4.10 The Commissioner shall be responsible for supervising the formulation of resettlement and rehabilitation plans/schemes, proper implementation of such plans/schemes and redressal of grievances as mentioned in Chapter VII of this Policy.

CHAPTER – V

5. SCHEMES/PLANS FOR RESETTLEMENT AND REHABILITATION:

The procedure mentioned in this Chapter shall be followed for declaration of Affected Zone, carrying out survey & census of Project Affected Families, Assessment of Government land available and land to be acquired for the purpose of Resettlement and Rehabilitation, preparation of draft scheme/ plan for R&R and its final publication.

Declaration of Affected Zone

5.1 The appropriate Government may, if it is of the opinion that acquisition of land for a project is likely to displace 500 families or more enmasse in plain areas and 250 families or more in hilly areas, DDP blocks, areas mentioned in Schedule V and Schedule VI of the Constitution of India declare, by notification in the Official Gazette, area of villages or localities as an affected zone of the project and thereupon the contents of this Policy shall apply to the project involved.

Procedure to be followed for survey and census of PAFs etc.

5.2 Every declaration made under Para 5.1 of the Policy shall be published in at least two daily newspapers one of them should be in the local vernacular having circulation in villages or areas which are likely to be affected and also by affixing a copy of the notification on the Notice Board of the concerned Gram Panchayats and other prominent place or places in the affected zone.

5.3 Once the declaration is made under para 5.1 of the Policy, the Administrator for Resettlement and Rehabilitation shall undertake a survey for identification of the persons and their families likely to be affected by the project.

5.4 Every survey shall contain the following village-wise information of the project affected families:-

(i) members of families who are permanently residing, practicing any trade, occupation or vocation in the project affected area;

(ii) Project Affected Families who are likely to lose their house, agricultural land, employment or are alienated wholly or substantially from the main source of their trade occupation or vocation.

(iii) Agricultural labourers and non-agriculture labourers.

(iv) Project Affected Families who are having possession of forest lands prior to 25th October, 1980, that is prior to the commencement of the Forest (Conservation) Act, 1980.

5.5 Every survey undertaken under Para 5.4 shall be completed within a period of ninety days from the date of declaration made under para 5.1.

5.6 On the expiry of the period of ninety days as aforesaid, the Administrator for Resettlement and Rehabilitation shall, by notification, and also in such other manner so as to reach all persons likely to be affected, publish a draft of the details of the findings of the survey conducted by him for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby.

5.7 On the expiry of thirty days from the date of publication of the draft of the details of survey and after considering the objections and suggestions received by him in this behalf, the Administrator for Resettlement and Rehabilitation shall submit the final details of survey with his recommendations to the State Government.

5.8 Within forty-five days from the date of receipt of the recommendations of the Administrator for Resettlement & Rehabilitation, the State Government shall publish the final details of survey in the Official Gazette.

5.9 The Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall ensure that the Project Affected Families may be settled preferably in group or groups and such sites should form a part of existing gram panchayat as far as possible. However, it has to be ensured that the PAFs may be resettled with the host community on the basis of equality and mutual understanding, consistent with the desire of each group to preserve its own identity and culture.

Assessment of land available for R&R

5.10 For the purposes of para 5.9 above, the Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall draw up a list of lands which may be available in any existing Gram Panchayat for resettlement and rehabilitation of project affected families.

5.11 The lands drawn up under para 5.10 shall consist of :-

(a) Government waste lands and any other land vesting in the Government available for allotment to project affected families.

(b) If sufficient Government land is not available there, then land to be acquired for the purposes of resettlement and rehabilitation scheme/plan. However, the Administrator for R&R should ensue that such acquisition of land should not lead to another list of affected families.

Declaration of Resettlement Zone

5.12 The appropriate Government shall, by notification, declare any area acquired or proposed to be acquired for resettlement and rehabilitation of project affected families, as a resettlement zone.

Power to acquire land for R&R

5.13 The Administrator for R&R, on behalf of the the appropriate government, may either compulsorily acquire keeping in view the contents of Para 5.11(b) above any land under the Land Acquisition Act, 1894 or purchase land from any person through consent award and may enter into an agreement for this purpose.

Draft Scheme/ Plan for R&R

5.14 After completion of base line survey and census of Project Affected Families and assessment of requirement of land for resettlement as mentioned in Paras 5.3 & 5.11, the Administrator for R&R shall prepare a draft scheme/plan for the Resettlement & Rehabilitation of the Project Affected Families in consultation with representatives of Project Affected Families including women, Chairpersons of elected Panchayati Raj Institutions within which the Project area is situated.

Management of Funds for R&R

5.15 While preparing a draft scheme/Plan, the Administrator for R&R shall ensure that the cost of R&R scheme/Plan should be an integral part of the cost of the Project for which the land is being acquired and the entire expenditure of R&R benefits and other expenditure for resettlement and rehabilitation of PAFs are to be borne by the requiring body for which the area is being acquired.

5.16 It shall be the responsibility of the requiring body to provide sufficient funds to the Administrator for R&R for proper implementation of resettlement & Rehabilitation scheme/plan of Project Affected Families.

5.17 The Administrator for R&R shall keep proper books of accounts and records of the funds placed at his disposal and submit periodical returns to the Appropriate Government in this behalf.

Contents of Draft Scheme/Plan of R&R

5.18 Every draft scheme/Plan of resettlement and rehabilitation prepared shall contain the following particulars, namely:-
(a) the extent of area to be acquired for the project and the name(s) of the corresponding village(s).

(b) a village-wise list of project affected families and likely number of displaced persons, family-wise and the extent and nature of land and immovable property in their possession indicating the survey numbers thereof held by such persons in the affected zone;

(c) a list of agricultural labourers in such area and the names of such persons whose livelihood depend on agricultural activities;

(d) a list of persons who have lost or are likely to lose their employment or livelihood or who have been alienated wholly and substantially from their main sources of occupation or vocation consequent to the acquisition of land for the project;

(e) a list of occupiers, if any,

(f) a list of public utilities and Government buildings which are likely to be affected;

(g) a comprehensive list of benefits and packages which are to be provided to project affected families;

(h) details of the extent of land available which may be acquired in settlement area for resettling and allotting of land to the project affected families;

(i) details of the basic amenities and infrastructure facilities which are to be provided for resettlement;

(j) the time schedule for shifting and resettling the displaced families in resettlement zones;

(k) such other particulars as the Administrator for Resettlement & Rehabilitation may think fit to include for the information of the displaced persons.

Final Publication of Scheme/Plan of R&R

5.19 The Administrator for Resettlement & Rehabilitation shall, submit the draft scheme/plan for R&R to the State Government for its approval. It will be the responsibility of the State Government to obtain the consent of requiring body before approving the same. The draft scheme/plan may be published in the Official Gazette to give wide publicity to the same in the affected zone.

5.20 Upon notification of a scheme/plan, the same shall come into force.

CHAPTER - VI

R&R BENEFITS FOR PROJECT AFFECTED FAMILIES

6.1 The resettlement and rehabilitation (R&R) benefits shall be extended to all the Project Affected Families (PAF) whether belonging to below poverty line (BPL) or non-BPL .

6.2 Any Project Affected Family (PAF) owning house and whose house has been acquired may be allotted free of cost house site to the extent of actual loss of area of the acquired house but not more than 150 sq.m. of land in rural areas and 75 sq.meter. of land in urban areas.

6.3 Each PAF of BPL category shall get a one-time financial assistance of Rs. 25000/- for house construction. Non-BPL families shall not be entitled to receive this assistance.

6.4 Each PAF owning agricultural land in the affected zone and whose entire land has been acquired may be allotted agricultural land or cultivable waste land to the extent of actual land loss subject to a maximum of one hectare of irrigated land or two hectares of un-irrigated land/cultivable waste land subject to availability of Government land in the districts.

6.5 Stamp duty and other fees payable for registration shall be borne by the requiring body.

6.6 The Land allotted under para 6.4 shall be free from all encumbrances. The Land allotted may be in the joint names of wife and husband of PAF.

6.7 In case of allotment of wasteland/degraded land in lieu of acquired land, each PAF shall get financial assistance of Rs. 10000/- per hectare for land development. In case of allotment of agricultural land, a one-time financial assistance of Rs. 5000/- per PAF for agricultural production shall be given.

6.8 Each PAF having cattle shall get financial assistance of Rs. 3000/- for construction of cattle shed.

6.9 Each PAF shall get financial assistance of Rs. 5000/- as transportation cost for shifting of building materials, belongings and cattle etc. from the affected zone to the resettlement zone.

6.10 Each PAF comprising of rural artisan/small trader and self employed person shall get one-time financial assistance of Rs. 10,000/- for construction of working shed/shop.

6.11 Each PAF owning agricultural land in the affected zone and whose entire land has been acquired shall get one-time financial assistance equivalent to 750 days minimum agricultural wages for "loss of livelihood" where neither agricultural land nor regular employment to one member of the PAF has been provided.

6.12 Each PAF owning agricultural land in the affected zone and whose entire land has not been acquired and consequently he becomes a marginal farmer shall get one time financial assistance equivalent to 500 days minimum agricultural wages.

6.13 Each PAF owning agriculture land in the affected zone and who consequently becomes a small farmer shall get one time financial assistance equivalent to 375 days minimum agricultural wages..

6.14 Each PAF belonging to the category of 'agricultural labourer', or 'non-agricultural labourer' shall be provided a one time financial assistance equivalent to 625 days of the minimum agricultural wages.

6.15 Each displaced PAF shall get a monthly subsistence allowance equivalent to 20 days of minimum agricultural wages per month for a period of one year upto 250 days of MAW.

6.16 In the case of acquisition of land in emergent situation such as under Section 17 of the Land Acquisition Act 1894 or similar provision of other Act in force, each PAF shall be provided with transit accommodation, pending resettlement and rehabilitation scheme. Such families shall also get R&R benefits as mentioned in above paras under the Policy.

6.17 Acquisition of Long Stretches of Land: In case of projects relating to Railway Lines, Highways, Transmission Lines and laying pipelines wherein only a narrow stretch of land extending over several kilometers is being acquired, the Project Affected Families will be offered an ex-gratia amount of Rs. 10,000/- per family, and no other Resettlement & Rehabilitation benefits shall be available to them.

6.18 The Project Affected Families shall be provided necessary training facilities for development of entrepreneurship to take up self-employment projects at the resettlement zone as part of R&R benefits.

6.19 The Project Affected Families who were in possession of forest lands prior to 25th October, 1980 shall get all the benefits of R & R as given in above paras under the Policy.

6.20 The PAFs of Scheduled Caste category enjoying reservation benefits in the affected zone shall be entitled to get the reservation benefits at the resettlement zone.

6.21 **R&R BENEFITS FOR PROJECT AFFECTED FAMILIES OF SCHEDULED TRIBES.**

6.21.1 Each Project Affected Family of ST category shall be given preference in allotment of land.

6.21.2 Each tribal PAF shall be entitled to get R&R benefits mentioned in above Paras under the Policy.

6.21.3 Each Tribal PAF shall get additional financial assistance equivalent to 500 days minimum agriculture wages for loss of customary rights/usages of forest produce.

6.21.4 Tribal PAFs will be re-settled close to their natural habitat in a compact block so that they can retain their ethnic ,linguistic and cultural identity.

6.21.5 Tribal PAFs shall get land free of cost for community & religious gathering.

6.21.6 Tribal PAFs resettled out of the district/taluka will get 25% higher R&R benefits in monetary terms.

6.21.7 The Tribal Land Alienated in violation of the laws and regulations in force on the subject would be treated as null and void and the R&R benefits would be available only to the original tribal land owner.

6.21.8 The Tribals families residing in the Project Affected Areas having fishing rights in the river/pond/dam shall be given fishing rights in the reservoir area.

6.21.9 Tribal PAFs enjoying reservation benefits in the affected zone shall be entitled to get the reservation benefits at the resettlement zone.

CHAPTER - VII

7. DISPUTE REDRESSAL MECHANISM

7.1 R&R COMMITTEE AT PROJECT LEVEL

Dispute Redressal Mechanism

7.1.1 In respect of every project to which this Policy applies, the State Government shall constitute a Committee under the Chairmanship of the Administrator of that Project to be called the Resettlement and Rehabilitation Committee to monitor and review the progress of implementation of scheme/ plan of resettlement and rehabilitation of the Project Affected Families.

7.1.2 The Resettlement & Rehabilitation Committee constituted as above shall inter-alia include as one of its members:-

- (i) a representative of women residing in the affected zone;
- (ii) a representative each of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes residing in the affected zone;
- (iii) a representative of a voluntary organization;
- (iv) a representative of the lead bank;
- (v) Chairman or his nominee of the PRIs located in the affected zone
- (vi) MPs/MLAs of the area included in the affected zone

7.2.3 Procedure regulating the business of the Resettlement & Rehabilitation Committee, its meeting and other matters connected thereto shall be prescribed by the Appropriate Government.

7.2. GRIEVANCE REDRESSAL CELL:

Grievance Redressal Cell

7.2.1 In respect of every project to which this Policy applies, the State Government shall constitute a Grievance Redressal Cell under the Chairmanship of the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation for redressal of grievances of the PAFs.

7.2.2 The composition, powers, functions and other matters relating to the functioning of the Grievance Redressal Cell shall be such as may be prescribed by the Appropriate Government.

7.2.3 Any Project Affected Family, if aggrieved, for not being offered the admissible R&R benefits as provided under this Policy, may move an appropriate petition for redressal of his grievances to the Grievance Redressal Cell.

6.22 BASIC AMENITIES TO BE PROVIDED AT RESETTLEMENT ZONE:

6.22.1 While shifting the population of the Affected Zone to the Resettlement Zone, the Administrator for R&R may as far as possible, ensure that :

a) In case the entire population of the village/area to be shifted belongs to a particular community, such population/families may be resettled enmasse in a compact area so that socio-cultural relations (social harmony) amongst shifted families are not disturbed

b) In case of resettlement of Scheduled Castes PAFs, it may be ensured that they are resettled in sites close to the villages.

6.22.2 The Project Affected Families shall be provided the basic amenities and infrastructural facilities at the resettlement site as per norms specified by the Appropriate Govt. It is desirable that provision of drinking water, electricity, schools, dispensaries and access to the resettlement sites amongst others be included in the resettlement plan formulated by the Administrator for R&R.

7.2.4 The form and manner in which and the time within which complaints may be made to the Grievance Redressal Cell and disposed of shall be such as may be prescribed by the appropriate Government.

7.2.5 The Grievance Redressal Cell shall have the power to consider and dispose of all complaints relating to resettlement and rehabilitation against the decision of the Administrator/R&R Committee at Project level for Resettlement & Rehabilitation and issue such directions to the Administrator for Resettlement & Rehabilitation as it may deem proper for the Redressal of such grievances.

7.3 INTER-STATE PROJECTS:

Inter-State Projects

7.3.1 In case a project covers an area in more than one State or States or a Union territory where the project affected families are or had been residing, or proposed to be resettled, the Central Government in the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources) shall in consultation with concerned States or Union territory, as the case may be, appoint the Administrator for Resettlement & Rehabilitation and the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation for the purposes of this Policy.

7.3.2 The method of implementation of plans/ schemes for resettlement and rehabilitation shall be mutually discussed by the State Governments and the Union territory administration and the common plan/ scheme shall be notified by the Administrator for Resettlement & Rehabilitation in the State or Union territory administration, as agreed to, in accordance with the procedure laid down in this Policy.

7.3.3 If any difficulty arises in the implementation of the schemes/ plans, the matter shall be referred to the Central Government in the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources) for its decision and the decision of the Central Government shall be binding on the concerned States and Union territory.

CHAPTER - VIII

MONITORING MECHANISM

8. NATIONAL MONITORING COMMITTEE

National Monitoring Committee

8.1 The Central Government, Ministry of Rural Development, Department of Land Resources shall constitute a National Monitoring Committee, to be chaired by the Secretary, Department of Land Resources for reviewing and monitoring the progress of implementation of resettlement and rehabilitation scheme/plan relating to all projects to which this Policy applies. The Committee will have the following or his nominee not below the rank of Joint Secretary as its members:

Secretary, Planning Commission
Secretary, M/o Social Justice and Empowerment
Secretary, M/o Water Resources
Secretary, M/o Tribal Affairs
Secretary, M/o Railways
Secretary, M/o Power
Secretary, M/o Coal

Besides, the Secretary of the administrative Ministry/Department of the project for which the land is to be acquired shall be invited as one of the Members. The functions and duties of this Committee shall be prescribed by this Ministry.

8.2 The National Monitoring Committee shall be serviced by the National Monitoring Cell to be constituted by the Department of Land Resources for reviewing and monitoring the progress of implementation of Resettlement and Rehabilitation scheme/plan relating to all projects to which this Policy applies.

National Monitoring Cell

8.3 National Monitoring Cell constituted under this Policy shall be headed by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India. The National Monitoring Cell as referred to above shall be assisted by the officers and staff as referred to in **Annexure -I.**

APPLICABILITY

Applicability

8.4 The National Policy on the Resettlement and Rehabilitation of Project Affected Families (NPRR – 2003) shall come into effect from the date of its publication in the Gazette of India (Extra-ordinary).

ANNEXURE – I

The Composition of the National Monitoring Cell
(See Para 8.3)

Sl. No.	Name of the Post	No. of Post
1.	Joint Secretary, Resettlement and Rehabilitation	1
2.	Zonal Directors/Subject Matter Specialist/ Consultant	4
3.	Deputy Director	4
4.	Statistical Officer	1
5.	Section Officer/Desk Officer	1
6.	Assistant	2
7.	Statistical Assistant	2
8.	L.D.C-cum-Typist	4
9.	Stenographer	9
10.	Peon	4
11.	Sweeper	2
12.	Driver	2

LALITHA KUMAR, Jt. Secy.

ई–मेल

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या– 3024/9–आ–1–04–131 डीए/04

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,उ.प्र.

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 01 जुलाई, 2004**

विषयः उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् तथा समस्त विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों (रजिस्ट्री दस्तावेजों) पर संयुक्त सचिव/ओ.एस.डी. अथवा उनके समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों (रजिस्ट्री दस्तावेजों) पर हस्ताक्षर अभी तक निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा किये जाते रहे हैं। सम्पत्तियों के विक्रय विलेख अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। अतः इन विक्रय विलेखों के निस्तारण में होने वाली त्रुटियों के निराकरण एवं पारदर्शी प्रक्रिया के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि इसे सक्षम स्तर के अधिकारियों के अनुमोदन/हस्ताक्षर से ही निष्पादित कराया जाय।

2.अतः इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्काल प्रभाव से उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों पर संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष/उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायेंगे। जिन विकास प्राधिकरणों में संयुक्त सचिव तैनात नहीं हैं, वहां पर प्रान्तीय सिविल सेवा के विशेष कार्याधिकारी (ओ.एस.डी.) अथवा उनके समकक्ष वेतनमान के अधिकारियों द्वारा विक्रय विलेखों पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

3.कृपया उपर्युक्त आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करें एवं एक सप्ताह में अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या– 3024(1)/9–आ–1–04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, संबंधित मण्डल/विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को उपरोक्त सुनिश्चित कराने हेतु।
2. समस्त संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या– 2734/9–आ–1–04–51 विविध/04

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2004**

विषय : गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों/परिवारों की आय सीमा के निर्धारण के उपरान्त लाभान्वित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य योजना आयोग–1 के पत्र संख्या – 18एम (6)/ 35–आ–1/2004–12, दिनॉक 17.06.04 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रदेश में संचालित की जा रही योजनाओं में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों/परिवारों को अलग–अलग आय–सीमा के आधार पर लाभान्वित किया जा रहा है।

1. योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 के मूल्यों पर उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 331.40 प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में रु. 425.76 प्रति व्यक्ति प्रति माह की आय का आंकलन किया गया है जिस पर योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आंकलित आय–सीमा को 5 सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 19,884 प्रति परिवार प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में रु. 25,546 प्रति परिवार प्रतिवर्ष की वार्षिक आय सीमा माना जायेगा।

2. उक्त के संदर्भ में ही मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों/परिवारों को लाभान्वित करने हेतु जो योजनायें हैं, उनमें यदि राज्य के सीमित संसाधनों के कारण समस्त पात्र व्यक्तियों/परिवारों को लाभान्वित करना सम्भव न हो तो लाभार्थियों की प्राथमिकता इस प्रकार निर्धारित की जाये कि न्यूनतम आय वाले लाभार्थी पहले लाभान्वित हों। जिन योजनाओं में लाभार्थियों की पात्रता हेतु कोई अन्य आय सीमा भारत

ई–मेल / महत्वपूर्ण

संख्या– 1066 / 9–आ–1–2004–19जीडीए / 04

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2004

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा सृजित अचल सम्पत्तियों का पावर आफ एटार्नी के माध्यम से अन्तरण की अवधि दिनांक 31.12.04 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का अवलोकन करने का कष्ट करें। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा औद्योगिक विकास विभाग के अधीन नोएडा, ग्रेटर नोएडा उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम की अंचल सम्पत्तियों के जिन आवंटीगणों ने अचल सम्पत्तियों का अन्तरण एक अथवा अनेक पावर ऑफ एटार्नी से कर ली है, की समस्या के समाधान हेतु एक कार्य योजना दिनांक 31.03.03 तक के लिए जारी की गयी थी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–क.नि.–5–4526 / 11–2004–312 (286) / 2002 दिनांक 18.08.04 द्वारा उक्त कार्य योजना की अवधि दिनांक 31.12.04 तक जनहित में बढ़ा दी गयी है।

अतः कृपया संशोधित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस. मिश्र
सचिव।

<u>संख्या– 1066(1) / 9–आ–1–04 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विकास प्राधिकरणों से संबंधित मण्डलों के मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन एवं पंजीयन, उ.प्र. इलाहाबाद।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या– 4815/9–आ–1–04–52विविध/04

प्रेषक,

वी.के. मित्तल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 2 नवम्बर, 2004**

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा पूर्ण रूप से निर्मित कालोनियों का हस्तांतरण संबंधित निकायों यथा नगर निगम/नगर पालिका को किये जाने संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के अर्द्धशा.प.सं. 2337/9–आ–2–01, दिनांक 27.07.02 (प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा इस आशय के निर्देश दिये गये थे कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–34 तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित एवं पूर्ण रूप से निर्मित कालोनियों का हस्तांतरण निर्धारित प्रक्रिया/दिशा–निर्देश के अनुसार संबंधित निकायों को 2 माह के अन्दर सुनिश्चित कर दिया जाय। यह कार्यवाही मण्डलायुक्त के मार्गदर्शन में की जानी थी।

1. उक्त निर्देशों के बावजूद अभी तक अधिकांश कालोनियां संबंधित निकायों को हस्तांतरित नहीं की गयी हैं जिसके कारण उक्त कालोनियों के रख–रखाव की जिम्मेदारी संबंधित विकास प्राधिकरण तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् को उठानी पड़ रही है। साथ ही नागरिकों की सुविधाओं पर भी प्राधिकरणों को धनराशि व्यय करनी पड़ रही है। यह व्यवस्था उपरोक्त अधिनियम की व्यवस्था के विपरीत है।

2. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का मुख्य दायित्व नगरों का नियोजित विकास करना है किन्तु कालोनियों का हस्तान्तरण न होने के कारण प्राधिकरण/परिषद का अधिकतर स्टाफ नगरों के नियोजित विकास के अपने मूल उद्देश्य के विपरीत कालोनियों के रख–रखाव में व्यस्त है जिसके कारण नियोजित विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है।

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसी समस्त कालोनियाँ जो पूर्णरूप से निर्मित हो चुकी हैं, उनका हस्तांतरण संबंधित निकायों को उपर्युक्त इंगित शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था तथा निर्देश के अनुसार एक माह के अन्दर कराने का कष्ट करें।

4. उपर्युक्त कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

वी.के. मित्तल
मुख्य सचिव

संख्या 4815 (1)/9-आ-1-04, तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम/नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

जे.एस. मिश्र
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

संख्या : 5408/आठ–1–04–316 एलडीए/04

लखनऊ : दिनांक : 31 दिसम्बर, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

विभिन्न पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा पेट्रोल पम्प उपलब्ध कराये जाने की नीति को और सरलीकृत किये जाने तथा उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की योजनाओं व गैर योजनागत क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प की अनुमन्यता एवं नियोजन के संबंध में सुस्पष्ट मानक निर्धारित न होने के कारण पेट्रोल पम्प हेतु स्थल/भूखण्ड उपलबध कराये जाने हेतु मानक निर्धारित किये जाने के लिए एतद्द्वारा निम्न समिति का गठन किया जाता है :–

1.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ	अध्यक्ष/संयोजक
2.	अपर निदेशक (नियोजन) आवास बन्धु, लखनऊ।	सदस्य
3.	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ.प्र., आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य
4.	मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	सदस्य
5.	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	सदस्य
6.	मुख्य नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।	सदस्य
7.	पेट्रोलियम कम्पनी का प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)।	सदस्य

उक्त समिति पेट्रोल पम्प हेतु मानकों के निर्धारण के संबंध में अध्ययन एवं विमर्श के उपरान्त अपनी संस्तुति दिनांक 25.01.04 तक शासन को प्रस्तुत करेगी।

जे. एस. मिश्र
सचिव

<u>संख्या : 5408 (1)/आठ–1–04, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के संबंधित अधिकारीगण।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद, लखनऊ एवं कानपुर विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

हीरालाल गुप्ता
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

संख्या : 4976/9–आ–1–04–30केडीए/04 टीसी–2

लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

कानपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत गुटैया योजना संख्या–07 के ब्लाक–एल, के भूखण्ड संख्या–02 जिसे लक्ष्मण बाग सम्पत्ति कहा गया है, की भूमि को जे.के. काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि., कानपुर के नाम त्रुटिपूर्ण/विधि विरुद्ध नामान्तरण/फ्री–होल्ड की कार्यवाही जो तत्कालीन उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, श्री हीरामणि सिंह यादव (सम्प्रति निलम्बित) द्वारा की गयी है, के संबंध में न्याय विभाग/महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश से प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41(3) के अंतर्गत उक्त भूमि को पूर्व की प्रास्थिति में लाने तथा प्रकरण के संबंध में पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा निर्गत आदेशों को रिवाइज किये जाने के संबंध में संबंधित पक्षों को सुनने हेतु श्री हीरा लाल गुप्ता, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नामित किया जाता है।

2. इस संबंध में श्री हीरालाल गुप्ता, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अभिलेखों का परिशीलन व संबंधित पक्षों के पक्ष को सुनकर अपनी संस्तुति यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

<u>संख्या 4976 (1)/9–आ–1–04, तद्‌दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री हीरालाल गुप्ता, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री हीरामणि सिंह यादव, तत्कालीन उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण (सम्प्रति निलम्बित) एवं सम्बद्ध : सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
4. जे.के. काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि., कमला टावर, कानपुर।
5. गार्ड फाइल

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या : 5696/आठ–1–04–30 केडीए/04 टीसी–3
लखनऊ : दिनांक : 17 नवम्बर, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

शुद्धि–पत्र

कार्यालय ज्ञाप संख्या : 4976/9–आ–1–04–30 केडीए/04टीसी–2, दिनॉक 30.09.2004 के द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत गुटैया योजना संख्या–07 के ब्लाक–एल, के भूखण्ड संख्या–02 जिसे लक्ष्मण बाग सम्पत्ति कहा गया है, की भूमि को जे.के. काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि., कानपुर के नाम त्रुटिपूर्ण/विधि विरुद्ध नामान्तरण/फ्री–होल्ड की कार्यवाही तत्कालीन उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, श्री हीरामणि सिंह यादव (सम्प्रति निलम्बित) द्वारा किये जाने के फलस्वरूप न्याय विभाग/महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश से प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–41 (3) के अंतर्गत उक्त भूमि को पूर्व की प्रास्थिति में लाने तथा प्रकरण के संबंध में पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा निर्गत आदेशों को रिवाइज किये जाने के संबंध में संबंधित पक्षों को सुनने हेतु श्री हीरा लाल गुप्ता, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नामित किया गया है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30.9.04 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित है कि श्री हीरालाल गुप्ता, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन "अभिलेखों का परिशीलन व संबंधित पक्षों को सुनकर अपनी संस्तुति यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे", जबकि उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41 (3) के अंतर्गत उप–धारा– (3) में प्रयुक्त भाषा द.प्र.सं. की धारा–397 की उप–धारा–(1) में प्रयुक्त भाषा के समान है जो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को पुनरीक्षणीय शक्ति प्रदान करती है जिसका तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार को प्राधिकरण या अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणीय शक्ति है।

3. अस्तु उपरोक्त वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय–ज्ञाप दिनॉक 30.09.04 के प्रस्तर–2 को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

"कार्यालय–ज्ञाप दिनॉक 30.09.04 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित श्री हीरा लाल गुप्ता, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अभिलेखों का परिशीलन व संबंधित पक्षों को सुनकर अपनी संस्तुति यथा सहित शासन को उपलब्ध करायेंगे, के स्थान पर "अभिलेखों का परिशीलन व संबंधित पक्षों को सुनकर अपना निर्णय यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे", पढ़ा जाय।

4. अतः तद्नुसार कार्यालय–ज्ञाप 4976/9–आ–1–04–30 केडीए/04 टीसी–2, दिनॉक 30.09.04 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

रामवृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव

<u>संख्या : 5696(1)/आठ–1–04, तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री हीरा लाल गुप्ता, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री हीरामणि सिंह यादव, तत्कालीन उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण (सम्प्रति निलम्बित) एवं सम्बद्ध : सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष/सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
4. जे.के. काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि., कमला टावर, कानपुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रामवृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

संख्या : 5750/आठ–1–04–30 केडीए/04

लखनऊ : दिनांक : 9 नवम्बर, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत गुटैया योजना संख्या–7 के ब्लाक–एल के भूखण्ड संख्या–2 (लक्ष्मण बाग) की भूमि नामान्तरण/फ्री–होल्ड के संबंध में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध सुनवाई हेतु श्री हीरा लाल गुप्ता, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नामित किये जाने विषयक आदेशों के क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सुनवाई में अपेक्षित सूचना/अभिलेख/रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु एतद्द्वारा नामित किया जाता है :–

1. शासन स्तर पर — **श्री शिव जनम चौधरी,** अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन
2. प्राधिकरण स्तर पर — **श्री भूपेन्द्र सिंह,** सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

जे.एस.मिश्र
सचिव

<u>संख्या : 5750/आठ–1–04, तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव (बी), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव (एच), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. संबंधित अधिकारीगण।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

COMPLUMENTARY COPY

नजूल भूमि प्रबन्धन

संख्या– 1688/आठ–4–2004–152एन/2000

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,**
   लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 **लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर, 2004**

विषयः प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पट्टागत नजूल भूमि पर अवस्थित राजकीय कार्यालयों के पक्ष में नजूल भूमि का आवंटन निःशुल्क किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पट्टागत नजूल भूमि पर राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय किरायेदार अथवा रेन्ट कन्ट्रोल के किरायेदार के रूप में काबिज है तथा पट्टाधारक एवं उनके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा प्रश्नगत पूर्व पट्टागत/पट्टागत नजूल भूमि को फ्री–होल्ड कराये जाने हेतु स्वमूल्यांकन की धनराशि जमा कर आवेदन किया गया है। शासन के संज्ञान में यह बात भी लायी गयी है कि कतिपय मामलों में पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा जारी डिमाण्ड नोटिस के सापेक्ष फ्री–होल्ड हेतु देय सम्पूर्ण धनराशि भी जमा कर दी गयी है, परन्तु विधिक डीड जारी किया जाना अभी शेष है।

2. उपरोक्त प्रकार के समस्त मामलों में एवं पट्टागत नजूल भूमि/समाप्त पट्टे की नजूल भूमि, जिस पर राजकीय कार्यालय स्थित है, को पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी आदि के पक्ष में फ्री–होल्ड किये जाने के स्थान पर सम्बन्धित सरकारी कार्यालय के पक्ष में आरक्षित रखे जाने अथवा आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) नजूल की जिस भूमि का वर्तमान में शासकीय (कार्यालय, आवास या अन्य प्रयोजन हेतु) प्रयोग हो रहा हो उनके पट्टे की अवधि यदि समाप्त हो गयी हो तो इसे फ्रीहोल्ड/नवीनीकरण तब तक न किया जाये जब तक कि उपयोगकर्ता विभाग द्वारा लिखित रूप में यह सूचित न किया जाये कि अब उन्हें इस भूमि की आवश्यकता शासकीय उपयोग के लिये नहीं है।

(2) उपयोगकर्ता प्रशासकीय विभाग को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि जब वे इस आशय का पत्र आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को लिखें तो इस बात को भी स्पष्ट करें कि जिस नजूल भूमि को वे खाली कर रहे हैं उस पर स्थित अपने कार्यालय/आवास/अन्य प्रयोजन का कहां स्थानान्तरित कर रहे हैं तथा वह परिसर उन्हें कितनी धनराशि में उपलब्ध हो रहा है।

(3) ऐसे प्रकरण जहां पट्टागत भूमि का आंशिक रूप से शासकीय प्रयोग हो रहा है तथा आंशिक रूप से यह पट्टाधारक के कब्जे में है उसमें यदि शासकीय प्रयोग वाले विभाग को अपने विभागीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु भूखण्ड/भवन की आवश्यकता है तो पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पूरी भूमि प्रशासकीय विभाग को आवंटित कर दी जायेगी।

(4) शासकीय विभाग को पट्टे की आंशिक भूमि की ही आवश्यकता है तो शेष भूमि पट्टाधारक के पक्ष में फ्रीहोल्ड कर दी जाये।

(5) उपर्युक्त प्रकार के शासकीय प्रयोजन की भूमि को शासकीय विभाग के पक्ष में आवंटित करने या पट्टेदार के पक्ष में फ्रीहोल्ड करने से संबंधित आदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(6) जिन मामलों में पूर्व में तत्समय प्रचलित नजूल नीति के अन्तर्गत पट्टाधारकों के पक्ष में फ्रीहोल्ड करने हेतु स्वमूल्यांकन धनराशि जमा की जा चुकी है परन्तु फ्रीहोल्ड डीड निष्पादित नहीं की गयी है, उनमें भी शासकीय कार्यालय स्थित होने तथा उसके उपयोग के लिये आवश्यकता होने की स्थिति में फ्रीहोल्ड करने से मना किया जा सकेगा और जमा स्वमूल्यांकन धनराशि जमाकर्ता को सब्याज वापस कर दी जायेगी।

3. इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया है कि पट्टागत नजूल भूमि पर स्थित ऐसे सरकारी कार्यालय जो किरायेदार की हैसियत से इस शासनादेश जारी होने की तिथि से विगत 3 वर्ष से अधिक की अवधि से स्थापित है और पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसी दशा में राज्य सरकार द्वारा पुनर्प्रवेश का अधिकार प्राप्त होने के कारण सम्बन्धित पट्टागत नजूल भूमि पर पुनः प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त प्रश्नगत नजूल भूमि को सम्बन्धित सरकारी कार्यालय के पक्ष में निःशुल्क आवंटित की जायेगी।

4. उपरोक्त प्रकार के समस्त मामलों में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित नजूल भूमि सम्बन्धित सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक विभाग द्वारा निःशुल्क आबंटित किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– ई–3–1001–x–04, दिनांक 28.9.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जे.एस. मिश्र
सचिव

<u>संख्या–1688/(1) आठ–4–2004–152एन/2000 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष राजस्व परिषद उ.प्र. इलाहाबाद।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. समस्त स्थानीय निकाय, उ.प्र.।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6/8
8. गोपन अनुभाग–1

आज्ञा से

हीरालाल गुप्ता
विशेष सचिव

महायोजनायें

शीर्षप्राथमिकता

संख्या– 1941/9–आ–3-2003–62रिट/2003

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ.प्र.।
3. **नियत प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 28 जून, 2004**

विषयः महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

रिट याचिका संख्या– 34957/2003 श्रीमती मिथिलेश जैन (आगरा) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.08.2003 को दिये गये निर्णय के अनुपालन में महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–सी.एस.–89(1)/9–आ–3–2003–62 रिट/ 2003 दिनांक 10 नवम्बर, 2003 द्वारा कार्यवाही हेतु समस्त अभिकरणों को निर्देशित किया गया था। उक्त शासनादेश, शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गये नीतिगत शासनादेशों के अनुक्रम में जारी किया गया था।

2. रिट याचिका संख्या–34957/2003 को मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 22.09.2003 को निरस्त किए जाने का संज्ञान शासन को प्राप्त हो जाने के उपरान्त, शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर, 2003 में आंशिक संशोधन करते हुए, रिट याचिका संख्या–34957/2003 श्रीमती मिथिलेश जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ को हटाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर, 2003 में से रिट याचिका संख्या– 34957/2003 श्रीमती मिथिलेश जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संदर्भ में उल्लिखित प्राविधान को एतद्द्वारा हटाया जाता है। शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे एवं तद्नुसार समस्त अभिकरणों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अधिशाषी निदेशक आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामवृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव।

संख्या– 2043/9–आ–3–2004–4 महा/2004

प्रेषक,

एच.एल. गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
मुरादाबाद

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2004

विषयः सम्भल महायोजना, 2021 की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. के पत्र संख्या– 822/व.नि. (5)/सम्भल/म.यो./2004–05, दिनांक 4.6.04 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 के निदेश, 1960 के निदेश संख्या–10 (क)(7) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा सम्भल महायोजना, 2021 पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अनुमोदित महायोजना की एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया सम्भल महायोजना, 2021 पर शासन की स्वीकृति की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहां पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सके। प्रकाशित समाचार–पत्र की पेपर कटिंग शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

3. महायोजना समाचार–पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

संलग्नक : महायोजना की प्रति हस्ताक्षरित प्रति।

भवदीय,

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि :– स्वीकृत महायोजना की एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. को उनके पत्र दि. 4–6–04 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव

संख्या– 351/9–आ–3–2004–2 महा/2004

प्रेषक,

एच. एल. गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
मऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक : 17 अगस्त, 2004**

विषयः मऊनाथ भंजन महायोजना, 2021 की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. के पत्र संख्या–56/व.नि. (4)/मऊनाथ भंजन/म.यो./2003–04, दिनांक 20–1–04 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 के निदेश, 1960 के निदेश संख्या–10(क) (7) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा मऊनाथ भंजन महायोजना, 2021 पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अनुमोदित महायोजना की एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया मऊनाथ भंजन महायोजना, 2021 पर शासन की स्वीकृति की सूचना किन्ही दो प्रमुख स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करे। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहां पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सके। प्रकाशित समाचार–पत्र की पेपर कटिंग शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. महायोजना समाचार–पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

संलग्नक : महायोजना की प्रति हस्ताक्षरित प्रति।

भवदीय

एच.एल. गुप्ता
विशेष सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>

प्रतिलिपि– स्वीकृत महायोजना की एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. को उनके पत्र दि. 20–1–04 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव

संख्या– 2350/9–आ–3–04–6 महा./2003

प्रेषक,

एच. एल. गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक : 20 अगस्त, 2004

विषयः आगरा महायोजना (2021) पर शासन की अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या– 136/ जी.डी./सी.ए.पी./2003–दिनांक 2.08.2003, अग्रेतर अन्य प्रेषित पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा महायोजना (2021) को उत्तर प्रदेश (नगर नियोजन एवं विकास) अधिनियम 1973 की धारा–10 के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मा. उच्च न्यायालय एवं मा. सर्वोच्च न्यायालय के जो भी आदेश हों, वह प्रभावी हों।

3. महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र की स्वीकृति/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

4. कृपया आगरा महायोजना (2021) शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहां पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

5. महायोजना समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी। कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

भवदीय,

एच.एल. गुप्ता
विशेष सचिव

<u>संख्या– 2350(1)/9–आ–3–2004–6 महा/2003 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उक्त महायोजना के संबंध में शासन को प्रेषित पत्र संख्या– 58/ व.नि.(1)/महा.–आगरा/03–04 दिनांक 18.09.2003 एवं अग्रेतर पत्र संख्या–26/व.नि.(1)/महा.–आगरा/03–04 दिनांक 24.11.2003, पत्र संख्या–2513/व.नि.(1)/महा.–आगरा/ 03–04 दिनांक 19.12.2003, पत्र संख्या–132/व.नि. (1)/महा–आगरा/04–05 दिनांक 16.06.2004 तथा पत्र संख्या– 139/व.नि. (1) /महा.–आगरा/ 04–05 दिनांक 26.06.2003 के संदर्भ में स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

आज्ञा से,

शिवजनम चौधरी
अनुसचिव।

संख्या— 3036/9—आ—3—2004—17 महा/2003

प्रेषक,

एच. एल. गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

बुलन्दशहर—खुर्जा विकास प्राधिकरण,

बुलन्दशहर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 **लखनऊ दिनांक : 15 सितम्बर, 2004**

विषयः सिकन्दराबाद महायोजना, 2021 की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—2458/वि.प्रा./04.05 दिनांक 2—8—04 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा—10 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा सिकन्दराबाद महायोजना, 2021 पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अनुमोदित महायोजना की एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया सिकन्दराबाद महायोजना, 2021 पर शासन की स्वीकृति की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार—पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहां पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सके। प्रकाशित समाचार—पत्र की पेपर कटिंग शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. महायोजना समाचार—पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

संलग्नक : महायोजना की प्रति हस्ताक्षरित प्रति।

भवदीय

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि :— स्वीकृति महायोजना की एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. को उनके पत्र दि. 3—6—04 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

एच.एल. गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या— 5091/8—आ—3—2004—11 महा/2000 टी.सी.

प्रेषक,

एच. एल. गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,
झॉसी विकास प्राधिकरण,
झांसी।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3

लखनऊ दिनांक : 20 दिसम्बर, 2004

विषयः झांसी महायोजना, 2021 पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. के पत्र संख्या— 1151/व.नि (2)/झांसी महायोजना/04—05 दिनांक 17—12—2004 के माध्यम से झॉसी महायोजना, 2021 अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित झांसी महायोजना 2021 में आपत्ति संख्या— 108 (स्थल संख्य—51) व आपत्ति संख्या— 355 (स्थल संख्या— 64) के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति को न मानते हुए झांसी महायोजना 2021 का उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा—10 के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र की स्वीकृति/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया झांसी महायोजना, 2021 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार—पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहॉ पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सके।

3. महायोजना समाचार—पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी। कृपया समाचार—पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोवत। (महायोजना की अनुमोदित प्रति)

भवदीय

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव।

जोनिंग रेगुलेशन्स

संख्या– 543/9–आ–3–2004–72 वि./94 (आ.व.)

प्रेषक,

एच. एल. गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक : 03 सितम्बर, 2004**

विषयः लखनऊ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के संबंध में कृपया निम्न शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :–

(1) शासनादेश संख्या–2898/ 9 –आ–3–2003/72 विविध/94 दिनांक 30.06.2001

(2) शासनादेश संख्या–379/ 9 –आ–3–2003/72 विविध/ 94 दिनांक 25.01.2002

(3) शासनादेश संख्या– 3701/ 9–आ–3–2003/72 विविध/94 दिनांक 24.09.2002

2. उपर्युक्त शासनादेशों के अधीन यह अपेक्षा की गई थी कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में अंगीकृत करने के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाए। आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स लगभग सभी विकास प्राधिकरणों द्वारा अंगीकृत किए जा चुके हैं, परन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि लखनऊ की महायोजना के पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है, अतः आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स पुनरीक्षित महायोजना के साथ ही अंगीकृत किया जाना उचित होगा।

3. उल्लेखनीय है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को जारी हुए लगभग 3 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक उक्त रेगुलेशन्स को अंगीकृत नहीं किया गया है जिसके कारण प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रचलित जोनिंग रेगुलेशन्स में विषमता उत्पन्न हो गयी है। फलस्वरूप, लखनऊ महायोजना से सम्बन्धित कतिपय उपयोगों/क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बंध में शासन के मार्गदर्शन हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं हो रहा है।

4. अतएव, मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि शासनादेश संख्या– 379/–9–आ–3–2003/–72 विविध/94 दिनांक 25.01.2002 शासनादेश संख्या–3701/9–आ–3–2003–72–विविध/94 दिनांक 24.09.2002 द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को लखनऊ महायोजना प्रस्तावों के दृष्टिगत आवश्यक परिष्कारों सहित एक माह के अन्दर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में अंगीकृत करने के उपरान्त शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एच.एल. गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या–543(1)/9–आ–3–2003– 72 विविध/94 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास, प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

शिवजनम चौधरी
अनुसचिव

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि

संख्या–1806/9–आ–3–2004–42 वि./99

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक : 8 जून, 2004**

विषयः मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानको में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 4218/ 9–आ–3–99–42 वि./99 दिनांक 14.12.2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 (V) में मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर निर्धारित की गयी है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मल्टीप्लैक्सेज के निर्माण हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मी. निर्धारित करने के कारण ऐसे स्थलों पर जिन पर मार्ग की चौड़ाई 24 मी. से कम है, मल्टीप्लैक्स का निर्माण स्वीकृत करने में कठिनाई आ रही है। इसके दृष्टिगत यह अनुरोध किया गया है कि मल्टीप्लैक्स 18 मी. चौड़े पहुंच मार्ग पर भी उस दशा में अनुमन्य करने पर विचार किया जाए जब प्रश्नगत भूखण्ड इस प्रकार स्थित हो कि पहुंच मार्ग के दूसरी ओर यातायात उत्पन्न करने वाले कोई क्रियाकलाप न तो विद्यमान हों और न भविष्य में ऐसे कोई क्रियाकलाप प्रस्तावित होने की सम्भावना हो, जिससे अतिरिक्त यातायात उत्पन्न हो सके।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 4218/9–आ–3–99–42वि./99 दिनांक 14.12.2000 के प्रस्तर–2(ट) में तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन किए जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

"परन्तु मार्ग जिस पर प्रश्नगत भूखण्ड स्थित है, के दूसरी ओर एक छोर (जंक्शन) से दूसरे छोर (जंक्शन) तक वर्तमान में ऐसे क्रिया–कलाप यथा हरित पट्टिका, जलाशय, पार्क एवं नदी आदि भू–उपयोग विद्यमान हों, जिनसे यातायात उत्पन्न होने की संभावना न हो एवं भविष्य में ऐसे कोई क्रिया–कलाप प्रस्तावित न हो जिनसे यातायात उत्पन्न होने की संभावना हो तो ऐसी दशा में मल्टीप्लैक्स 24 मी. चौड़े मार्ग के स्थान पर 18 मी. चौड़े पहुंच मार्ग पर भी अनुमन्य होगा।"

यह भी स्पष्ट करना है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 14.12.2000 में निर्धारित पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मी. उक्त विशिष्ट रूप से स्थित स्थलों को छोड़कर मल्टीप्लैक्स के अन्य प्रकरणों पर यथावत लागू रहेंगी।

3. कृपया शासनादेश संख्या – 4218/9–आ–3–99–42वि./99, दिनांक 14.12.2000 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएं एवं मल्टीप्लैक्स के निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करते समय तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। शासनादेश दिनांक 14.12.2000 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या–1806 (1)/9–आ–3–2004–42वि./99 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या–49/व.नि. (1) यू.पी.–रेडको/03–04, दि.24.02.04 के क्रम में सूचनार्थ।
8. अपर निदेशक नियोजन, आवास बन्धु, को इस निदेश के साथ कि भवन उपविधि 2000 में उक्त संशोधन समायोजित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव।

संख्या– 1806(2)/9–आ–3–2004–42 वि./ 99 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारियों/नियत प्राधिकारियों को उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव

संख्या– 3242/9–आ–3–.004–42 विविधि/97

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक : 16 सितम्बर, 2004**

विषयः मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों में आवश्यक परिष्कार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 4218/9–आ–3–99–42 वि./99 दिनांक 14.12.2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 (V) में 'मल्टीप्लैक्स के निर्माण हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर निर्धारित की गयी है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मल्टीप्लैक्सेज के निर्माण हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मी. निर्धारित करने के कारण ऐसे स्थलों पर जिन पर मार्ग की चौड़ाई 24 मी. से कम है, मल्टीप्लैक्स का निर्माण स्वीकृत करने में कठिनाई आ रही है। इसके दृष्टिगत यह अनुरोध किया गया है कि मल्टीप्लैक्स 18 मी. चौड़े पहुंच मार्ग पर भी उस दशा में अनुमन्य करने पर विचार किया जाए जब प्रश्नगत भूखण्ड इस प्रकार स्थित हो कि पहुंच मार्ग के दूसरी ओर यातायात उत्पन्न करने वाले कोई क्रियाकलाप न तो विद्यमान हों और न भविष्य में ऐसे कोई क्रियाकलाप प्रस्तावित होने की सम्भावना हो, जिससे अतिरिक्त यातायात उत्पन्न हो सके।

2.इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 4218/9–आ–3–99–42 वि./99 दिनांक 14.12.2000 के प्रस्तर– 2 (V) में तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन किए जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:–

"परन्तु मार्ग जिस पर प्रश्नगत भूखण्ड स्थित है, के दूसरी ओर एक छोर (जंक्शन) से दूसरे छोर (जंक्शन) तक वर्तमान में ऐसे क्रिया–कलाप यथा हरित पट्टिका, जलाशय, पार्क एवं नदी आदि भू–उपयोग विद्यमान हों, जिनसे यातायात उत्पन्न होने की संभावना न हो एवं भविष्य में ऐसे कोई क्रिया कलाप प्रस्तावित न हो जिनसे यातायात उत्पन्न होने की संभावना हो तो ऐसी दशा में मल्टीप्लैक्स 24 मी. चौड़े मार्ग के स्थान पर 18मी. चौड़े पहुंच मार्ग पर भी अनुमन्य होगा।"

3.इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–1806/9–आ–3–04–42 विविध/99, दिनांक 8–6–04 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जाती है कि कृपया संलग्न शासनादेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में मल्टीप्लेक्स की अनुज्ञा प्रदान करते समय आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

जे.एस. मिश्र
सचिव।

<u>**संख्या – 3242(1)/9–आ–3–04, तद्दिनांक**</u>

प्रतिलिपि कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 को पत्र संख्या–1080/11–क.नि.–6–2004–वीस–एम(158)99 टी.सी., दिनांक 13–8–04 के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव

संख्या :- 4262/9-आ-1-29 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ.प्र.।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2004

विषयः विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में बेसमेन्ट, स्टिल्ट फ्लोर, सेट बैंक तथा "निर्मित क्षेत्र" में पुनर्विकास/पुनर्निर्माण के मानकों में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में लागू आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 मुख्यतः नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर तैयार की गई थी। शासन की अपेक्षानुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण भवन उपविधि के अध्ययनोपरान्त आदर्श भवन निर्माण एवं विकासं उपविधि, 2000 के अन्तर्गत बेसमेन्ट, स्टिल्ट फ्लोर तथा सेट बैक के प्राविधानों में संशोधन हेतु कतिपय सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे जिन पर आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की दिनांक 5.8.2003 को आयोजित समीक्षा बैठक में विमर्श हुआ था।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त बैठक में स्थिर हुए मन्तव्य के आधार पर विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अन्तर्गत बेसमेन्ट, स्टिल्ट फ्लोर, सेट-बैक एवं निर्मित क्षेत्र में पुनर्विकास/पुनर्निर्माण के प्राविधानों में शासन द्वारा निम्नलिखित परिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अध्याय-3, भाग-9 (भूगेह/बेसमेन्ट) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाए

भाग- 9 बेसमेन्ट

3.9.1 संरचना/प्रयोजन

(I) बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोईघर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

(II) आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।

(III) "बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पत्तियों से न्यूनतम 2 मीटर की दूरी पर अनुमन्य होगा"।

(IV) बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा, अनुमन्य से भिन्न प्रयोजन होने पर बेसमेन्ट की गणना तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर.) में की जायेगी :-

(क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण,

(ख) डार्करूम, कोषकक्ष, बैंक सेलर, आदि,

(ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनों जो भवन की अनिवार्य संरक्षा के लिए लगायी जाएं,

(घ) पार्किंग स्थल तथा गैराज,

(ड.) पुस्तकालयों के भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम),

(च) वातानुकूलन होने पर कार्यालय और वाणिज्यिक प्रयोजन, परन्तु इसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।

3.3.2 बेसमेन्ट के लिए अपेक्षाएं

(I) बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग फर्श से सीलिंग तक न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधिकतम 4.0 मीटर ऊंचा होगा। बेसमेन्ट की ऊंचाई, निर्धाति ऊंचाई से अधिक होने की दशा में बेसमेन्ट के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर में की जाएगी।

(II) बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जाएगा। संवातन की कमी यान्त्रिक संवातन द्वारा पूरी की जाएगी और इसके लिए ब्लोअर, एक्जास्ट पंखे अथवा वातानुकूलन प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।

(III) बेसमेन्ट की भीतरी छत संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 0.9 मीटर तथा अधिकतम 1.2 ऊंची मीटर होगी।

(IV) सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाए, इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

(V) आस–पास की मिट्टी और नमी को ध्यान में रखते हुए नमीरोधी उपचार की भी व्यवस्था करनी होगी।

(VI) कार्यालय और वाणिज्यिक उपयोग हेतु बेसमेन्ट में पर्याप्त संख्या में द्वारों का प्राविधान करना होगा ताकि 15 मीटर से अधिक न चलना पड़े।

(VII) ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक तथा कार्यालय भवनों में प्रथम बेसमेन्ट के नीचे दूसरे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा, बशर्तें इसमें पर्याप्त संवातन की व्यवस्था हो।

(VIII) स्टिल्ट फ्लोर के नीचे यदि पार्किंग हेतु बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है अथवा भवन के बाहर एक्सटेन्डिड बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है, तो बेसमेन्ट की छत भूतल के लेविल में होगी और उसमें मैकेनिकल वैन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी तथा स्लैब का स्ट्रक्चर/डिज़ाइन, आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।

3.3.3 बेसमेन्ट के प्राविधान

(I) विभिन्न प्रकृति के भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण प्रस्तर– 1.1.4 में वर्णित प्रयोजनों हेतु आगे दी गई तालिकानुसार अनुमन्य होगा :–

तालिका

क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	भू–उपयोग की प्रकृति	बेसमेन्ट के प्राविधान
1.	100 तक	1.1 आवासीय/अन्य गैर–व्यवसायिक	1.1 अनुमन्य नही
		1.2 व्यवसायिक	1.2 अनुमन्य भू–आच्छादन का 50 प्र.
2.	101 – 500	2.1 आवासीय/अन्य गैर–व्यवसायिक	2.1 अनुमन्य भू–आच्छादन का 20 प्र.
		2.2 व्यवसायिक	2.2 अनुमन्य भू–आच्छादन के बराबर
3.	500 से अधिक परन्तु 2000 से कम	3. समस्त भू–उपयोग	3. बिल्डिंग इन्वेल्प लाईन' तक सिंगल बेसमेन्ट
4.	2000 एवं अधिक	4.1 ग्रुप हाउसिंग/ बहुमंजिले	4.1 बिल्डिंग इन्वेल्प लाईन तक डबल

भवन	बेसमेन्ट
4.2 औद्योगिक	4.2 अनुमन्य भू–आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर. में होगी।
4.3 सामुदायिक सुविधाएं	4.3 बिल्डिंग इन्वेल्प लाईन तक सिंगल बेसमेन्ट

'बिल्डिंग इन्वेलप लाइन' का तात्पर्य भूखण्ड के सेट बैक लाइनों तक आच्छादित पूरे क्षेत्रफल से है।

(II) 2000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिले भवनों में भू–आच्छादन एवं 'बिल्डिंग इन्वेल्प लाईन' की सीमा के मध्य बेसमेन्ट की ऊंचाई भूतल के लेविल में होगी ताकि सड़क का निर्माण या लैण्डस्केपिंग सम्भव हो सके।

(III) उपरोक्त तालिका के क्रमांक–3 एवं 4 में उल्लिखित समस्त प्रकृति के भू–उपयोगों/भवनों में प्राविधानित 'एक्सटेन्डिड' बेसमेन्ट को केवल पार्किंग के ही उपयोग में लाया जाएगा, अन्य कोई भी उपयोग निषिद्ध होगा।

(2) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय–3 भाग–3 प्रस्तर–3.3.4. को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाए :–

3.3.4 स्टिल्ट फ्लोर

(क) एकल आवासीय भवन

(I) एकल आवासीय भवनों में पार्किंग हेतु स्टिल्ट का निर्माण केवल ऐसे भूखण्डों पर अनुमन्य होगा जहां क्रय–योग्य यूनिट्स की अनुमति दी जाएं। स्टिल्ट फ्लोर की अधिकतम ऊंचाई 2.6 मीटर होगी। स्टिल्ट फ्लोर के साथ बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नही होगा; स्टिल्ट फ्लोर एवं बेसमेन्ट दोनों में से केवल एक का ही निर्माण अनुमन्य होगा। स्टिल्ट फ्लोर के अन्तर्गत किया गया अनाधिकृत निर्माण शमनीय नहीं होगा।

(II) "एकल आवासीय भवन की अधिकतम ऊंचाई स्टिल्ट सहित 12.5 मीटर तथा स्टिल्ट रहित 10 मीटर होगी।

(III) पूर्व विकसित क्षेत्रों में 'सेमी–डिटेच्ड' एवं 'डिटेच्ड' भूखण्डों पर स्टिल्ट अनुमन्य किए जाने की दशा में पार्श्व में 1.0 मीटर अतिरिक्त सैट–बैक का प्राविधान अनिवार्य होगा ताकि अगल–बगल स्थित भवनों की लाईट एवं वैन्टीलेशन व्यवस्था बाधित न हो।

(ख) ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिले भवन

ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिले भवनों में स्टिल्ट फ्लोर अनुमन्य होगा जिसकी अधिकतम ऊंचाई 2.6 मीटर होगी। स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग पार्किंग, लैण्डस्केपिंग तथा खेल के उपयोगार्थ अनुमन्य होगा जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु स्टिल्ट फ्लोर के नीचे यदि बेसमेन्ट का निर्माण किया जाता है तो उसकी छत भूतल की सतह के लेविल में होगी तथा स्लैब के स्ट्रक्चर की डिजाइन फायर टेण्डर के भार को वहन करने की क्षमता के अनुरूप होगी। ऐसी दशा में बेसमेन्ट में मैकेनिकल वैन्टीलेशन का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय–3, भाग–4, : सेट बैक की टिप्पणी प्रस्तर– I, II ,IV व VI को क्रमशः निम्न से प्रतिस्थापित किया जाए :–

भाग– 4 : सेट–बैक

(I) 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर पीछे के सैट बैक में 40 प्रतिशत अतिरिक्त भू–आच्छादन अनुमन्य होगा जिस पर अधिकतम 7.0 मीटर ऊंचाई का निर्माण अनुमन्य होगा।

(II) नए सब–डिवीजन में कोने के भूखण्ड में पार्श्व का सैट–बैक सम्बन्धित भूखण्ड के फ्रन्ट सैट–बैक के समान होगा। अन्य क्षेत्रों में यदि ले–आउट प्लान के अन्तर्गत सेट–बैक निर्धारित नहीं है, तो समस्त प्रकृति के निर्माण में 500 वर्ग मीटर तक के कोने के भूखण्डों में पार्श्व का न्यूनतम सैट–बैक 1.5 मीटर तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के कोने के भूखण्डों में पार्श्व सैट–बैक भवन उपविधि, 2000 के प्राविधानों के अनुसार होगा।

(IV) नियोजित रूप से विकसित क्षेत्र/योजना में किसी भूखण्ड का सब–डिवीजन मूल भूखण्ड के सैट–बैक, भू–आच्छादन व एफ.ए.आर के अन्तर्गत ही किया जा सकेगा तथा उप–विभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा जो न्यूनतम 9 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग से सेवित होगा। उप–विभाजित भूखण्डों पर आवासीय इकाइयों की संख्या मूल भूखण्ड हेतु अनुमन्य इकाइयों के अनुपात में अनुमन्य होगी।

(VI) तालिका 3.4.1 में निर्दिष्ट सेट बैक नए सब–डिवीजन/ले–आउट में लागू होंगे।

(4) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय–2, भाग–5 के शीर्षक तथा प्रस्तर– 2.5.1 के उपरान्त के प्राविधानों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाए :–

भाग– 5 : 'निर्मित क्षेत्र' में पुनर्विकास/पुनर्निर्माण

2.5.1.1 निर्मित क्षेत्र में विद्यमान सड़क की चौड़ाई 4.0 मीटर से कम होने पर भूखण्ड का अग्र भाग सड़क की मध्य रेखा से 2.0 मीटर की दूरी पर होगा एवं इसके उपरान्त फ्रन्ट सेट बैक प्रस्तर– 2.5.1.4 में दी गई तालिका के अनुसार छोड़ा जाएगा।

2.5.1.2 'निर्मित क्षेत्र' में किसी भी क्षेत्रफल के भूखण्ड पर क्रय–योग्य इकाइयाँ अनुमन्य नहीं होंगी।

2.5.1.3 'निर्मित क्षेत्र' में 0.3 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड का सब–डिवीजन नए क्षेत्रों के सब–डिवीजन रेगुलेशन्स के अनुसार अनुमन्य होगा तथा उप–विभाजित भूखण्डों पर क्रय–योग्य इकाईयां अनुमन्य नहीं होंगी।

2.5.1.4 300 वर्ग मीटर तक के एकल भूखण्डों पर भवन के पुनर्निर्माण की अनुज्ञा हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भू–आच्छादन, एफ.ए.आर., सैट–बैक तथा बेसमेन्ट के प्राविधान निम्न तालिकानुसार होंगे :–

तालिका

क्रमांक	निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं	समस्त प्रकृति के निर्माण हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)		
		100 तक	101–200	201–300
1.	भू–आच्छादन	75 प्रतिशत	75 प्रतिशत	70 प्रतिशत
2.	एफ.ए.आर.	2.0	1.75	1.75
3.	फ्रन्ट सैट–बैक	1.2 मीटर	2.0 मीटर	3.0 मीटर
4.	बेसमेन्ट	अनुमन्य नही	अनुमन्य नहीं	भू–आच्छादन का 25 प्रतिशत

2.5.1.5 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर पुनर्निर्माण की अनुज्ञा नए क्षेत्रों के बाई–लॉज के अनुसार देय होगी।

2.5.1.6 एकल आवास के अतिरिक्त अन्य विकास अथवा निर्माण कार्यों हेतु अनुज्ञा महायोजना, जोनल प्लान तथा भवन उपविधि, 2000 के प्राविधानों के अनुसार देय होगी।

टिप्पणी :

(I) 100 वर्ग मीटर तक के कोने के भूखण्डों में साईड सैट बैक अनिवार्य नही होगा, जबकि 101 से 300 वर्ग मीटर के कोने के भूखण्डों हेतु साइड सैट, बैंक 1.0 मीटर होगा।

(II) सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम होने की दशा में व्यवसायिक भूखण्डों हेतु बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

(III) एकल भवनों की अधिकतम ऊंचाई विद्यमान सड़क की चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रन्ट सैट–बैक के योग का डेढ़ गुना परन्तु अधिकतम 12.5 मीटर होगी।

3. कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में उपर्युक्त संशोधनों का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में अंगीकृत कराकर एक माह के अन्दर शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि बोर्ड बैठक आयोजित होने में विलम्ब हो तो परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित कराने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या 4262(1)/9–आ–1–29 विविध/98(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

अनधिकृत निर्माण का शमन

संख्या :– 355/9–आ–3–2004–215 काम्प/2003

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ.प्र.।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2004**

विषयः रिट याचिका संख्या–2435 (एम/बी)/2001, निशातगंज रेजीडेन्टस वेलफ़ेयर सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2004 का प्रभावी अनुपालन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक रिट याचिका में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2004 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ शहर के सुनियोजित विकास तथा प्रदेश की राजधानी होने के कारण इसे आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित किए जाने एवं मूल भूत जनसुविधाओं से युक्त बनाये जाने की दिशा में सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाये जाने, अवैध निर्माण को गिराये जाने, बहुमंजिला इमारतों के साथ समुचित पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने, शमनीय निर्माणों को ही विनियमित किए जाने, मास्टर प्लान के विरुद्ध किये जा रहे भू–उपयोग पर अंकुश लगाये जाने, ग्रीन बेल्ट का मूल स्वरूप बनाये रखने एवं उसमें हुए अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किए जाने, हेरीटेज जोन में बहुमंजिलें इमारतें बनाये जाने की अनुज्ञा न दिये जाने एवं इस जोन के मूलस्वरूप को संरक्षित रखने तथा नगर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को और अधिक विकसित किए जाने के निर्देश विशिष्ट रूप से दिये गये हैं।

2. जहां तक सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाये जाने तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने के संबंध में समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किए जाने तथा मास्टर प्लान में निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत किए गये निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किए जाने का बिन्दु है, इस संबंध में शासन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश शासनादेश संख्या– 2432/9–आ–1–अतिक्रमण/03 (आ.ब.) दिनांक 4.4.2003 के माध्यम से प्रसारित किए जा चुके हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिपालन में पुनः यह अपेक्षा की जाती है कि अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु स्थानीय निकाय/अभिकरणों जिला एवं पुलिस प्रशासन का समुचित सहयोग प्राप्त करते हुए समन्वित रूप से अभियान चलाया जाए और समयबद्ध कार्ययोजना के तहत अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण चिन्हित करते हुए उन्हें हटाये जाने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाय। अतिक्रमण हटाओ अभियान में भेदभाव न करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि पर पुनः अतिक्रमण न होने पाए।

3. बहुमंजिले भवनों के साथ समुचित पार्किंग व्यवस्था के संबंध में विकास प्राधिकरणों को समय–समय पर दिशानिर्देश निर्गत किए गये हैं और इस निमित्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000, जो नेशनल बिल्डिंग कोड पर आधारित है, के अन्तर्गत निर्धारित मानको का कड़ाई से अनुपालन मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि बहुमंजिली इमारतों में पार्किंग के लिए चिन्हित बेसमेंट का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए कदापि न होने पाये और इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश भी लगाया जाये।

4. मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गये आदेशों में मास्टर प्लान में निर्दिष्ट भू–उपयोग के विपरीत विशेषकर आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के संचालन पर आपत्ति व्यक्त की गयी है और ऐसे अनधिकृत निर्माण/प्रयोग को शमन किए जाने की प्रक्रिया को अवैध ठहराया गया है तथा इन्हें तत्काल हटाये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस संबंध में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–34957/2003, मिथिलेश जैन आगरा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2003 को पारित आदेशों के क्रम में शासनादेश संख्या–सी.एस. –89(1)/9–आ–3–2003–62 रिट/2003 दिनांक 10.11.2003 द्वारा मास्टर प्लान में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रहे व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने सम्बंधी आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या– 2444/9–आ–1–2001 दिनॉक 15.05.2001 द्वारा नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में भूमि/भवन के अवैध उपयोग के विरुद्ध उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन कार्यवाही किए जाने के सम्बंध में निर्देश दिये गये हैं।

5. अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निदेशित किया जाता है कि मास्टर प्लान में निर्दिष्ट भू–उपयोग के विपरीत किए गये निर्माण का किसी भी दशा में शमन नहीं किया जाएगा।

6. मास्टर प्लान में चिन्हित 'ग्रीन बेल्ट' में अवैध रूप से किए गये निर्माण को मा. उच्च न्यायालय द्वारा गम्भीर प्रकरण मानते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि नगर के लिए आरक्षित ग्रीनबेल्ट के स्वरूप को प्रत्येक दशा में यथावत बनाये रखा जाय और ग्रीन बेल्ट में निर्मित भवनों को तत्काल चिन्हित कर ध्वस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस प्रसंग में शासन द्वारा समय–समय पर शहरों में मास्टर प्लान के अनुरूप ग्रीनबेल्ट की व्यवस्था को यथावत बनाये रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

7. जहां तक मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश का सम्बन्ध है कि हेरिटेज जोन में अवैध रूप से किए गये निर्माणों को हटाया जाय और उसका मूल स्वरूप पुनः स्थापित किया जाय, इसके परिपालन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए पूर्व में शासनादेश संख्या– 21703/9–आ–3–98–9सी.क्यू./ 98टी.सी. दिनांक 7.7.98 द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित इमारतों, पुरातत्वीय स्थलों के निकट निर्माण को निषिद्व करने एवं विनियमन करने सम्बंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8. लखनऊ नगर में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को और विकसित किए जाने के निमित्त उपयुक्त नियमावली बनाए जाने के निर्देश दिये गये हैं। नियमावली बनाए जाने का बिन्दु नगर विकास विभाग से सम्बंधित है परन्तु इस विषय पर पूर्व में आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1703/9–1–29 वि./ 98 (आ.ब.) दिनांक 12.04.2001 तथा शासनादेश संख्या–3671/9–आ–1–17 विविध/03 (आ.ब.) दिनांक 19 जून, 2003 में विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

9. मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अन्य स्थानीय निकाय/अभिकरणों एवं सम्बन्धित विभागों का वांछित सहयोग प्राप्त करते हुए एक सघन अभियान चलाया जाय तथा प्रगति से शासन को पाक्षिक आधार पर सूचित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।
9. नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

रामबृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव।

From,

Office of Chief Standing Council,
High Court Lucknow.

To,

The Chief Secretary,
Government of U.P.,
Civil Secretariat,
Lucknow.

No. 811 /Civil Dt. 21-1-2004

Subjects : Writ Petition No. 2435(M/B) of 2001 (Nishatganj Residents welfare Society Vercis Stats of U.P. and others.

Sir,

It is to inform you that in compliance of the order dated 23-10-2003, as directed by this Hon'ble Court an affidavit duly sweared by Sri S.P. Singh, Municipal Commissioner, Lucknow Nagar Nigam, Lucknow alongwith the progress report and the decision taken in the meeting precided by yourself on 12th November, 2003 and further other annexures are filed in the aforcesaid case before the Division Bench comprising of Lordship Hon'ble justice M. Katju and Hon'ble. Justice K.S. Rakhra. After perusal of the aforesaid affidavit, alongwith its annexures and progress report the Hon'ble court was not satisfied with the speed of progress report, and as such, directed Sri. S.P. Singh, to speed up the same and further issued several other directions. The Hon'ble court has further directed to comply the orders and directions issued vide orders dated 23-10-2003 and the fresh directions vide order dt. 20-1-2004. Their Lordship has further been pleased to direct for listing of the aforesaid case on 19-03-2004. I am enclosing herewith the certified copy of the orders dt. 23-10-2003 (already sent vide our letter No. 0533 dt. 23-10-2003) and 20-1-2004 for your kind perusal and compliance of the said orders.

For Chief Standing Council

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क/फीस निर्धारण, मानचित्र स्वीकृत

संख्या :– 5449/9–आ–3–2003–65 रिट/2003

प्रेषक,

रामबृक्ष प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ.प्र.।

3. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 14 जनवरी, 2004**

विषयः विकास प्राधिकरणों द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–47222/02, शौकत अली बनाम् इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं रिट याचिका संख्या–23281/01 श्रीमती साबिया खान व अन्य बनाम् इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–7–2003 के मुख्य अंश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र संख्या–3279(2)/9–आ–3–03, दिनांक 13–8–2003 द्वारा प्रेषित किये गये है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा. न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामबृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अपर निदेशक (नियोजन) आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।
6. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामबृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–3557/9–आ–1–2003–57डीए/02
लखनऊ : दिनांक : 23 जनवरी, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5, उ.प्र. शासन की अधिसूचना संख्या– क.नि.–5–2716/II–2003–500 (187)/2001 दिनांक 22 मई, 2003 जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या–2, सन् 1899) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत निजी निर्माणकर्ता/विकासकर्ता द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने विषयक है, क प्रस्तर–5 की व्यवस्थानुरूप श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा निम्नलिखित सूची के अनुसार उल्लिखित निकाय की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए अभिहित; अधिकारी (डजिगनेट आफीसर) नामित करते हैं :–

सूची

क्रमांक	अभिहित अधिकारी	नामित अभिहित अधिकारी का क्षेत्र
1.	उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण	संबंधित विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए
2.	अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	संबंधित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए
3.	नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र (रेगुलेटेड एरिया)	विनियमित क्षेत्र के लिए (रेगुलेटड एरिया)
4.	आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	उपर्युक्त क्रमांक–1 से 3 में उल्लिखित क्षेत्रों के अतिरिक्त समस्त क्षेत्रों के लिए

जे. एस. मिश्र
सचिव।

संख्या– 3557(1)/9–आ–1–03, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिशासी निदेशक आवास बन्धु, उ.प्र. लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
3. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्।
4. समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।
5. कर निबन्धन अनुभाग–5 को उनके उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2003 के क्रम में।
6. स्टाम्प आयुक्त, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या :– 3086/9–आ–3–04–33 काम्प/98 टी.सी.

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मागांधी मार्ग, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 6 अगस्त, 2004**

विषयः भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर लिये जाने वाले अम्बार शुल्क की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम की धारा–2 (टट) के अनुसार अम्बार शुल्क का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय पर जो प्राधिकरण की भूमि पर या किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा स्थान पर भवन निर्माण सामग्री अम्बार करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा–15 के अधीन उद्ग्रहीत की जाए। उक्त अधिनियम की धारा–15 (2–क) में यह भी व्यवस्था है कि प्राधिकरण, विकास शुल्क, नामान्तरण प्रभार, अम्बार शुल्क और जल फीस ऐसी रीति से और ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, आरोपित करने का हकदार होगा। परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसे प्राधिकरण द्वारा विकसित नहीं किया गया हो अथवा जा रहा हो, उद्ग्रहीत अम्बार शुल्क की धनराशि स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी स्थानीय सीमा में ऐसा क्षेत्र स्थित हो, को अन्तरित कर दी जायेगी। उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा अम्बार शुल्क के सम्बन्ध में निम्न शासनादेश जारी किए गये हैं :–

(i) शासनादेश संख्या : 175/9–आ–3–98–33 काम्प/98 दिनांक 5.2.1998

(ii) शासनादेश संख्या : 548/9–आ–3–98–33 काम्प/98 दिनांक 7.3.1998

(iii) शासनादेश संख्या : 3138/9–आ–3–98–33–काम्प/98 दिनांक 13.10.1998

(vi) शासनादेश संख्या : 2120/9–आ–3–2002–33 काम्प/98 टी.सी. 28.11.2002

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि निजी क्षेत्र में विकसित टाउनशिप/कालोनी जब तक सेवाओं के रख–रखाव हेतु स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नहीं हो जाती तब तक उनकी सड़कों तथा अन्य सेवाओं का रख–रखाव सम्बन्धित निज़ी विकास कर्ता द्वारा ही किया जाता है। परन्तु ऐसी टाउनशिप/कालोनियों से वसूला गया अम्बार शुल्क प्राधिकरणों द्वारा ही लिया जा रहा है जबकि अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार ऐसे प्रकरणों में अम्बार शुल्क उनके द्वारा नहीं लिया जाना चाहिये।

3. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि "अम्बार शुल्क चूंकि भवन निर्माण से सम्बन्धित सामग्री अम्बार किए जाने से सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्ग या सरकारी भूमि पर हुई क्षति के पुनरोद्धार पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लिया जाता है, अतः ऐसी टाउनशिप/कालोनियां जिनका विकास एवं रख–रखाव निजी विकासकर्ता द्वारा किया जा रहा है, से प्राधिकरणों द्वारा अम्बार शुल्क तब तक नहीं वसूला जाना चाहिए जब तक कि ऐसी टाउनशिप/कालोनी

अवस्थापना सुविधाओं के रख–रखाव हेतु स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित नहीं हो जाती।

4. अतएव अम्बार शुल्क की दरों के निर्धारण एवं उनकी वसूली हेतु प्रस्तर–1 में उल्लिखित शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 (1) एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 92 (2) के अधीन निम्न व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश देते हैं:–

(i) प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद क्षेत्र में स्थित समस्त प्रकार एवं श्रेणी के भवन मानचित्रों (यथा एक मंजिले, बहुमंज़िले, बहुखण्डीय आवासीय, व्यवसायिक, शैक्षिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भवन) की स्वीकृति के समय प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल पर रुपया 13.50 प्रतिवर्ग मीटर की दर से अम्बार शुल्क वसूल किया जायेगा।

(ii) उक्त में दो हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिए यदि कोई निर्माणकर्ता यह शपथ पत्र देता है कि वह अपने भवन निर्माण से सम्बन्धित सामग्री निजी भूखण्ड (निजी भूखण्ड से तात्पर्य ऐसे भूखण्ड से है जिसके विषय में उसके पक्ष में बैनामा अथवा पट्टा हो या उसका उत्तराधिकारी हो) पर ही रखेगा तो ऐसे प्रकरण में निर्माणकर्ता द्वारा निम्न शर्तों के साथ अण्डरटेकिंग देने पर अम्बार शुल्क से छूट दी जा सकेगी :–

(अ) सार्वजनिक स्थल/मार्ग अथवा सरकारी भूमि (जिसमें प्राधिकरण उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, नगर निगम/नगर पालिका परिषद्, उद्योग विभाग एवं उत्तर प्रदेश शासन से सम्बन्धित विभागों की भूमि सम्मिलित हैं) का उपयोग निर्माणकर्ता द्वारा सामग्री अम्बार करने की दशा में, वह सम्बन्धित अभिकरण द्वारा मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (अर्धवार्षिक चक्रबृद्धि) सहित सम्बन्धित अभिकरण की निधि में, मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर एकमुश्त जमा करेगा।

(ब) उक्त (अ) में वर्णित मांग का सम्यक अनुपालन न होने की स्थिति में सम्पूर्ण देयकों की वसूली राजस्व के बकाए की भांति चक्रबृद्धि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(स) ऐसे अनाधिकृत अम्बार उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26 'क' के अन्तर्गत सार्वजनिक भूमि/मार्ग पर अतिक्रमण होने के कारण संज्ञेय अपराध होंगे अतएव दोषियों के विरुद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(iii) उक्त व्यवस्था प्राधिकरण की सीमा में स्थित औद्योगिक भूखण्डों पर भी लागू होगी।

5. अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्राधिकरणों में प्राप्त भवन मानचित्रों से वसूला गया अम्बार शुल्क उस एजेन्सी को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसका मार्ग/स्थल उस अम्बार से प्रभावित हो रहा हो एवं उस मार्ग/स्थल का रख–रखाव उसी एजेन्सी द्वारा किया जा रहा हो।

6. प्रस्तर 5 के अन्तर्गत वसूली गयी धनराशि विलम्बतः निम्न तिथियों तक सम्बन्धित एजेन्सी को हस्तान्तरित कर दी जायेंगी।

(a) वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में (अप्रैल–जून) में वसूला गया शुल्क 15 जुलाई तक।

(b) वित्तीय वर्ष के द्वितीय त्रैमास में (जुलाई–सितम्बर) में वसूला गया शुल्क 15 अक्टूबर तक।

(c) वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास में (अक्टूबर–दिसम्बर) में वसूला गया शुल्क 15 जनवरी तक।

(d) वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में (जनवरी–मार्च) में वसूला गया शुल्क 15 अप्रैल तक।

7. उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों तक एजेन्सी को धन उपलब्ध कराए जाने का दायित्व प्राधिकरण/परिषद के लेखाधिकारी। मुख्य लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक/ प्रभारी वित्त का होगा परन्तु किन्हीं कारणों से निर्धारित समयावधि में धन का हस्तान्तरण न होने की दशा में देय धनराशि पर 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जायेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति विकास प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा अनुभाग के उक्त अधिकारी के वेतन से की जायेगी।

8. निजी क्षेत्र अथवा लाइसेंस के आधार पर विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवंटित भूमि पर विकसित कालोनी अथवा टाउनशिप के अन्तर्गत निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्राप्त होने वाले भवन मानचित्रों से अम्बार शुल्क

तभी वसूला जा सकेगा जबकि ऐसी टाउनशिप/कालोनी सम्बन्धित स्थानीय निकाय को रख–रखाव हेतु हस्तान्तरित कर दी गई हों।

9. यह व्यवस्था उन सभी मानचित्रों पर भी लागू होगी जो स्वीकृति के उपरान्त अभी निर्गत नहीं किए गये हैं।

10. भविष्य में अम्बार शुल्क की उक्त दर को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय समय पर घोषित 'कास्ट इन्डेक्स' के अनुसार प्राधिकरण स्तर पर आवश्यकतानुसार अद्यावधिक किया जायेगा।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

जे.एस. मिश्र
सचिव

<u>संख्या : (1)/9–आ–304–33 काम्प/98टी.सी. तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम लि., लखनऊ।
6. अध्यक्ष, यूपीरेडको।
7. अध्यक्ष, उ.प्र. आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
8. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
9. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

ई–मेल/महत्वपूर्ण

संख्या :– 2764/9–आ–1–2004–57डीए/2002

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 9 सितम्बर, 2004**

विषयः उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा सृजित सम्पत्तियों के निबन्धन हेतु लिये जाने वाले स्टाम्प शुल्क में छूट की समय–सीमा को विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–क.नि.–5–4328/II–2004–500(35)/2000 दिनांक 16.08.04 तथा कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–क.नि.–5–4584/II–2004–500 (35)/2000 दिनांक 16.08.04 (प्रतियां संलग्न) के द्वारा स्टाम्प शुल्क में छूट की समय–सीमा दिनांक 31.03.05 तक विस्तारित किया जाता है।

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
जे.एस. मिश्र
सचिव।

<u>**संख्या–2764(1)/9–आ–1–04 तद्‌दिनांक।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विकास प्राधिकरणों से संबंधित मण्डलों के मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन एवं पंजीयन, उ.प्र. इलाहाबाद।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या : क.नि.–5–4378/ – 2004–500 (35)/2000

लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2004

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (अधिनियम संख्या 2 सन्, 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना सख्या क.नि.–5–6468/11–2002–500 (35)/2000, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 में आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी छूट, उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लिखित निकायों द्वारा ऐसे आवंटियों के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2005 तक आवंटित स्थावन सम्पत्ति के विरुद्ध अपने सम्पूर्ण देयों का भुगतान कर दिये हों।

आज्ञा से

रीता सिन्हा

प्रमुख सचिव

<u>संख्या : क.नि.–5–4378(1)/11–2004–500(35)/2000, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 16 अगस्त, 2004 के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 10 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियां आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

अरूण सिंह

विशेष सचिव

<u>संख्या : क.नि.–5–4378(1)/11–2004–500(35)/2000, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अपर सचिव, राजस्व परिषद/आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि समस्त उप निबन्धकगण को अवगत कराने का कष्ट करें।
(2) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा ग्रेटर नोएडा।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, 117/130, सर्वोदय नगर, कानपुर।
(7) समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
(9) विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

अरूण सिंह

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या : क.नि.–5–4584/11 – 2004–500 (35)/2000

लखनऊ : दिनांक : 16 अगस्त, 2004

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (अधिनियम संख्या 2 सन्, 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना सख्या क.नि.–5–6469/11–2002–500 (35)/2000, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 में आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी छूट, उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लिखित निकायों द्वारा ऐसे आवंटियों के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2005 तक आवंटित स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध अपने सम्पूर्ण देयों का भुगतान कर दिये हों।

आज्ञा से

रीता सिन्हा

प्रमुख सचिव

संख्या : क.नि.–5–4584(1)/11–2004–500(35)/2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 16 अगस्त, 2004 के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 10 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियां आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

अरूण सिंह

विशेष सचिव

संख्या : क.नि.–5–4584(1)/11–2004–500(35)/2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अपर सचिव, राजस्व परिषद/आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि समस्त उप निबन्धकगण को अवगत कराने का कष्ट करें।
(2) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा ग्रेटर नोएडा।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, 117/130, सर्वोदय नगर, कानपुर।
(7) समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
(9) विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

अरूण सिंह

विशेष सचिव

संख्या :– 5516(1)/9–आ–3–2003–23 एन.एन./99

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
   उत्तर प्रदेश।

2. **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2004**

विषयः नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1614/9–आ–3–97–38वि./97, दिनांक 1.05.1997 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या :– 1614/9–आ–3–2003–38 वि./97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष
समस्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक 01 मई, 1997

विषयः नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में भवन मानचित्र के स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर आवासीय भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण व जीर्णोद्वार के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि महायोजना व उपनियमों आदि के अनुसार सेटबैक छोड़े गये है तथा निर्माण कुल मिलाकर 3 मंजिल से अधिक न हो। इसी प्रकार 100 वर्ग मीटर से अधिक व 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोंद्धार के लिए भी भवन मानचित्र दाखिल किये जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्ह वास्तुविद द्वारा तैयार भवन मानचित्र पर यह प्रमाण–पत्र अंकित किया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण महायोजना एवं बाईलाज के अनुसार हो।

2. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इन निर्देशों के उपरान्त प्राधिकरण का संबंधित कर्मचारी 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड के भवन के अन्दर निर्माण के सम्बंध में नहीं जायेगा।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

<u>संख्या– 1015(1)/9–आ–3–97 तद्दिनांक।</u>

उपरोक्त की एक प्रति नियम प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
दिवाकर त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या : 347/9-आ-3-2004-65रिट/2003

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

2– **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

3. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 23 जनवरी, 2004

विषयः विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3279/(2)/ 9-आ-3-2003-दिनांक 13.8.2003 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-47222/02 शौकत अली बनाम इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं रिट याचिका संख्या-23281/01 श्रीमती साबिया जान व अन्य बनाम इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.7.2003 के विरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका में दिनांक 16.01.2004 को मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किये गये हैं:-

"Four weeks time is allowed to file counter affidavit. Rejoinder affidavit may be filed within three weeks thereafter. List thereafter. Until further orders, operation of the impugned order shall remain stayed."

मा. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.7.2003 का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। अतः कृपया तद्नुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्याः-347 (1)/9-आ-3-2004-65रिट/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3– अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5– अपर निदेशक (नियोजन) आवास बन्धु, लखनऊ।
6– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव।

संख्या–4146/8–आ–3–04–38 विविध/97

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,**

समस्त विनियमित क्षेत्र, उ.प्र.।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊः दिनांक 17 दिसम्बर, 2004

विषय : मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या–536 व.नि.(2)/सामान्य/2004–05 दिनांक 10 अगस्त, 2004 के संदर्भ में तथा शासन के पत्र संख्या–1614/9–आ–3–38वि./97 दिनांक 01 मई, 97 एवं पत्र संख्या–5516(1)/9–आ–3–2003–23 एन.एन./ 99 दिनांक 09 जनवरी, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर आवासीय भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए किसी प्रकार के भवन मानचित्र की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि महायोजना व उपनियमों आदि के अनुसार सेटबैक छोड़े गये हैं तथा निर्माण कुल मिलाकर 3 मंजिल से अधिक न हो। इसी प्रकार 100 वर्ग मीटर से अधिक व 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए भी भवन मानचित्र दाखिल किये जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्ह वास्तुविद द्वारा तैयार भवन मानचित्र पर यह प्रमाण–पत्र अंकित किया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण महायोजना एवं बाईलाज के अनुसार हो।

2– कृपया उपरोक्त आदेशों का समुचित प्रचार–प्रसार करते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 1939/9—आ—3-2004-240 काम्प/ 2001

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
7—महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

2— **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **नियत प्राधिकारी**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 **लखनऊ दिनांक 9 जून, 2004**

विषय : रिलायन्स पेट्रो प्रोडक्ट्स द्वारा खोले जाने वाले आउटलेट्स के भवन मानचित्रों के स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिलायन्स पेट्रोलियम द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित पेट्रोल पम्पों के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है:—

1. रिलायन्स कम्पनी को विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों द्वारा यह जानकारी दे दी जाय कि ऐसे रिटेल आउटलेट्स का निर्माण किन—किन भू—उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य है जिससे कम्पनी द्वारा तद्नुसार ही रिटेल आउटलेट्स हेतु स्थलों का चयन किया जाय।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट्स हेतु मानक भवन मानचित्र विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत किया जाय, परन्तु स्थल विशेषकर भवन निर्माण की अनुज्ञा संबंधित नगर की महायोजना के भू—उपयोग एवं जोनिंग रेगुलेशन के अनुरूप निर्गत की जाय।
3. कम्पनी से प्राप्त भवन मानचित्रों का मानचित्र जमा करने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।
4. भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने से पूर्व निर्धारित शुल्क नियमानुसार जमा करा लिया जाय।

कृपया शासन के उपरोक्त निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या:—1939 (1)/9—आ—3—04—240काम्प/2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2— अपर निदेशक आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
3— अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4— आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव।

संख्या : 2450/9–आ–3-2004-12 वि./ 2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
7–महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

2– **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2004

विषयः औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में औद्योगिक इकाइयों को विकास शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–4016/9–आ–3–03–49 वि./ 02 दिनांक 30–8–2003 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि मानचित्र स्वीकृति के समय इकाई के खुले भाग जिस पर इकाई द्वारा किसी प्रकार को कोई भी औद्योगिक कार्य नहीं किया जाता है, पर विकास शुल्क में छूट दी जायेगी।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में प्रदेश में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उक्त सन्दर्भित शासनादेश में की गयी व्यवस्था समस्त औद्योगिक इकाईयों(अतिप्रदूषणकारी इकाईयों को छोड़कर) पर तात्कालिक प्रभाव से लागू की जाती है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्याः–2450 /9–आ–3–03–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
3– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5– अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
6– अधिशाषी, निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनु सचिव।

संख्या : 3344/9–आ–3-2004-12 वि./ 2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
7–महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

2– **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2004**

विषय : औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में औद्योगिक इकाइयों को मलबा शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4416/9–आ–3–98–33 काम्प/98, दिनांक 8–11–2002 तथा शासनादेश संख्या–2120/9–आ–3–2002–33 काम्प/98 टी.सी., दिनांक 28–11–2002 का संदर्भ ग्रहण करें जिनमें यह व्यवस्था की गयी है कि 2000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिए यदि कोई निर्माणकर्ता/विकासकर्ता यह शपथ–पत्र देता है कि वह अपनी भवन निर्माण सामग्री अथवा भूमि विकास से संबंधित सामग्री निजी भूखण्ड(निजी भूखण्ड से तात्पर्य ऐसे भूखण्ड से है जिसके विषय में उसके पक्ष में बैनामा अथवा पट्टा हो या उसका उत्तराधिकारी हो) पर ही रखेगा तो ऐसे प्रकरण में निर्माणकर्ता/विकासकर्ता से कतिपय शर्तों के साथ अण्डरटेकिंग देने पर अम्बार शुल्क से छूट दी जा सकेगी।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की औद्योगिक एवं सेवाक्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अनुपालन में प्रदेश में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उक्त शासनादेशों में की गई व्यवस्था में संशोधन करते हुए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अधिकृत समस्त औद्योगिक इकाइयों पर मलबा शुल्क में छूट देय होगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्याः–3344 /9–आ–3–03–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
3– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5– अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
6– अधिशाषी, निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव जनम चौधरी
अनु सचिव।

संख्या : 3345/9–आ–3-2004-12 वि./ 2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

2– **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2004**

विषयः औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में परम्परागत चिकित्सा पद्धति केन्द्रों की स्थापना हेतु भूखण्डों का आरक्षण/प्राविधान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अनुपालन में परम्परागत चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रमुख नगरों यथा, इलाहाबाद, वाराणसी, चित्रकूट, बहराइच, लखनऊ, आगरा एवं मथुरा आदि में परम्परागत चिकित्सा पद्धति केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये–

1. प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद की नई योजनाओं में मांग के आधार पर परम्परागत चिकित्सा पद्धति केन्द्रों के लिए उपयुक्त स्थानों पर भूखण्ड आरक्षित किये जाये।
2. ऐसे भूखण्डें का आवंटन समय–समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।
3. निजी/सहकारी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में भी ऐसे केन्द्रों हेतु आवश्यकतानुसार भूखण्डों का नियोजन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्याः–3345 /9–आ–3–03–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
3– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
4– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6– अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
7– अधिशाषी, निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनु सचिव।

संख्या : 3346/9—आ—3-2004-12 वि./ 2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

2— **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

3. **नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 **लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2004**

विषयः औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं निवेश नीति 2004 के अनुपालन में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाईयों को अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुमन्य किए जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं निवेश नीति 2004 के अनुसार पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाईयाँ जो घोषित जैव प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, को एफ.ए.आर. में चालू नियमों के सापेक्ष 50 प्रतिशत तक छूट तथा अन्य स्थानों पर स्थित इकाईयों को जनसंख्या घनत्व, अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता तथा पर्यावरण संबंधी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त केस टु केस के आधार पर 25 प्रतिशत तक छूट उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं निवेश नीति 2004 के अनुपालन में जैव प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन हेतु शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्न व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है:—

(1.) पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाइयां जो घोषित जैव प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है एवं जिनके ले—आउट प्लान उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, को महायोजना/जोनल प्लान/भवन उपविधि/शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य एफ़.ए.आर. का अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।

(2.) उपर्युक्त प्रस्तर—(1) में उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों/औद्योगिक क्षेत्रों, जिनके ले—आउट प्लान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, के अनतर्गत स्थित इकाइयों को जनसंख्या घनत्व, अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, विद्युत आपूर्ति आदि की उपलब्धता तथा पर्यावरण संबंधी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त "केस टु केस" के आधार पर वर्तमान में अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।

(3.) पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाईयों को उपरोक्तानुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. की सुविधा सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने पर अनुमन्य होगी।

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या–3347 / 9आ–3–03, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।

2– सचिव, औद्योगिकं विकास विभाग।

3– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

5– अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।

6– अधिशाषी, निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनु सचिव।

संख्या : 3348/9–आ–3-2004-12 वि./ 2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2– **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4– **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2004**

विषय : औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 अनुपालन में औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बंधित हरित पट्टिका भूमि को हरित रखते हुए अन्य उपयोगों तथा खेल के मैदान, पार्क, समारोहों हेतु पार्क आदि के लिए लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बंधित हरित पट्टिका भूमि को हरित रखते हुए अन्य उपयोगों यथा खेल के मैदान, पार्क, समारोहों हेतु पार्क आदि के लिए लीज पर दिये जाने की नीति निर्धारित की गयी है।

2– उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बंधित हरित पट्टिका की भूमि को अन्य उपयोगों तथा खेल के मैदान, पार्क, समारोहों हेतु पार्क आदि के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन लीज पर देने की कार्यवाही की जाय। उक्त कार्यवाही में यह भी शर्त निहित होगी कि हरित पट्टिका के क्षेत्रफल एवं स्वरूप को यथावत रखा जायेगा तथा उसमें कोई स्थायी प्रकृति का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश शासन।
3– अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
4– अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनु सचिव।

संख्या : 3349/9—आ—3-2004-12 वि./ 2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2— **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **जिलाधिकारी/नियन्त्रक प्राधिकारी**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3

लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2004

विषयः औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति—2004 अनुपालन में औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में आवंटित औद्योगिक भूखण्डों को अन्य व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने की सुविधा विषयक।

महोदय,

प्रदेश की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में औद्योगिक भूखण्डों को सम्यक परिवर्तन शुल्क के भुगतान के पश्चात अन्य व्यवसायिक प्रयोजनों यथा गोदामों इत्यादि के लिए प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित की गयी है।

2— उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में औद्योगिक भूखण्डों को, शासनादेश संख्या—3172/9—आ—3—2000—26 एलयूसी/91, दिनांक 21 अगस्त, 2001 तथा उसके क्रम में जारी अन्य सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रियानुसार परिवर्तन शुल्क के भुगतान के पश्चात अन्य व्यवसमिक प्रयोजनों यथा गोदामों इत्यादि के लिए प्रयोग करने की सुविधा निहित प्रक्रिया अनुसार एवं भू—उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण करने पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2— अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश शासन।
3— अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
4— अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
5— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।
6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनु सचिव।

संख्या : 3350/9—आ—3-2004-12 वि./ 2004(आ.ब.)

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश

2— **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 **लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2004**

विषय :प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों तथा इन क्षेत्रों के बाहर स्थापित होने वाली औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों तथा इन क्षेत्रों के बाहर स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या—486/9—आ—3—2003—141काम्प/2002 दिनांक 15 मार्च, 2003 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अधीन प्रदेश में औद्योगिकीकरण के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित/अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत आवासीय व व्यवसायिक भवनों तथा 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के प्रदूषणरहित कुटीर एवं गृह उद्योगों/हल्के एवं सेवा उद्योगों हेतु मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। प्रदेश की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 में यह अपेक्षा की गई है कि एतद्पश्चात उक्त व्यवस्था समस्त प्रकार के भवन मानचित्र पर लागू होगी तथा औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों एवं इन क्षेत्रों के बाहर स्थापित होने वाली अति प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर शेष औद्योगिक इकाइयों के भवन मानचित्र अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रमाणित किए जाने एवं सम्बंधित विकास प्राधिकरण में दाखिल करने पर स्वतः अनुमोदित माने जाएंगे।

2— इन सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अनुपालन में प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति में सरलीकरण के उद्देश्य से शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्न व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया हैः—

2.1 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, विकास प्राधिकरणों तथा अन्य शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमादित औद्योगिक आस्थानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की प्रदूषणरहित औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र "काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर" में पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा यह प्रमाणित किए जाने के प्रस्तावित निर्माण सम्बन्धित नगर की महायोजना, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा सुरक्षात्मक दृष्टि से नेशनल बिल्डिंग कोड/आई.एस.आई. उसके अधीन जारी विनियमों, शासनादेशों के अनुरूप है एवं सुसंगत औद्योगिक विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, ऐसे भवन मानचित्र विकास प्राधिकरण/अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करने पर स्वतः अनुमोदित माने जाएंगे। मानचित्र जमा करते समय उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण—पत्र निर्धारित शुल्क जमा किए जाने की रसीद संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे भवन मानचित्र जमा करने की प्राप्ति रसीद ही स्वीकृति मानी जाएगी।

2.2 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों तथा इन क्षेत्रों के बाहर स्थापित होने वाले अति प्रदूषणकारी उद्योगों को

छोड़कर शेष औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र जो "काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर" में पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रमाणित हो, सम्बंधित विकास प्राधिकरण में सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क सहित जमा किए जाने पर स्वतः अनुमोदित माने जाएंगे। ऐसे भवन मानचित्र जमा करने की प्राप्ति रसीद ही स्वीकृति मानी जाएगी।

3— उपर्युक्त प्रस्तर–2.1 तथा 2.2 में उल्लिखित व्यवस्था निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन लागू होगी:—

(I) यह व्यवस्था केवल एकल भवनों के लिए लागू होगी।

(II) प्रस्तावित इकाई/भवन का भूखण्ड औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत स्थित होना चाहिए एवं सम्बंधित नगर की महायोजना/जोनिंग रेगुलेशन्स एके अनुसार उक्त स्थल पर उसकी अनुमन्यता होनी चाहिए।

(III) औद्योगिक क्षेत्र/ स्थान को ले–आउट प्लान सक्षम प्राधिकारी से अनुमादित होना चाहिए।

(IV) प्रस्तावित निर्माण संरचनात्मक सुरक्षा, भूकम्परोधी व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण एवं अन्य संकटमय दृष्टिकोण से सुरक्षित होना चाहिए तथा उक्त के सम्बंध में समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र के साथ संलग्न होने चाहिए।

(V) प्रस्तावित औद्योगिक इकाई का भूखण्ड औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित होने की दशा में स्थल पर जलापूर्ति, ड्रेनेज, सड़क, विद्युत–आपूर्ति आदि की व्यवस्था प्रस्तावित औद्योगिक इकाई की आवश्यकता सापेक्ष उपलब्ध होनी चाहिए।

4— कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या–3350(1)/9–आ–3–2004(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2— सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।

3— अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4— अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास, प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

5— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।

6— अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनु सचिव।

संख्या : 3351/9—आ—3-2004-12 वि./ 2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

2— **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 **लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2004**

विषय : औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति—2004 अनुपालन में महायोजना में निम्न भू—उपयोग से उच्च भू—उपयोग में परिवर्तन के शुल्क का निर्धारण से सम्बंधित नीति में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या—3712/9—आ—3—2000—26 एल.यू.सी./ 91 दिनांक 21 अगस्त, 2001 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा महायोजना में निम्न भू—उपयोग से उच्च भू—उपयोग में परिवर्तन के शुल्क का निर्धारण करने के सम्बंध में आदेश जारी किए गए हैं।

2— इस सम्बंध में औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं निवेश नीति, 2004 के अनुपालन में प्रदेश में औद्योगिक एवं निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से उपर्युक्त विषयक दिनांक 21 अगस्त, 2001 के शासनादेश के प्रस्तर—3 में अंकित तालिका—2 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महायोजना में अंकित भू—उपयोग से "औद्योगिक" में भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क की विद्यमान दरों में छूट प्रदान करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् पुनर्निर्धारण किया जाता है:—

महायोजना में वर्तमान भू—उपयोग	प्रस्तावित भू—उपयोग—औद्योगिक
1. कृषि/मनोरंजन उपयोग सहित	35 प्रतिशत
2. सामुदायिक सुविधायें (बस/ट्रक अड्डा भी सम्मिलित होंगे)	20 प्रतिशत
3. आवासीय	निःशुल्क
4. कार्यालय	निःशुल्क
5. औद्योगिक	निःशुल्क
6. व्यवसायिक	निःशुल्क

3— भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क के निर्धारण से सम्बंधित शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 2001 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे। कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या–3351/9आ–3–03, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।

2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।

3– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

5– अधिशाषी निदेशक, उद्योग बंधु।

6– अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनु सचिव।

संख्या : 3352/9—आ—3-04-12 विविध/ 2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा व लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1 **लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2004**

विषय : औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अनुपालन में प्रदेश के "कवाल" नगरों में नगरीय हाट तरीके के बाजारों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की "औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति—2004" घोषित की गयी है। उक्त नीति के अनुसार प्रदेश के "कवाल" नगरों कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा व लखनऊ में विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रान्तर्गत नगरीय हाट तरीके के बाजारों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— उल्लेखनीय है कि कानपुर नगर में चर्म शिल्प, वाराणसी व उसके आस—पास क्षेत्रों में कालीन व साड़ियों की बुनाई तथा लखनऊ में चिकन के कपड़े एवं चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने से संबंधित सेवा एवं कुटीर उद्योग कार्यरत है। प्रदेश की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति—2004 के अनुपालन में निजी क्षेत्र के उद्यमियों को उक्त प्रकृति के सेवा उद्योगों एवं नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु नगरीय हाट तरीके के बाजारों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है।

3— इस सम्बंध में शासन द्वारा विचारोपरान्त "कवाल टाउन्स" में नगरीय हाट बाजारों की स्थापना किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :—

(1) कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, व लखनऊ (कवाल टाउन्स) में हाट तरीके के बाजार बनाये जायेंगे जहां पर प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों विशेष रूप से लघु तथा सेवा एवं कुटीर उद्योगों को, डिस्प्ले एवं विक्रय दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी यह हाट बाजार पूर्णतः निजी क्षेत्र के प्रबन्धन में विकसित कराये जायेंगे।

(2) ऐसे बाजारों की स्थापना हेतु संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा महायोजना, जोनल प्लान, ले—आउट प्लान आदि में आवश्यकतानुसार भूमि आरक्षित की जाय।

(3) निजी क्षेत्र द्वारा विकसित की जाने वाली योजनाओं में भी उनके ले—आउट प्लान अनुमोदित करते समय ऐसे बाजारों की स्थापना हेतु भूमि का आरक्षण सुनिश्चित कराया जाय।

(4) कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा व लखनऊ महानगरों में विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित वर्तमान योजनाओं में भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में नगरीय हाट बाजारों की स्थापना के प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध करायी जाय।

(5) विकास प्राधिकरणों में नगरीय हाट तरीके के बाजारों की स्थापना से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

4— कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत करने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या–3352/(1)/9आ–3–04, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।

4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।

5– अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ।

6– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु लखनऊ।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनु सचिव।

संख्या : 3353/9—आ—3-04-12 विविध/ 04

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त
उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1 **लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2004**

विषय : औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति—2004 के अनुपालन में निजी क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, हेल्थ क्लब एवं अन्य व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भूमि का एकमुश्त आवंटन/नीलामी के आधार पर विक्रय।

महोदय,

प्रदेश में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति—2004 घोषित की गयी है। उक्त नीति में यह प्राविधान है कि प्रदेश के मिनी औद्योगिक आस्थानों के अन्तर्गत यदि कोई अति प्रदूषणकारी उद्योग स्थित नहीं हैं और न ही भविष्य में ऐसा उद्योग स्थापित किया जाना हो तो ऐसे औद्योगिक आस्थानों में निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/अस्पतालों/नर्सिंग होम/हेल्थ क्लब एवं अन्य व्यापारिक/औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु यदि कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें एकमुश्त में भूमि आवंटित करने/नीलामी के आधार पर विक्रय का प्राविधान किया जायेगा। इस प्रकार की बिक्री के उपरान्त भविष्य में ऐसे औद्योगिक आस्थानों में प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना प्रतिबन्धित होगी।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति—2004 के अनुपालन में प्राधिकरण/परिषद द्वारा विकसित आस्थानों में कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या–3353/(1)/9आ–3–04, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा.मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3– औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4– सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5– अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।

6– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनु सचिव।

संख्या : 3401/9–आ–3-2004-12 विविध/ 2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2004**

विषय : औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2004 के अनुपालन में औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु उद्योगों से सम्बंधित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण के सम्बंध में।

महोदय,

प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 घोषित की है। उक्त नीति के दृष्टिगत उद्योगों से सम्बंधित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन सम्बंधी प्रकरणों का शीघ्र तथा समयबद्ध निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

2– औद्योगिक प्रकरणों से सम्बंधित महायोजना में अंकित भू–उपयोग से इतर भू–उपयोग में परिवर्तन के प्रस्ताव शासन अथवा विकास प्राधिकरण में प्राप्त होते रहते हैं, जो भू–उपयोग परिवर्तन सम्बंधी सामान्य प्रस्तावों की भांति व्यवहृत होने के कारण उक्त कार्यवाही में पर्याप्त समय लगता है। भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13(2) के अनुसार महायोजना में संशोधन से संबंधित होती है और भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का नियोजन के दृष्टिकोण से सम्यक परीक्षण एवं प्रक्रियात्मक चरणों से गुजरने के कारण ही यह प्रक्रिया लम्बी हो जाती है। अतः औद्योगिक विषयों के भू–उपयोग परिवर्तन सम्बंधी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक विषयों से संबंधित भू.उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में निम्नानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः–

1– भू–उपयोग परिवर्तन के प्रत्यावेदनों पर सम्बंधित विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपनी आख्या एवं प्रस्ताव सम्बंधित बोर्ड के माध्यम से शासन को प्रत्येक दशा में 20 दिन में उपलब्ध करायेंगे, यदि सम्बंधित बोर्ड की बैठक तत्समय निर्धारित न हो सके तो परिचालन के माध्यम से बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2– भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्या यथावश्यकता ही प्राप्त की जायेगी, क्योंकि बोर्ड बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनका प्रतिनिधि तकनीकी राय देने हेतु सदस्य के रूप में प्रतिभाग करता है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से आख्या प्राप्त किए जाने की दशा में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक 10 दिन में अपनी आख्या शासन में प्रस्तुत कर देंगे।

3– भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर प्राधिकरण की आख्या तथा यथावश्यकता मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्या प्राप्त होने के पश्चात शासन द्वारा 20 दिन के अन्दर निर्णय लिया जायेगा।

4– भू–उपयोग परिवर्तन किए जाने पर शासन द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरान्त एक माह का समय जन सामान्य से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु निर्धारित होगा।

5– जनसामान्य से आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की कार्यवाही के उपरान्त सम्बंधित अभिकरणों द्वारा शासन में आपत्तियों एवं सुझावों के सम्बंध में आख्या तथा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क (यदि देयता बनती हो) जमा कराये जाने की सूचना प्राप्त होने पर शासन द्वारा 10 दिन के अन्दर भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बंधित अधिसूचना निर्गत किए जाने की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार उद्योगों से सम्बंधित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण तीन माह में समयबद्ध रूप से किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

~~संख्या–3401~~/(1)/9आ–3–04, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के बिन्दु संख्या–5.6.8 के अनुपालन में सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त निर्गत उक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत मा. मंत्रिपरिषद के इस प्रकरण में संशोधित आदेश प्राप्त कराने का कष्ट करें।

2– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।

3– मण्डलायुक्त, संबंधित समस्त विनियमित क्षेत्र।

4– अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।

5– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु

6– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या : 3452/9—आ—3-2004-55 वि./ 2002

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त उपाध्यक्ष,**
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश।

4. **समस्त अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी,**
विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2004

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3

विषय : विकास क्षेत्र, विशेष विकास क्षेत्र एवं विनियमित क्षेत्र वाले नगरों की पुनरीक्षित/नई महायोजना तैयार किए जाने में भू—उपयोग परिवर्तन के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश के विभिन्न नगरों हेतु तैयार की गयी महायोजनाओं में अधिकतर नगरों की महायोजना वर्ष 2001 तक की आवश्यकताओं के लिए बनाई गयी थी। ऐसे नगरों के लिए अगले 20 वर्षों तक की आवश्यकता हेतु पुनः महायोजना तैयार करने का कार्य विभिन्न विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्रों द्वारा कराया जा रहा है। इन विभिन्न नगरों के लिए पुनः महायोजना तैयार करते समय जो विभिन्न प्रकार के नये भू—उपयोग प्रस्तावित किये जाते हैं, वे भू—उपयोग कई स्थलों पर पूर्व स्वीकृत महायोजनाओं में प्रस्तावित भू—उपयोग से भिन्न/विपरीत प्रस्तावित किये जाते हैं, जिसके मुख्य कारण निम्नवत हैं:—

(अ) महायोजना में प्रस्तावित भू—उपयोग के विपरीत निजी व्यक्ति/संस्था द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया जाता है जिसे व्यवहारिकता को देखते हुए ध्वस्त किया जाना सम्भव नहीं होता है।

(ब) शासन द्वारा समय—समय पर किये गये भू—उपयोग परिवर्तनों को भी पुनरीक्षित/नई महायोजना में समायोजित किया जाता है।

(स) नियोजन की दृष्टि से भी वर्तमान महायोजना के विपरीत नये भू—उपयोग प्रस्तावित किये जाते हैं।

(द) विभिन्न विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य शासकीय विभागों

द्वारा भी अपनी योजना का क्रियान्वयन महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के विपरीत किया जाता है और इनका भू–उपयोग परिवर्तन उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत बिना कार्यवाही किये तथा बिना शासन की पूर्व अनुमति के किये जाते हैं।

उपरोक्त के कारण जहाँ एक ओर उक्त अधिनियम में दिये गये प्राविधानों का उल्लंघन होता है जिसके कारण प्रस्तावित महायोजना का स्वरूप प्रभावित होता है तो उसके साथ–साथ दूसरी ओर निजी क्षेत्र में भी महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के विपरीत अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

2– पुनरीक्षित/नई महायोजना तैयार करते समय ऐसे समस्त अनाधिकृत भू–उपयोग को महायोजना में समायोजित करते समय इनके औचित्य का कोई अध्ययन नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं और महायोजना (प्रारूप) को अन्तिम रूप देने में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है।

3– अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित/नई महायोजना तैयार करते समय निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के आधार पर कार्यवाही की जाय:–

1– प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा यदि किसी भी नगर की स्वीकृत महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के विपरीत यदि कोई विकास/निर्माण कराया गया है तो उनके द्वारा किये गये निर्माण/विकास का पूर्ण औचित्य प्राधिकरण/नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त अधिनियम में किये गये प्राविधानों का भविष्य में उल्लंघन न करने की शर्त को दृष्टिगत रखकर अपरिहार्य परिस्थितियों में वस्तुस्थिति के अनुसार समायोजित करने के संबंध में आवश्यक निर्णय लेगा। इसके उपरान्त ही पुनरीक्षित/नई महायोजना में उपरोक्तानुसार उक्त परिवर्तनों को समायोजित किया जायेगा।

2– पूर्व महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के विपरीत हुये किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा किए गये अनाधिकृत निर्माण को समायोजित करने के संबंध में भी विस्तृत रूप से अलग–अलग भू–उपयोग के अनुसार समय–समय पर जारी शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुएं नियनितीकरण किये जाने हेतु औचित्य पूर्ण प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे प्रस्ताव जो शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप होंगे केवल उन्हें नियमितीकरण के उपरान्त ही समायोजित किये जाने पर विचार किया जायेगा। ऐसे अनधिकृत निर्माण जिन्हें समायोजित करने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी जायेगी को हटाने की संबंधित विभाग/प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।

3– भविष्य में जब भी इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण अथवा महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के विपरीत किसी भी कार्य हेतु भूमि उपयोग में लाई जाती है तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी, बरती गयी लापरवाही के लिये उत्तरदायी होंगे।

4– उपरोक्त क्रमांक– 1 व 2 से संबंधित समस्त अभिलेख संबंधित प्राधिकरण/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा महायोजना तैयार कराने वाले अभिकरण को उपलब्ध करायेंगे तथा ऐसे अभिकरण जिनके द्वारा पुनपरीक्षित/नई महायोजना तैयार की जायेगी प्राधिकरण/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त क्रमांक–1 एवं 2 पर लिये गये निर्णयों के उपरांत ही महायोजना प्रारूप तैयार करते समय इनके समायोजन की कार्यवाही की जायेगी एवं महायोजना प्रारूप के अनुमोदन के प्रस्ताव के साथ ऐसे समस्त विभिन्न प्रकार के अलग–अलग मानचित्र समस्त अभिलेखों/तालिकाओं सहित तैयार कर बोर्ड बैठक में महायोजना प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5– नई/पुनरीक्षित महायोजना बनाते समय पूर्व स्वीकृत महायोजना की अविकसित रिक्त भूमि पर स्वीकृत महायोजना के प्रस्तावों के विपरीत यदि नये भू–उपयोग प्रस्तावित किये जाते हैं तो महायोजना तैयार करने वाले सम्बन्धित अभिकरण को ऐसे प्रकरण के प्रस्तावों का औचित्य भी बोर्ड में प्रस्तुत करना होगा।

6– उपरोक्त बिन्दु (1) से (4) से संबंधित अभिलेख प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। प्राधिकरण/नियत प्राधिकारी द्वारा महायोजना प्रारूप को अधिनियम के अनुसार अन्तिम रूप देकर प्राधिकरण बोर्ड/ नियंत्रक प्राधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया जायेगा। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा परीक्षणोपरान्त विभागीय आख्या/संस्तुति सहित शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा।

4— अतः समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्रों में नई/पुनरीक्षित महायोजना तैयार करते समय उपरोक्त दिशा—निर्देशों के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।

2— अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

3— आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

4— अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या : 4701/9–आ–3-03-74 एल.यू.सी./ 2001

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **नियंत्रक/नियत प्राधिकारी,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2003

विषय : रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–4501/ 9–आ–3–2001–74 एल.यू.सी./ 2001 दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उनकी सरप्लस भूमि का भू–उपयोग उक्त क्षेत्र की महायोजना में अंकित आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग के रूप में प्रयोग किए जाने सम्बंधी औद्योगिक विकास विभाग के नीतिगत शासनादेश संख्या–यू.ओ.–51/87–4–2001 दिनांक 31 मार्च, 2001 को अंगीकार कर, तदनुसार समस्त विकास प्राधिकरणों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2– रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2003 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के संबंध में स्थिति निम्नवत स्पष्ट की जाती है:–

1– ऐसी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को जिन्हें पुनर्वासित करने का निर्णय शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति अथवा बी.आई.एफ.आर. द्वारा लिया जाता है, को अपनी भू–सम्पत्ति को बेचकर उस धनराशि से पुर्नस्थापन/ऋण भुगतान करने का अनुमोदन देने की शासन की नीति है।

2– रूग्ण औद्योगिकी इकाइयों को निम्न 02 वर्गों में बांटा जायेगा।

(क) ऐसी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां जो नियोजित औद्योगिक आस्थान या मास्टर प्लान में अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र में लगी हैं उनकी अतिरिक्त भूमि मास्टर प्लान के भू–प्रयोग के अनुसार ही उपयोग हेतु बेची जायेगी और यदि उसमें भू–उपयोग परिवर्तन का कोई प्रकरण निहित है तो उसमें नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाकर निर्णय लिया जायेगा।

(ख) ऐसी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां जो मास्टर प्लान बनने के पूर्व से कार्यरत हैं और नॉन कनफर्मिंग उपयोग में उनकी स्पाट जोनिंग कर दी गयी है, उन्हें उक्त इकाई से लगे हुए क्षेत्र का महायोजना में अंकित भू–उपयोग स्वतः उपलब्ध होगा और उसके लिए परिवर्तन की कार्यवाही में किसी शुल्क की देयता नहीं होगी। उक्तानुसार नॉन कनफर्मिंग उपयोग को समाप्तकर इसे मास्टर प्लान में अनुमोदित भू–उपयोग के रूप में माना जाएगा यदि उस रुग्ण इकाई की भूमि की सीमा से मिले हुए भू–उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य भू–उपयोग का प्रस्ताव आता है तो उसका भू–उपयोग परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या–4701/(1)/9–आ–3–2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अनुसचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–4 के पत्र सं.–4065/ 77–4–2003, दि. 6–110–03 के संदर्भ में।

2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश।

4– आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामवृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव।

COMPLIMENTARY COPY

विकास/ निर्माण योजनायें

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6

संख्या 3634/9 आ–6–04–04(गठन)/2004

लखनऊ दिनांक 4 नवम्बर, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन के सम्बन्ध में कन्सल्टेन्सी के माध्यम से अध्ययन कराने हेतु आमंत्रित किए जाने वाले आफर्स के आधार पर उपयुक्त एजेन्सी/फर्म के चयन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है:–

1–	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ.प्र. शासन	अध्यक्ष
2–	अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु	सदस्य
3–	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
4–	मुख्य वास्तुविद, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5–	मुख्य वास्तुविद, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6–	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6 उ.प्र. शासन	सदस्य संयोजक

2– उपर्युक्त समिति यदि किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करना आवश्यक समझती है तो वह उसे समिति के विशेष आमन्त्री के रूप में सदस्य नामित कर सकती है।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या–3634(1)/9–आ–6–2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ

2– विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6, उ.प्र. शासन

3– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

4– उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र., लखनऊ

6– मुख्य वास्तुविद नियोजक, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

7– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विश्राम सिंह
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6

संख्या 3635/9 आ–6–04–04(गठन)/2004

लखनऊ दिनांक 4 नवम्बर, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन के औचित्य, स्वरूप एवं रूपरेखा के निर्धारण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक "टास्क फोर्स" के गठन का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत है:–

1–	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ.प्र. शासन	अध्यक्ष
2–	आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा नामित अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी	सदस्य
4–	अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु	सदस्य
5–	प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
6–	प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ.प्र. शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
7–	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
8–	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
9–	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजनक, उ.प्र.	सदस्य
10–	क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको, लखनऊ	सदस्य
11–	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6 उ.प्र. शासन	सदस्य संयोजक

2– उपर्युक्त समिति यदि किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करना आवश्यक समझती है तो वह उसे समिति के विशेष आमन्त्री के रूप में सदस्य नामिति कर सकती है।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या–2635(1)/9–आ–6–2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

2– आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा नामित अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी

3– अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ

4– विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6, उ.प्र. शासन

5– प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी

6– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ.प्र. शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी

7– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

8– उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजनक, उ.प्र., लखनऊ

10– क्षेत्रीय प्रमुख, डुडको, लखनऊ

11– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग

12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विश्राम सिंह
अनु सचिव।

वित्तीय प्रबंधन

संख्या : 2546/9–आ–3-2004-42 एन.एन./ 2003

प्रेषक,

एच.एल.गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2004

विषय : विनियमित क्षेत्रों के कार्यालयों के अधिष्ठान व्यय के बजट प्राविधान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधीन कराये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में अपने पत्र संख्या–1317/स्था./विविध/टी.सी.पी./03–04 दिनांक 21.6.2003 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विनियमित क्षेत्रों के कार्यालय अधिष्ठान व्यय आदि के बजट आवंटन के संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग समस्त विनियमित क्षेत्रों के कार्यालय से अधिष्ठान व्यय आदि की सूचना प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायेंगे तथा शासन द्वारा बजट की धनराशि सीधे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी एवं समस्त विनियमित क्षेत्रों के कार्यालय अधिष्ठान व्यय हेतु बजट का आवंटन विभागाध्यक्ष, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रति नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि विहित प्राधिकारियों को आय–व्ययक प्रस्ताव नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नणर एवं ग्राम नियोजन विभाग–7 बन्दरियाबाग, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे, ताकि शासन द्वारा यथासमय बजट व्यवस्था करायी जा सके।

भवदीय

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

संख्या 2913/9 आ–1–2004–40 आडिट/04

लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

वित्तीय प्रबन्धन के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक सम्परीक्षाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति के स्वरूप एवं उसके कार्य एवं दायित्व के निर्धारण विषयक वित्त विभाग का शासनादेश संख्या–रा.आ.ले.प.प्र.–448/दस–4–10(112 ए)/01 दिनांक 19.04.04 तथा उसके साथ संलग्न पत्र संख्या–रा.आ.ले.प.प्र.–8463/दस–03–10(112 ए)/01 दिनांक 19.5.03 एवं शासन के पत्र संख्या–1738/9–आ–1–04–40आडिट/04 दिनांक 07 जून, 04 पूर्व में अग्रेतर कार्यवाही के निर्देश सहित प्रेषित किया गया था। सम्प्रति उक्त के क्रम में आन्तरिक लेखा परीक्षा नीतियों का क्रियान्वयन करने, आन्तकरक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा विभागीय स्तर पर वाह्य लेखा परीक्षा तथा आवश्यकतानुसार आन्तरिक लेखा परीक्षा से समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का गठन एतदद्वारा निम्नवत् किया जाता है–

1–	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	
2–	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ.प्र.	अध्यक्ष
	विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी	सदस्य
3–	निदेशक आन्तरिक लेखा परीक्षा अथवा उनके द्वारा नामित आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक	सदस्य
4–	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य
5–	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में कार्यरत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी/ आन्तरिक लेखा परीक्षा में संबंधित कार्य करने वाले वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य सचिव

2– उक्त समिति के कार्य एवं दायित्व राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ उ.प्र. शासन के आदेश पत्रांक–रा.आ.ले. प.प्र.–8403/दस–3–10(112 ए)/01 दिनांक 19.05.04 द्वारा यथा निर्धारित निम्नवत् होंगे–

- समिति द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी, वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ४ बैठकें आयोजित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विशेष बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं।
- आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित नीतियों/निर्देशों को विभाग में लागू किया जाना तथा लेखा परीक्षा के वार्षिक योजना कार्यान्वयन तथा उसकी समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु जोखिम वाले क्षेत्रों का निर्धारण करना तथा ऐसे क्षेत्रों को आंतरिक लेखा परीक्षा में सम्मिलित करना।
- आडिट आपत्तियों के निष्कर्षों/सुझावों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा उनका निक्षेप किये जाने हेतु निर्णय लिया जाना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा और विभागीय प्रबंधन के बीच यदि कोई विवादास्पद बिन्दु उत्पन्न हो तो उसका निराकरण किया जाना।
- आंतकरक लेखा परीक्षा हेतु स्टाफ के प्रशिक्षण एवं विकास की योजना को लागू करते हुए उसको चलाते रहना।

- इसके अतिरिक्त समिति द्वारा शासन स्तर से समय–समय पर इंगित/निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर भी कार्यवाही की जायेगी।

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या–2913(1)/9–आ–1–04 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के पत्र दिनांक 17जून, 04 के संदर्भ में।

2– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3– समस्त सदस्य उपरोक्त समिति।

4– आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।

7– अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।

8– वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/समस्त विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

हीरा लाल गुप्ता
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या : 4225/9–आ–1-04-34 बजट/ 96 टीसी

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक**
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
   उ.प्र. लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2004

विषय : वित्तीय वर्ष 2003–04 व 2004–05 के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय में लेखांकित आंकड़ों से मिलान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित तथा समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी–2–2207/दस–04–आर–2/04, दिनांक 13.08.04 शासनादेश संख्या बी–2–2692/दस–04, दिनांक 20.08.04 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में वित्तीय वर्ष 2003–04 व 2004–05 के लेखों का मिलान किये जाने की स्थिति निम्नवत् असन्तोषजनक पायी गयी है।

(1) सचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या बी–2–2207/दस–04–आर–2/04, दिनांक 13.08.04 के अनुसार प्रमुख सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02.06.04 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि बैठक की तिथि तक वित्तीय वर्ष 2003–04 के दिसम्बर, 2003 तक के लेखों का मिलान प्रदेश के 156 नियंत्रक अधिकारियों में से केवल 64 नियंत्रक अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है। लेखों का मिलान कार्य न करने वाले विभागों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग भी सम्मिलित है। यह स्थिति अत्यन्त गंभीर एवं चिन्ताजनक है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों को मार्च, 2004 तक का लेखा मिलान कार्य विलम्बतम दिनांक 02.06.04 तक पूर्ण कर लेना चाहिए था अन्यथा व्ययाधिक्य/बचत की स्थिति महालेखाकार कार्यालय के लेखों में प्रदर्शित होने पर आडिट आपत्ति का विषय बनता है, किन्तु यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।

(2) इसी प्रकार बजट अधिकारी वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या बी–2–2692/दस–04, दिनांक 20.08.04 के अनुसार उप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 11.08.04 द्वारा उन्हें अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान प्रक्रिया के क्रम में माह जून, 2004 तक के लेखांकित प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़े विभागीय आंकड़ों के मिलान हेतु तैयार हो चुके हैं जिसका मिलान कार्य संबंधित अधिकारियों द्वारा कया जाना है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखा मिलान का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 25.08.04 तक सुनिश्चित कराय जाने तथा लेखा मिलान में पायी जाने वाली विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को तुरंत उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये थे तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि लेखा मिलान कार्य की उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई होने पर संबंधित

अधिकारी/कर्मचारी महालेखाकार कार्यालय में सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं, किन्तु संबंधित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा यह कार्य भी समय से पूर्ण नहीं किया गया है। वित्त विभाग द्वारा यह भी निर्देश दिये गये थे कि वित्त नियंत्रक या उनके प्रतिनिधि जो लेखा मिलान कार्य के लिए महालेखाकार कार्यालय में जाते हैं, उनके नाम व प्रमाणित हस्ताक्षर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध करा दिये जायें, किन्तु यह भी कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया।

3– अतः इस संबंध में निदेशित करना है कि आप कृपया अपने अधीनस्थ वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी से वित्त विभाग की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2003–04 तथा 2004–05 के उक्त लेखों के मिलान का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवाकर शासन को तत्संबंधी सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें प्रकरण की समीक्षा शासन स्तर पर आगामी माह में बैठक आयोजित कर की जायेगी तथा आंकड़ों व लेखों के मिलान का कार्य समय से पूर्ण न होने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर यथावश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

संख्या–/9 आ–1–2004–40 आडिट/04

लखनऊ दिनांक 12.10.2004

कार्यालय–ज्ञाप

वित्तीय प्रबंधन के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक सम्परीक्षाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति के स्वरूप एवं उसके कार्य एवं दायित्व के निर्धारण विषयक वित्त विभाग का शासनादेश संख्या–रा.आ.ले.प.प्र.–448/दस–4–10(112 ए)/01 दिनांक 19.04.04 तथा उसके साथ संलग्न पत्र संख्या–रा.आ.ले.प.प्र.–8463/दस–03–10(112 ए)/01 दिनांक 19.05.03 एवं शासन के पत्र संख्या–1738/9–आ–1–04–40 आडिट/04 दिनांक 07 जून, 04 पूर्व में अग्रेतर कार्यवाही के निर्देश सहित प्रेषित किया गया था। सम्प्रति उक्त के क्रम में आन्तरिक लेखा परीक्षा नीतियों का क्रियान्वयन करने, आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा विभागीय स्तर पर वाह्य लेखा परीक्षा तथा आवश्यकतानुसार आन्तरिक लेखा परीक्षा से समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा सामान आवास एवं शहर नियोजन विभाग के गठन किये जाने विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2913/9–अ–1—04 आडिट/04 दिनांक 15 सितम्बर 04 का एतदद्वारा संशोधित करते हुए सम्प्रति राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. का गठन निम्नवत किया जाता है–

1– सचिव आवास एवं शहरी नियोजन — अध्यक्ष

2– क–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ.प्र. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के संबंध में — सदस्य/विभागाध्यक्ष

ख–आवास आयुक्त, आवास एवं विकास सदस्य/विभागाध्यक्ष परिषद उ.प्र. (आवास एवं विकास परिषद के संबंध में)

3– निदेशक आन्तरिक लेखा परीक्षा अथवा उनके द्वारा नामित आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक — सदस्य/विभागाध्यक्ष

4– वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी (संबंधित विभाग, आवास विकास परिषद सीटीसीपी विकास प्राधिकरण अलग–अलग अपने विभाग के संबंध में) — सदस्य

5– संबंधित कार्यालयों मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी/ आन्तरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य करने वाले वरिष्ठतम अधिकारी (आवास विकास परिषद, सीटीसीपी, विकास प्राधिकरण अलग–अलग अपने विभागों के संबंध में) — सदस्य सचिव

2– उक्त समिति के कार्य एवं दायित्व राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ उ.प्र. शासन के आदेश पत्रांक–रा.आ.ले. प्र.–8403/दस–3–10(112 ए)/01 दिनांक 19.05.04 द्वारा यथा निर्धारित निम्नवत होंगे

- समिति द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी, वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें आयोजित की जायेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विशेष बैठकें भी आयोजित की जा सकती है।
- आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित नीतियां/निदेशों को विभाग में लागू किया जाना तथा लेखा परीक्षा के वार्षिक योजना कार्यान्वयन तथा उसकी समीक्षा करना।
- आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु जोखिम वाले क्षेत्रों का निर्धारण करना तथा ऐसे क्षेत्रों को आन्तरिक लेखा परीक्षा में सम्मिलित करना।

- आडिट आपत्तियों के निष्कर्ष/सुझावों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चत करने तथा उनका निक्षेप किये जाने हेतु निर्णय लिया जाना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा और विभागीय प्रबंधन के बीच यदि कोई विवादास्पद बिन्दु उत्पन्न हो तो उसका निराकरण किया जाना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु स्टाफ के प्रशिक्षण एवं विकास की योजना को लागू करते हुए उसको चलाते रहना।
- इसके अतिरिक्त समिति द्वारा शासन स्तर से समय-समय पर इंगेत/निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर भी कार्यवाही की जायेगी।

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या-2913(1)/9-आ-1-04 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के पत्र दिनांक 17जून, 04 के संदर्भ में।
2- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त सदस्य उपरोक्त समिति।
4- आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
7- अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
8- वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/समस्त विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

हीरा लाल गुप्ता
विशेष सचिव,

संख्या : 4668/9-आ-1-04-40 आडिट/04

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर, 2004**

विषय : आवस एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों/प्राधिकरणों में कम से कम 10 प्रतिशत आंतरिक लेखा परीक्षा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या आडिट-452/दस-01, दिनांक 29.01.04 के द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों में कम से कम 10 प्रतिशत आंतरिक लेखा परीक्षा कराये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु कदाचित अभी तक संदर्भगत शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में आंतरिक लेखा परीक्षा समिति गठित करके लेखा परीक्षा नहीं की जा रही है।

2- उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा इस संबंध में गहन अनुश्रवण किया जा रहा है तथा उक्त निर्देशों के अनुपालन में राज्य आंतरिक लेखा परीक्षा समिति का गठन सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में किया गया है, जो अन्य कार्यों के अतिरिक्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी।

3- अतः इस संबंध में निदेशित करना है कि आप कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था शासनादेश संख्या आडिट/452/दस-2001, दिनांक 29.01.01 की व्यवस्थानुसार सुनिश्चित कराने तथा सम्परीक्षा रिपोर्ट वित्त विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस.मिश्र
सचिव

संख्या : आडिट–452/ / X 2001

प्रेषक,

वी.के.शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं**
   प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
   उत्तर प्रदेश।

2. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक**
   प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी, 2001**

विषय : प्रदेश के सभी विभागों में कम से कम 10 प्रतिशत आन्तरिक लेखा परीक्षा कराये जाने की व्यवस्था हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में यह कहना है कि वर्तमान में प्रदेश के लगभग सभी विभागों में उत्तर प्रदेश, वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी तैनात हैं तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के नियम 399 (IV) के अनुसार विभागों में नियुक्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी उस विभाग के आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी है। प्रदेश के अधिकांश बड़े विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु सम्वर्ग भी गठित है तथा उन पदों पर लेखा सम्परीक्षक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/सहायक लेखाकार/लेखाकार कार्यरत हैं, कुछ विभागों में उनसे आन्तरिक सम्परीक्षा का कार्य लिया जा रहा है तथा कुछ विभागों में उनका प्रयोग महालेखाकार के लेखा प्रतिवेदनों के निस्तारण तथा अन्य कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है जो कि आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित नहीं है। कुल मिलाकर विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन वर्तमान में उतनी सुदृढ़ नहीं है, जितना सुदृढ़ होना चाहिए। इसके साथ ही आन्तकरक लेखा परीक्षा अधिकारियों, (वित्त नियंत्रकों/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारियों) का अपने विभागों को नियंत्रित करने तथा समय रहते निर्णयों को सही दिशा में लाने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

अतः आन्तरिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र रूप से विभाग के अन्दर उसके कर्मकलापों की परीक्षा व उनका मूल्यांकन करते हुए विभाग में अपने दायित्व का निर्वहन करता है तथा विभागीय अधिकारी अपने दायित्व का सही रूप से निर्वहन करें, उसमें सहयोग करता है तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से वह विभागीय कार्य कलापों का सही आकलन प्रस्तुत करता है, विवेचना करता है, सलाह देता है एवं सूचना प्रदान करता है और विभाग में विभाग की सेवा करते हुए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहता है। आंतरिक लेखा परीक्षा के उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश के समस्त विभागों में निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है :–

1 प्रदेश के सभी विभागों में कम से कम 10 प्रतिशत आन्तरिक लेखा परीक्षा अवश्य की जाय। इस हेतु सभी कार्यालयों का वर्ष में कम से कम एक माह के कार्यकलापों की आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। सम्परीक्षा का माह दल के भेजने वाले माह से एक से तीन माह पहले का होगा।

2 आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग में आन्तरिक परीक्षा संगठन में कार्यरत लेखा परीक्षकों/वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/सहायक लेखाकारों/लेखाकारों के माध्यम से किया जायेगा तथा इस हेतु नियुक्त कार्मिकों का आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायेगा।

3 जिन विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन नहीं है वहां पर जब तक आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन का गठन न हो जाय जब तक विभाग में लेखा का कार्य करने वाले कार्मिकों तथा उससे सम्बन्धित जानकारी रखने वाले कार्मिकों के सहयोग से आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य किया जायेगा। ऐसे कर्मिकों को चिन्हित करके उनको लेखा परीक्षा की तकनीकों में उन्हें

प्रशिक्षण दिया जायेगा।

4 लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग तथा अन्य प्रेषण विभागों में जहां पर लेखा कार्य खण्डीय लेखाकारों/लेखाधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है वहां पर उस विभाग के एक खण्ड के लेखाकार/लेखाधिकारी के प्रभार में लेखा कार्य की जानकारी रखने वाले दो लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के माध्यम से वित्त नियंत्रक के निर्देशानुसार आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य किया जायेगा। आन्तरिक लेखा परीक्षा का यह कार्य यात्रा भत्ता में मितव्ययिता की दृष्टि से यथासम्भव उसी जनपद के दूसरे खण्ड के द्वारा किया जायेगा। जहां पर यह सम्भव न हो वहां समीप के जनपद के कार्मिकों से आन्तरिक सम्परीक्षा करायी जाय।

प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय की आन्तरिक लेखा परीक्षा वित्त नियंत्रक के नियंत्रण में लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/लेखा कार्य की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ सहायकों द्वारा सम्पन्न की जायेगी। इस हेतु विभाग के मुख्यालय पर वित्त नियंत्रक के नियंत्रण में एक आन्तरिक लेखा सम्परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन भी किया जाय जो विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुश्रवण भी करेंगे तथा वित्त नियंत्रक के माध्यम से सभी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रमुख अभियन्ता के संज्ञान में लाये जायेंगे, जिस पर प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने के साथ–साथ ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी कि भविष्य में उन्हीं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

लेखा परीक्षा के कार्य करने वाले कार्मिकों को इस हेतु प्रशिक्षित भी किया जायेगा तथा वह इस कार्य को अपने पूर्व आवंटित कार्य के साथ करेंगे।

5 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रतियां विभागाध्यक्ष को अनिवार्यतः भेजी जायेगी तथा प्रत्येक तिमाही के अगले माह (जुलाई ,अक्टूबर, जनवरी व अप्रैल) के 20 तारीख तक आन्तरिक लेखा परीक्षा में पायी गयी गम्भीर एवं महत्वपूर्ण कमियों एवं सुझावों को संकलित कर उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग के सचिव तथा राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षक एवं विशेष सचिव, वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। लेखा परीक्षकों हेतु मुख्य चेक बिन्दु संलग्न किये जा रहे हैं।

विभागीय आवश्यकताओं एवं कार्य–कलापों को देखते हुए उन चेक बिन्दुओं में बढ़ोत्तरी की जा सकती है और यदि लेखा परीक्षा के चेक बिन्दुओं के निर्धारण में किसी सलाह की आवश्यकता हो तो इस सम्बन्ध में निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तर प्रदेश से सहयोग प्राप्त किया जाय।

6 लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभिलेखों को मांगने, देखने, प्रश्न करने आदि का वही अधिकारी होगा जो इस सम्बन्ध में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश का है।

भवदीय

वी.के.शर्मा
सचिव, वित्त

पृसं. : आडिट–452/X. 2001, लखनऊ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश
2 समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक/वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 विशेष सचिव एवं राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश
4 सचिवलय के समस्त अनुभाग।
5 प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

वी.के.शर्मा
सचिव, वित्त।

संख्या : 254/9–आ–1 समीक्षा बैठक/ 519 (आ.व.)

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 2 नवम्बर, 04**

विषय : वित्तीय वर्ष 2004–05 में अर्जित आय, भूमि अर्जन तथा सबके लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिकरणवार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष माह सितम्बर 04 तक की उपलब्धियां तथा शेष लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मासिक फांट का निर्धारण।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्य–कलापों की शासन स्तर पर सम्पन्न होने वाली समीक्षात्मक टिप्पणी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी को अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती है। माह अगस्त तथा सितम्बर, 04 की समीक्षात्मक टिप्पणी के संदर्भ में मुख्य सचिव द्वारा अपेक्षा की गयी है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के महत्वपूर्ण विभागीय प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की उपलब्धियों की प्रभावी समीक्षा हेतु सभी अभिकरणों के लिए मदवार मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनके सम्बद्ध क्रियान्वयन हेतु तत्काल कार्य–योजना बनायी जाये।

उपरोक्त संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2004–05 की तीन महत्वपूर्ण विभागीय प्राथमिकताओं, अर्जित आय, भूमि अर्जन तथा सबके लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1147/9–आ–1–04–लक्ष्य वि.वर्ष 2004–05(आ.ब.–2) दिनांक 08 अप्रैल, 04 द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष माह सितम्बर 04 तक प्राप्त की गयी उपलब्धियों तथा शेष लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु माह अक्टूबर 04 से मार्च, 05 तक की मासिक फांट का मदवार विवरण 8 प्रारूपों में निम्नवत संलग्न किया जा रहा है।

1. अर्जित आय :– वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा रु. 2500.00 करोड़ की आय अर्जित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जिसके सापेक्ष माह सितम्बर, 04 तक सभी अभिकरणों द्वारा रु.825.51 करोड़ (33.02 प्रतिशत) आय अर्जित की गयी है। इस प्रकार से वित्तीय वर्ष के शेष 6 माहों में रु. 1674.49 करोड़ की आय और अर्जित की जानी है, जिसकी अभिकरणवार मासिक फांट संलग्न "परिशिष्ट–1" में दर्शागी गयी है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि 5 विकास प्राधिकरणों द्वारा गत वर्ष की समान अवधि की तुलनां में निम्नवत कम आय अर्जित की गयी है जोकि अत्यंत खेदजनक है :– लखनऊ 5.22 प्रतिशत, अलीगढ़ 14.38 प्रतिशत, बरेली 44.38 प्रतिशत, वाराणसी 39.78 प्रतिशत तथा सहारपुर 19.23 प्रतिशत।

2. भूमि अर्जन :– वित्तीय वर्ष 2004–05 में सभी अभिकरणों द्वारा 3000 हेक्टेयर भूमि अर्जित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष माह सितम्बर, 04 तक 4 अभिकरणों द्वारा मात्र 45.34 हेक्टेर भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है। इस प्रकार से 2954.66 हेक्टेयर भूमि का कब्जा इसी वित्तीय वर्ष की शेष 6 माह की अवधि में और प्राप्त किया जाना है, जिसकी अभिकरणवार मासिक फांट संलग्न परिशिष्ट–2 में दर्शायी गयी है।

शासनादेश संख्या 2965/9–आ–1–भवन नि./भूखण्ड वि. के लक्ष्य 2002(आ.ब.–2) दिनांक 5 मई, 2003 द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अवशेष चार वर्षों (2003–07) में सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यदायी संस्थाओं के लिए3.80 लाख विभिन्न श्रेणी के

भवनों/भूखण्डों के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सभी अभिकरणों से अपेक्षा की गयी थी कि उनके द्वारा अपनी–अपनी लैण्ड बैंक सुदृढ़ करने के लिए शीर्ष प्राथमिकता पर भूमि अर्जन के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करा दिये जायें। इस क्रम में आवास एवं विकास परिषद द्वारा 10 योजनाओं के अन्तर्गत 2228.76 हेक्टेयर तथा 12 विकास प्राधिकरणों द्वारा 31 योजनाओं के अन्तर्गत 1419.28 हेक्टेयर भूमि अर्जित करने के प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं। परन्तु लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बांदा, फिरोजाबाद, हापुड़–पिलखुआ, सहारनपुर तथा उन्नाव विकास प्राधिकरणों द्वारा अभी तक भूमि अर्जन का एक भी प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है, जो कि इन प्राधिकरणों की दोषपूर्ण कार्य–प्रणाली का परिचालक है।

3. सबके लिए आवास :– वित्तीय वर्ष 2004–05 में सबके लिए आवास योजना के अन्तर्गत सामान्य कार्यक्रम एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के लिए विभिन्न श्रेणी के कुल 1.20 लाख भवनों/भूखण्डों के निर्माण एवं विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष माह सितम्बर, 04 तक कुल 10,141 भवन/भूखण्ड पूर्ण किये गये हैं तथा 19,247 भवनों/भेखण्डों पर निर्माण कार्य प्रगति में है। इस प्रकार से वित्तीय वर्ष के शेष 6 माहों 1,09,852 भवनों एवं भूखण्डों का निर्माण/विकास कार्य पूर्ण किया जाना है, जिनकी अभिकरणवार एवं श्रेणीवार मासिक फांट संलग्न परिशिष्ठ–3/1 से 3/6 में दर्शायी गयी है।

यह चिन्ता का विषय है कि जिन 7 अभिकरणों के पास निर्धारित 78900 लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, उनके द्वारा भी माह सितम्बर, 04 तक मात्र 19,456 अर्थात 24.78 प्रतिशत (आवास विकास परिषद 20.17 प्रतिशत, कानपुर 11.50 प्रतिशत, लखनऊ 38.11 प्रतिशत, आगरा 49.57 प्रतिशत, मेरठ 25.47 प्रतिशत, बांदा 22.95 प्रतिशत तथा हापुड़–पिलखुआ 28.97 प्रतिशत) भवनों/भूखण्डों पर निर्माण एवं विकास कार्य प्रारंभ किये गये हैं।

उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण विभागीय प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष जो उपलब्धियां माह सितम्बर, 04 तक प्राप्त की गयी हैं, वह उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 04 द्वारा निर्धारित त्रैमासिक फांट के आधार पर सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा तैयार की गयी मासिक फांट के अनुरूप नहीं है। अस्तु इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि माह सितम्बर, 04 के अन्त में जिन लक्ष्यों की पूर्ति की जानी शेष है, उनकी शत–प्रतिशत पूर्ति शासन द्वारा निर्धारित संलग्न मासिक फांट (परिशिष्ट–1, 2,3/1–3/6) के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के शेष 6 माहों में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए सभी अभिकरणों द्वारा अपने संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए विस्तृत कार्य–योजना तैयार कराई जाये तथा इसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रभावी रूप से उपलब्धियों की साप्ताहिक समीक्षा की जाये।

इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्याः (1)/9–आ–1–समीक्षा बैठक/519(आ.ब) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अधिशाषी निदेशक, उ.प्र. आवास बन्धु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

वर्ष 2004–2005 में अर्जित आय के लिए निर्धारित रु. 250000.00 लाख लक्ष्यों के सापेक्ष माह सितम्बर 2004 के अन्त में शेष रु. 167449.52 लाख अर्जित आय की पूर्ति हेतु माह 'अक्टूबर', 04 से मार्च, 05 तक की मासिक फांट (रु. लाख में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वर्ष 2004–05 के लक्ष्य	सितम्बर, 2004 तक उपलब्धियां	अवशेष लक्ष्य (3–4)	अवशेष लक्ष्यों की माह अक्टूबर, 04 से मार्च, 05 तक मासिक फांट					
					अक्टूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 04	फरवरी, 04	मार्च, 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद	47000.00	21290.92	25709.08	4280.00	4280.00	4280.00	4280.00	4280.00	4309.08
2	आ.एवं.वि.परिषद	55000.00	22297.70	32702.30	5450.00	5450.00	5450.00	5450.00	5450.00	5452.30
3	कानपुर	20000.00	4409.14	15590.86	2598.00	2598.00	2598.00	2598.00	2598.00	2600.86
4	लखनऊ	48000.00	10428.77	37571.23	6260.00	6260.00	6260.00	6260.00	6260.00	6271.23
5	आगरा	13000.00	4989.45	8010.55	1335.00	1335.00	1335.00	1335.00	1335.00	1335.55
6	इलाहाबाद	12000.00	3419.46	8580.54	1430.00	1430.00	1430.00	1430.00	1430.00	1430.54
7	मेरठ	20000.00	4222.57	15777.43	2629.00	2629.00	2629.00	2629.00	2629.00	2632.43
8	मुरादाबाद	10000.00	4008.28	5991.72	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	1001.72
9	अलीगढ़	2000.00	236.02	1763.98	293.00	293.00	293.00	293.00	293.00	298.98
10	बरेली	3500.00	292.58	3107.42	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	522.42
11	गोरखपुर	7000.00	2248.66	4751.34	790.00	760.00	800.00	800.00	800.00	801.34
12	मथुरा–वृन्दावन	2500.00	1247.53	1252.47	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.47
13	वाराणसी	3500.00	599.11	2900.89	480.00	480.00	480.00	480.00	485.00	495.89
14	बांदा	100.00	18.76	81.24	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.24
15	बुलन्दशहर	1400.00	603.69	796.31	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	136.31
16	फैजाबाद	1100.00	521.42	578.58	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	98.58
17	फिरोजाबाद	100.00	22.90	77.10	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.10
18	हापुड़–पिलखुवा	1000.00	327.05	672.95	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.95
19	झांसी	1000.00	229.99	770.01	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	130.01
20	मुजफ्फरपुर	300.00	237.09	62.91	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.91
21	रायबरेली	500.00	430.32	69.68	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.68
22	सहारनपुर	300.00	54.15	245.85	40.00	40.00	40.00	40.00	42.00	43.85
23	उन्नाव	700.00	314.92	385.08	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	65.08
	योग	250000.00	82550.48	167449.52	27886.00	27885.00	27897.00	27889.00	27907.00	28003.52

परिशिष्ट–2

वर्ष 2004–2005 में अर्जित आय के लिए निर्धारित रु. 3000 हेक्ट.भूमि के लक्ष्यों के सापेक्ष माह सितम्बर 2004 तक कब्जा हेतु शेष रु. 2954.66 हेक्ट.भूमि कब्जा प्राप्त करने हेतु माह 'अक्टूबर', 04 से मार्च, 05 तक की मासिक फांट (हेक्टेयर में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वर्ष 2004–05 के लक्ष्य	सितम्बर, 2004 तक उपलब्धियां	अवशेष लक्ष्य (3–4)	अवशेष लक्ष्यों की माह अक्टूबर, 04 से मार्च, 05 तक मासिक फांट					
					अक्टूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 04	फरवरी, 04	मार्च, 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00
2	आ.एवं.वि.परिषद	500.00	29.65	470.35	20.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.35
3	कानपुर	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
4	लखनऊ	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
5	आगरा	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6	इलाहाबाद	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	60.00	60.00	78.23
7	मेरठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	मुरादाबाद	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00
9	अलीगढ़	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	15.00	60.00	60.00	65.00
10	बरेली	250.00	6.80	243.20	0.00	20.00	60.00	60.00	60.00	43.20
11	गोरखपुर	200.00	0.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
12	मथुरा–वृन्दावन	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00
13	वाराणसी	100.00	0.00	100.00	0.00	20.00	0.00	25.00	25.00	30.00
14	बांदा	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
15	बुलन्दशहर	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00
16	फैजाबाद	40.00	7.12	32.88	0.00	0.00	15.00	0.00	7.00	10.88
17	फिरोजाबाद	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	15.00
18	हापुड़–पिलखुवा	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
19	झांसी	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	25.00
20	मुजफ्फरपुर	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
21	रायबरेली	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
22	सहारनपुर	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
23	उन्नाव	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	योग	3000.00	45.34	2954.66	29.00	140.00	405.00	690.00	868.00	822.66

वर्ष 2004–2005 में सबके लिए आवास(सामान्य)बाम्बे/आश्रय/दुर्बल आय वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अवशेष लक्ष्यों की 'अक्टूबर', 04 से मार्च, 05 तक की मासिक फांट

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वर्ष 2004–05 के लक्ष्य	सितम्बर, 2004 तक उपलब्धियां	अवशेष लक्ष्य (3–4)	अवशेष लक्ष्यों की माह अक्टूबर, 04 से मार्च, 05 तक मासिक फांट					
					अक्टूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 04	फरवरी, 04	मार्च, 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद	5000.00	0	5000	800	800	850	850	850	850
2	आ.एवं.वि.परिषद	7000.00	1266	5734	917	917	975	975	975	975
3	कानपुर	6000.00	225	5775	923	924	982	982	982	982
4	लखनऊ	6000.00	160	5840	934	934	993	993	993	993
5	आगरा	1000.00	170	830	133	133	141	141	141	141
6	इलाहाबाद	1000.00	0	1000	160	160	170	170	170	170
7	मेरठ	500.00	0	500	80	80	85	85	85	85
8	मुरादाबाद	500.00	155	345	54	55	59	59	59	59
9	अलीगढ़	200.00	0	200	32	32	34	34	34	34
10	बरेली	300.00	0	300	48	48	51	51	51	51
11	गोरखपुर	300.00	0	300	48	48	51	51	51	51
12	मथुरा–वृन्दावन	300.00	0	300	48	48	51	51	51	51
13	वाराणसी	400.00	0	400	64	64	68	68	68	68
14	बांदा	150.00	0	150	22	24	26	26	26	26
15	बुलन्दशहर	150.00	15	135	21	22	23	23	23	23
16	फैजाबाद	150.00	40	110	16	18	19	19	19	19
17	फिरोजाबाद	150.00	0	150	22	24	26	26	26	26
18	हापुड़–पिलखुवा	200.00	0	200	32	32	34	34	34	34
19	झांसी	200.00	0	200	32	32	34	34	34	34
20	मुजफ्फरपुर	100.00	0	100	16	16	17	17	17	17
21	रायबरेली	100.00	24	76	12	12	13	13	13	13
22	सहारनपुर	200.00	0	200	32	32	34	34	34	34
23	उन्नाव	100.00	41	59	9	10	10	10	10	10
	योग	30000.00	2096	27904	4455	4465	4746	4746	4746	4746

परिशिष्ट–3/2

वर्ष 2004–2005 में सबके लिए आवास(सामान्य कार्यक्रम)अल्पआय वर्ग के लिए निर्धारित 20000 लक्ष्यों के सापेक्ष माह सितम्बर के अन्त में शेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु माह 'अक्टूबर', 04 से मार्च, 05 तक की मासिक फांट(संख्या में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वर्ष 2004–05 के लक्ष्य	सितम्बर, 2004 तक उपलब्धियां	अवशेष लक्ष्य (3–4)	अवशेष लक्ष्यों की माह अक्टूबर, 04 से मार्च, 05 तक मासिक फांट					
					अक्टूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 04	फरवरी, 04	मार्च, 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद	3000	285	2715	434	434	461	462	462	462
2	आ.एवं.वि.परिषद	6000	155	5845	935	934	994	994	994	994
3	कानपुर	3000	421	2579	413	413	438	438	438	439
4	लखनऊ	3500	300	3200	512	512	544	544	544	544
5	आगरा	1000	68	932	149	149	158	158	158	160
6	इलाहाबाद	750	441	0	0	0	0	0	0	0
7	मेरठ	250	0	250	38	40	43	43	43	43
8	मुरादाबाद	250	192	58	9	9	10	10	10	10
9	अलीगढ़	100	0	100	16	16	17	17	17	17
10	बरेली	150	0	150	22	24	26	26	26	26
11	गोरखपुर	200	14	186	28	30	32	32	32	32
12	मथुरा–वृन्दावन	250	15	235	37	38	40	40	40	40
13	वाराणसी	300	0	300	48	48	51	51	51	51
14	बांदा	150	0	150	23	23	26	26	26	26
15	बुलन्दशहर	100	25	75	11	12	13	13	13	13
16	फैजाबाद	150	13	137	22	22	23	23	23	24
17	फिरोजाबाद	100	0	100	16	16	17	17	17	17
18	हापुड़–पिलखुवा	150	0	150	22	24	26	26	26	26
19	झांसी	150	3	147	23	24	25	25	25	25
20	मुजफ्फरपुर	100	0	100	16	16	17	17	17	17
21	रायबरेली	100	150	0	0	0	0	0	0	0
22	सहारनपुर	150	0	150	22	24	26	26	26	26
23	उन्नाव	100	0	100	16	16	17	17	17	17
	योग	20000	2082	17659	2812	2824	3004	3005	3005	3009

परिशिष्ट–3/3

वर्ष 2004–05 में सब के लिए आवास(सामान्य कार्यक्रम) मध्यम आय वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष माह सितम्बर 2004 के अन्त शेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु माह 'अक्टूबर', 04 से मार्च, 05 तक की मासिक फांट (संख्या में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वर्ष 2004–05 के लक्ष्य	सितम्बर, 2004 तक उपलब्धियां	अवशेष लक्ष्य (3–4)	अवशेष लक्ष्यों की माह अक्टूबर, 04 से मार्च, 05 तक मासिक फांट					
					अक्टूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 04	फरवरी, 04	मार्च, 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद	4000	170	3830	620	630	630	650	650	650
2	आ.एवं.वि.परिषद	8000	558	7442	1240	1240	1240	1240	1240	1242
3	कानपुर	4000	40	3960	660	660	660	660	660	660
4	लखनऊ	4500	300	4200	700	700	700	700	700	700
5	आगरा	1000	121	879	146	146	146	146	146	149
6	इलाहाबाद	900	216	684	114	114	114	114	114	114
7	मेरठ	800	0	800	133	133	133	133	133	135
8	मुरादाबाद	800	500	300	50	50	50	50	50	50
9	अलीगढ़	100	0	100	16	16	17	17	17	17
10	बरेली	100	0	100	16	16	17	17	17	17
11	गोरखपुर	100	10	90	15	15	15	15	15	15
12	मथुरा–वृन्दावन	100	6	94	15	15	16	16	16	16
13	वाराणसी	100	0	100	16	16	17	17	17	17
14	बांदा	25	0	25	4	4	4	4	4	5
15	बुलन्दशहर	50	15	35	5	6	6	6	6	6
16	फैजाबाद	50	17	33	5	5	5	6	6	6
17	फिरोजाबाद	50	0	50	8	8	8	8	9	9
18	हापुड़–पिलखुवा	75	0	75	12	12	12	13	13	13
19	झांसी	50	0	50	8	8	8	8	9	9
20	मुजफ्फरपुर	50	0	50	8	8	8	8	9	9
21	रायबरेली	50	10	40	6	6	7	7	7	7
22	सहारनपुर	50	0	50	8	8	8	8	9	9
23	उन्नाव	50	0	50	8	8	8	8	9	9
	योग	25000	1963	23037	3813	3824	3829	3851	3856	3864

परिशिष्ट–3/4

वर्ष 2004–05 में सब के लिए आवास(सामान्य कार्यक्रम) उच्च आय वर्ग के लिए निर्धारित 15000 भवनों/भूखण्डों के लक्ष्यों के सापेक्ष सितम्बर 2004 तक शेष लक्ष्यों की माह 'अक्टूबर', 04 से मार्च, 05 तक की मासिक फांट

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वर्ष 2004–05 के लक्ष्य	सितम्बर, 2004 तक उपलब्धियां	अवशेष लक्ष्य (3–4)	अवशेष लक्ष्यों की माह अक्टूबर, 04 से मार्च, 05 तक मासिक फांट					
					अक्टूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 04	फरवरी, 04	मार्च, 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद	2500	76	2424	400	400	400	400	400	424
2	आ.एवं.वि.परिषद	6000	0	6000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	कानपुर	2500	27	2473	410	410	410	410	410	423
4	लखनऊ	3000	150	2850	475	475	475	475	475	475
5	आगरा	200	138	62	10	10	10	10	10	12
6	इलाहाबाद	200	23	177	28	28	30	30	30	31
7	मेरठ	50	0	50	8	8	8	8	9	9
8	मुरादाबाद	175	1423	0	0	0	0	0	0	0
9	अलीगढ़	50	0	50	8	8	8	8	9	9
10	बरेली	50	0	50	8	8	8	8	9	9
11	गोरखपुर	50	5	45	7	7	7	7	7	10
12	मथुरा–वृन्दावन	50	3	47	7	8	8	8	8	8
13	वाराणसी	50	0	50	8	8	8	8	8	10
14	बांदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	बुलन्दशहर	25	5	20	3	3	3	3	3	5
16	फैजाबाद	25	11	14	2	2	2	2	3	3
17	फिरोजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हापुड़–पिलखुवा	25	0	25	4	4	4	4	4	5
19	झांसी	25	25	0	0	0	0	0	0	0
20	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	रायबरेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	सहारनपुर	25	0	25	4	4	4	4	4	5
23	उन्नाव	0	30	0	0	0	0	0	0	0
	योग	15000	1916	14362	2382	2383	2385	2385	2389	2438

वर्ष 2004–05 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में दुर्बल आय वर्ग के लिए निर्धारित 20000 भवनों/भूखण्डों के लक्ष्यों के सापेक्ष सितम्बर 2004 के अन्त में शेष 18786 लक्ष्यों की पूति हेतु माह 'अक्टूबर', 04 से मार्च, 05 तक की मासिक फांट (संख्या में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वर्ष 2004–05 के लक्ष्य	सितम्बर, 2004 तक उपलब्धियां	अवशेष लक्ष्य (3–4)	अवशेष लक्ष्यों की माह अक्टूबर, 04 से मार्च, 05 तक मासिक फांट					
					अक्टूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 04	फरवरी, 04	मार्च, 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद	1000	0	1000	165	165	165	165	165	175
2	आ.एवं.वि.परिषद	4000	219	3781	630	630	630	630	630	631
3	कानपुर	1000	0	1000	160	160	170	170	170	170
4	लखनऊ	1000	130	870	145	145	145	145	145	145
5	आगरा	1200	0	1200	200	200	200	200	200	200
6	इलाहाबाद	1200	120	1080	180	180	180	180	180	180
7	मेरठ	1800	200	1600	265	265	265	265	265	275
8	मुरादाबाद	1800	355	1445	240	240	240	240	240	245
9	अलीगढ़	1200	0	1200	200	200	200	200	200	200
10	बरेली	1200	0	1200	200	200	200	200	200	200
11	गोरखपुर	900	0	900	150	150	150	150	150	150
12	मथुरा–वृन्दावन	900	0	900	150	150	150	150	150	150
13	वाराणसी	800	0	800	130	130	130	130	130	150
14	बांदा	100	0	100	15	15	15	15	20	20
15	बुलन्दशहर	200	50	150	25	25	25	25	25	25
16	फैजाबाद	300	0	300	50	50	50	50	50	50
17	फिरोजाबाद	200	0	200	30	30	30	30	40	40
18	हापुड़–पिलखुवा	200	0	200	30	30	30	30	40	40
19	झांसी	200	0	200	30	30	30	30	40	40
20	मुजफ्फरपुर	200	0	200	30	30	30	30	40	40
21	रायबरेली	150	140	10	0	2	2	2	2	2
22	सहारनपुर	300	0	300	50	50	50	50	50	50
23	उन्नाव	150	0	150	24	24	24	26	26	26
	योग	20000	1214	18786	3099	3101	3111	3113	3158	3204

वर्ष 2004–05 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में अल्प आय वर्ग के लिए निर्धारित 10000 भवनों/भूखण्डों के लक्ष्यों के सापेक्ष सितम्बर 2004 के अन्त में शेष 9123 लक्ष्यों की पूर्ति हेतु माह 'अक्टूबर', 04 से मार्च, 05 तक की मासिक फांट (संख्या में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वर्ष 2004–05 के लक्ष्य	सितम्बर, 2004 तक उपलब्धियां	अवशेष लक्ष्य (3–4)	अवशेष लक्ष्यों की माह अक्टूबर, 04 से मार्च, 05 तक मासिक फांट					
					अक्टूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 04	फरवरी, 04	मार्च, 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद	500	0	500	80	80	80	80	90	90
2	आ.एवं.वि.परिषद	2000	52	1948	320	320	320	325	325	338
3	कानपुर	500	110	390	65	65	65	65	65	65
4	लखनऊ	500	0	500	80	80	80	85	85	90
5	आगरा	300	0	300	50	50	50	50	50	50
6	इलाहाबाद	500	100	400	65	65	65	65	65	75
7	मेरठ	1100	150	950	155	155	155	155	155	175
8	मुरादाबाद	1100	300	800	130	130	130	130	130	150
9	अलीगढ़	750	0	750	125	125	125	125	125	125
10	बरेली	750	0	750	125	125	125	125	125	125
11	गोरखपुर	350	0	350	55	55	55	55	55	75
12	मथुरा–वृन्दावन	300	0	300	50	50	50	50	50	50
13	वाराणसी	350	0	350	55	55	55	55	55	75
14	बांदा	50	0	50	8	8	8	8	8	10
15	बुलन्दशहर	100	30	70	10	10	10	12	14	14
16	फैजाबाद	150	0	150	25	25	25	25	25	25
17	फिरोजाबाद	100	0	100	15	15	15	15	20	20
18	हापुड़–पिलखुवा	100	0	100	15	15	15	15	20	20
19	झांसी	100	0	100	15	15	15	15	20	20
20	मुजफ्फरपुर	100	0	100	15	15	15	15	20	20
21	रायबरेली	50	35	15	2	2	2	3	3	3
22	सहारनपुर	150	0	150	25	25	25	25	25	25
23	उन्नाव	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	योग	10000	877	9123	1485	1485	1485	1498	1530	1640

संख्या : 1147/9–आ–1–04–लक्ष्य वि.वर्ष 2004-05(आ.ब.–2)

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
समस्त विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

3– **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

4– **प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ,
लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक : 08 अप्रैल, 2004

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

विषयः मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट भाषण के दौरान की गई घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 की विभागीय प्राथमिकताओं के लक्ष्यों का निर्धारण एवं कार्यपूर्ति योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट भाषण के दौरान आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर की गयी घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित की गयी विभागीय प्राथमिकताओं के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों के लिए वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए निम्नवत् मदवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं :–

1. **अर्जित आय :**

वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के लिए रु. 2500 करोड़ आय अर्जित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनकी अभिकरणवार फांट परिशिष्ट–1 पर दर्शायी गयी है। सभी अभिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि वह अर्जित आय के लिए अपने निर्धारित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति हेतु आय के विभिन्न स्रोतों की गहन समीक्षा कर उनसे होने वाली आय के मददवार मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक कार्य–योजना तैयार कर दिनांक 30.04.2004 तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. **भूमि अर्जन :**

वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के लिए 3000 हेक्टेयर भूमि अर्जित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनकी अभिकरणवार फांट परिशिष्ट–2 पर दर्शायी गयी है। सभी अभिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि ये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नई योजनाओं के लिए भूमि अर्जन संबंधी प्रस्ताव दिनांक 30.04.2004 तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. सबके लिए आवास :

3.1 समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक क्षमतानुसार आवास की सुविधा मुहैया कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में सार्वजनिक सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में कुल 2.50 लाख आवासीय भूखण्ड एवं भवन उपलब्ध कराने का निम्नवत् लक्ष्य निर्धारित किया जाता है:–

क्र.सं.	सेक्टर	वित्तीस वर्ष 2004–05 हेतु लक्ष्य (भूखण्ड एवं भवन लाख में) बाम्बे/आश्रय/दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	सार्वजनिक क्षेत्र					
(अ)	सामान्य कार्यक्रम	0.30	0.20	0.25	0.15	0.90
(ब)	अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र	0.20	0.10	–	–	0.30
	योग	0.50	0.30	0.25	0.15	1.20
2.	सहकारी क्षेत्र	0.20	0.10	0.10	0.50	0.45
3.	निजी क्षेत्र	0.30	0.25	0.20	0.10	0.85
	योग	1.00	0.65	0.55	0.30	2.50
	योग का प्रतिशत	40:	26:	22:	12:	100:

3.2 सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग हेतु प्रस्तावित 80 हजार आवासीय इकाईयों के लक्ष्यों में से 50 हजार इकाईयां, आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित/विकसित की जायेगी। शेष 30 हजार इकाईयों (भूखण्ड एवं भवन) का निर्माण/विकास माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार अल्पसंख्यक बाहुल्य नगरीय क्षेत्रों में किया जायेगा। दोनों प्रकार के लक्ष्यों की अभिकरणवार फांट परिशिष्ट–3 व 4 में दर्शायी गयी है।

3.3 बाम्बे/आश्रय/दुर्बल आय वर्ग हेतु प्रस्तावित 80 हजार लक्ष्यों की पूर्ति शत–प्रतिशत भवन निर्मित करके की जायेगी, जबकि अन्य आय वर्गों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति 25 प्रतिशत अथवा वास्तविक मांग के अनुसार भवन बनाकर एवं शेष सम्बन्धित श्रेणी के भूखण्ड विकसित करके की जायेगी।

3.4 दुर्बल आय वर्ग के लिए प्रस्तावित 50 हजार इकाईयों में से 15 हजार (30 प्रतिशत) का निर्माण यथा बाम्बे योजना के अन्तर्गत किया जाये, ताकि सूडा के माध्यम से इन भवनों के निर्माण हेतु अधिक से अधिक केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त किया जा सके। बाम्बे योजना के भवन निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था भी सूडा के माध्यम से करने का प्रयास किया जाये।

4. लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समय सारणी :

वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के लिए अर्जित आय, भूमि अर्जन एवं भवन निर्माण हेतु जो भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनकी मासिक फांट निम्न समय–सारिणी के आधार मानते हुयें निर्धारित की जाये :–

क्र.सं. कार्य का मद	मात्रा	भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की त्रैमासिक फांट (प्रतिशत में)				
		प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	योग
1 2	3	4	5	6	7	8
1. अर्जित आय (रु. करोड़)	2500	20	25	25	30	100
2.भूमि अर्जित (हेक्टे.)	3000	15	30	35	20	100
3.भूखण्ड एवं भवन	1.20	10	15	35	40	100
विकास/निर्माण (संख्या)	लाख					

5.प्रमुख नगरों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का 'ब्लू प्रिन्ट' :

5.1 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं से जुड़े विभागों/कार्यदायी संस्थाओं यथा विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, नगर निगम, जल संस्थान, सूडा, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, रेल विभाग तथा दूर संचार विभाग की आपसी समन्वय एवं वित्तीय संसाधनों की डवटेलिंग करते हुए जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, सड़क निर्माण एवं सुधार, पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास, आदि हेतु एकीकृत "ब्लू प्रिन्ट" बनाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2004–05 के "ब्लू प्रिन्ट" हेतु निम्नवत् लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं :–

प्रस्तावित परियोजनाओं की सेख्या : 3500

परियोजनाओं की लागत : रु. 900 करोड़

5.2 सभी विकास प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अपने नगर की अवस्थापना सुविधाओं का "ब्लू–प्रिन्ट" तैयार कराकर शासन को दिनांक 30.04.2004 तक अवश्य करा दिया जायेगा।

6. छोटे एवं मध्यम नगरों हेतु संगठित विकास योजना :

6.1 छोटे एवं मध्यम आकार के नगरों को विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा पुरोनिधामित इस योजनान्तर्गत 5 लाख तक की आबादी वाले नगरों हेतु रु. 01 करोड़ से रु. 7.5 करोड़ की योजनाएं आई हैं, जिनमें आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाएं, सड़क एवं चौराहा सुधार, ड्रेनेज, मार्ग–प्रकाश व्यवस्था तथा पार्को का विकास एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य सम्मिलित है। इन योजनाओं के लिए निर्धारित कुल अनुदान का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

6.2 वित्तीय वर्ष 2004–05 में इस योजनान्तर्गत 30 नए नगरों को लाभान्वित किए जाने हेतु रु. 47.98 करोड़ लागत की योजनाएं केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष केन्द्र सरकार से प्रथम किश्त के रूप में रु. 11.17 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। प्रस्तावित योजनाओं की नगरवार/जनपदवार फांट परिशिष्ट–5 पर दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में स्वीकृत नगरों में से 15 नगरों हेतु केन्द्रांश की रु. 06.46 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। इस प्रकार इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में केन्द्रांश के रूप में कुल 17.63 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। इसके सापेक्ष राज्यांश के रूप में धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु आय–व्ययक में रु. 12 करोड़ की व्यवस्था कराई गई है।

6.3 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों तक केन्द्र सरकार को स्वीकृत हेतु परियाजनाएं प्रस्तुत की जायेंगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि के लिए निर्धारित राशि के लिए निर्धारित समय पर शासन को प्रस्ताव किये जायें।

7. सुनियोजित नगरीय विकास हेतु महायोजनाएं :

7.1 वर्ष 1991–2001 के दशक में प्रदेश की नगरीय जनसंख्या में हुई लगभग एक करोड़ की वृद्धि एवं तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण के दृषित नगरों के संतुलित एवं सुनियोजित विकास हेतु वित्तीय वष्र 2004–05 में 16 नगरों की नई/पुनरीक्षित महायोजनाएं तैयार किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनका नगरवार विवरण परिशिष्ट–6 पर दर्शाया गया है।

7.2 महायोजना को वस्तुपरक बनाने हेतु इसकी संरचना में आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों तथा सेटेलाईट इमेजरी तथा जी. आई.एस. का उपयोग किया जाये।

7.3 महायोजना प्रस्तावों में यथा सम्भव विजन स्टेटमेन्ट की संस्तुतियों का समावेश करते हुए अवस्थापना सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन को योजनाओं को एकीकृत किया जाये।

7.4 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा विकास प्राधिकरण वाले नगरों में संबंधित उपाध्यक्षों तथा अन्य नगरों के नोडल अधिकरी से विमर्श कर उपरोक्त प्रस्तावित 16 नगरों की महायोजनाएं तैयार कराने की मदवार विस्तृत कार्य योजना दिनांक 30.04. 2004 तक शासन को प्रस्तुत की जाये।

7.4 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा विकास प्राधिकरण वाले नगरों में संबंधित उपाध्यक्षों तथा अन्य नगरों के नोडल अधिकारी से विमर्श कर उपरोक्त प्रस्तावित 16 नगरों की महायोजनाएं तैयार कराने की मदवार विस्तृत कार्य योजना दिनांक 30.04. 2004 तक शासन को प्रस्तुत की जाये।

8. निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन :

आवासिकी के क्षेत्र एवं सुनियोजित नगरीय विकास में अधिक से अधिक निजी पूंजी निवेश आकर्षित किए जाने हेतु निजी क्षेत्र में हाई–टेक टाउनशिप का विकास का कार्यक्रम निम्नवत् है :–

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओंयुक्त हाई–टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु नवम्बर 2003 में नीति घोषित की गयी है। उक्त नीति के अनुपालन में प्रदेश के तीव्र गति से बढ़ रहे महानगर क्षेत्रों–लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद मेरठ तथा बरेली प्रत्येक में न्यूनतम एक–एक टाउनशिप के विकास का कार्य प्रारम्भ किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

9. हरित पर्यावास (ग्रीन हैबीटाट) :

नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल, वायु, वृक्ष, आदि के संरक्षण एवं उनमें संतुलन बनाए रखने तथा ऊर्जा की खपत में बचत सम्बन्धी उपायों पर विशेष बल दिया जाना होगा ताकि प्रदूषण नियन्त्रित हो सके, नगरीय सौन्दर्य में वृद्धि हो तथा नगरीय जनसंख्या को स्वस्थ रिहायशी वातावरण सुलभ हो सके। हरित पर्यावास के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं :–

9.1 वृक्षारोपण अभियान

आवास एवं विकास परिषद तथा 22 विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने–अपने नगर क्षेत्रों में कुल 5 लाख नए वृक्षों का रोपण करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इन लक्ष्यों की 90 प्रतिशत पूर्ति दिसम्बर 2004 तक सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा स्वयं वृक्षारोपण कराकर सुनिश्चित की जाएगी। शेष 10 प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रमुख नगरों में विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के नियन्त्रणाधीन योजनाओं में बड़े आकार के पार्कों, खुले क्षेत्रों तथा ग्रीन बेल्ट, आदि में "नगरीय वन क्षेत्र" घोषित किए जाएंगे जिनके अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं रख–रखाव कार्य हेतु वन विभाग कार्यवाही संस्था होगी। अभिकरण लक्ष्य परिशिष्ट–7 पर है।

9.2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य–योजना

भूजल स्रोतों के संरक्षण, मितव्ययता तथा रिचार्जिंग में समुचित जल–प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित करने हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति के अनुपालन में एक कार्य–योजना दिनांक 30.04.2004 तक बनाई जाये, जिसका क्रियान्वयन एवं समन्वय विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व निम्न समय–सारिणी के अनुसार सुनिश्चित करते हुये परिशिष्ट–8 में दर्शाये गये न्यूनतम लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाये :–

क्र.सं.	रेन वाटर हार्वेस्टंग हेतु प्रस्तावित कार्यवाही	लक्ष्य तिथि
1.	सरकारी एवं अर्द्ध–सारकारी भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित कराना	30.6.2004
2.	सार्वजनिक सुविधाओं के भवनों (स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, सामुदायिक केन्द्र, आदि) में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित कराना	31.7.2004
3.	विद्यमान तालाब, पोखर, जलाशय, आदि में भूजल रिचार्जिंग की व्यवस्था कराना	31.7.2004
4.	300 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के समस्त नए भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था कराना	अनवरत प्रक्रिया
5.	जल संचयन, पुनर्भरण एवं संरक्षण जागरूकता अभियान	अनवरत प्रक्रिया

9.3 सोलर पैसिव आर्कीटेक्चर को प्रोत्साहन

भवन निर्माण में ऊर्जा की खपत कम करने तथा भवनों में प्राकृतिक प्रकाश एवं वायु का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से सोलर पैसिव आर्कीटेक्चर पर आधारित भवन निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु विनियन निर्धारित कर उन्हें विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की भवन उपविधियों में समाहित किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 2004–05 में संलग्न परिशिष्ट–9 के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सभी अभिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

9.4 आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य–योजना

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भू–आच्छादन के अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में निम्न कार्य–योजना के अनुसार सभी विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद द्वारा भूकम्परोधी निर्माण व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी :–

क्र.सं.	कार्यवाही का विवरण	लक्ष्य तिथि
1.	बहुमंजिले भवनों का चिन्हीकरण	15.05.04
2.	निर्माणाधीन/नवनिर्मित होने वाले भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्था लागू कराना	31.10.2004
3.	पूर्व निर्मित भवनों में "रिट्रोफिटिंग" व्यवस्था कराना	31.3.2005
4.	आपदा प्रबन्धन हेतु स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था का सृजन	31.3.2005
5.	भूकम्परोधी निर्माण हेतु जन जागरूकता अभियान	अनवरत प्रक्रिया

10. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्य–प्रणाली का विस्तार :

10.1 वित्तीय वर्ष 2004–05 में लखनऊ तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अनुरूप आई.एस.ओ.– 9001:2000 प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु दोनों विकास प्राधिकरणों

में दिनांक 30.04.2004 तक "टास्क–फोर्स" का गठन सुनिश्चित किया जाये।

10.2 प्रदेश सरकार की पारदर्शिता की नीति के क्रम में शासकीय अभिकरणों में प्रक्रियात्मक एकरूपता, सिस्टम सुधार तथा मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास का लाभ उठाने के उद्देश्य से समस्त विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद में कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली लागू करने/सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में "इन्टीग्रेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज" (आइ.ए.एस.पी.) विकसित कराया जाएगा। उक्त साफ्टवेयर के विकसित होने एवं क्रियान्वयन से कार्य–प्रणाली में सुधार, प्रक्रियात्मक एकरूपता एवं पारदर्शिता, सूचनाओं के संकलन एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।

10.3 विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद में क्षमता विकास हेतु विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों को नियोजन एवं वास्तुकला, अभियन्त्रण, वित्त एवं लेखा तथा सम्पत्ति प्रबन्धन की आधुनिक तकनीकियों में प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की जाये।

11. अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु निर्धारित कार्यक्रमों/विभागीय प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विस्तृत कार्य–योजना तैयार कराकर शत–प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति तथा सभी मदों की मासिक प्रगति रिपोर्ट पूर्व निर्धारित प्रारूपों पर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाय।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 1147/(1)/9–आ–1–04–लक्ष्य वि. वर्ष 2004–05 (आ.ब.–2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में अर्जित आय के अभिकरणवाद लक्ष्य (रु. करोड़ में)

श्रेणी व क्रम संख्या	अभिकरण के नाम	वर्ष 2004–05 के लक्ष्य
1	2	3
ए.एस.–1	गाजियाबाद वि.प्रा.	470.00
ए.एस.–2	आ.वि. परिषद वि.प्रा.	550.00
ए.एस.–3	कानपुर वि.प्रा.	200.00
ए.एस.–4	कानपुर वि.प्रा.	480.00
	योग (श्रेणी–ए.एस)	1700.00
ए–1	आगरा वि.प्रा.	130.00
ए–2	इलाहाबाद वि.प्रा.	120.00
ए–3	मेरठ वि.प्रा.	200.00
ए–4	मुरादाबाद वि.प्रा.	100.00
	योग (श्रेणी–ए.)	550.00
बी–1	अलीगढ़ वि.प्रा.	20.00
बी–2	बरेली वि.प्रा.	35.00
बी–3	गोरखपुर वि.प्रा.	70.00
बी–4	मथुरा–वृन्दावन वि.प्रा.	25.00
बी–5	वाराणसी वि.प्रा.	35.00
	योग(श्रेणी–बी.)	185.00
सी–1	बांदा वि.प्रा.	1.00
सी–2	बुलन्द शहर वि.प्रा.	14.00
सी–3	फैजाबाद वि.प्रा.	11.00
सी–4	फिरोजाबाद वि.प्रा.	1.00
सी–5	हापुड़–पिलखुआ वि.प्रा.	10.00
सी–6	झांसी वि.प्रा.	10.00
सी–7	मुजफ्फरनगर वि.प्रा.	3.00
सी–8	रायबरेली वि.प्रा.	5.00
सी–9	सहारनपुर वि.प्रा.	3.00
सी–10	उन्नाव वि.प्रा.	7.00
	योग(श्रेणी–सी)	65.00
	महायोग	2500.00

वर्ष 2004–05 में भूमि अर्जन के अभिकरणवार लक्ष्य (हेक्टेयर में)

श्रेणी व क्रम संख्या	अभिकरण के नाम	वर्ष 2004–05 के लक्ष्य
1	2	3
ए.एस.–1	गाजियाबाद वि.प्रा.	300
ए.एस.–2	आ.वि. परिषद वि.प्रा.	500
ए.एस.–3	कानपुर वि.प्रा.	200
ए.एस.–4	लखनऊ वि.प्रा.	300
	योग (श्रेणी–ए.एस)	1300
ए–1	आगरा वि.प्रा.	200
ए–2	इलाहाबाद वि.प्रा.	200
ए–3	मेरठ वि.प्रा.	0
ए–4	मुरादाबाद वि.प्रा.	50
	योग (श्रेणी–ए.)	450
बी–1	अलीगढ़ वि.प्रा.	200
बी–2	बरेली वि.प्रा.	250
बी–3	गोरखपुर वि.प्रा.	200
बी–4	मथुरा–वृन्दावन वि.प्रा.	100
बी–5	वाराणसी वि.प्रा.	100
	योग(श्रेणी–बी.)	850
सी–1	बांदा वि.प्रा.	20
सी–2	बुलन्द शहर वि.प्रा.	40
सी–3	फैजाबाद वि.प्रा.	40
सी–4	फिरोजाबाद वि.प्रा.	40
सी–5	हापुड़–पिलखुआ वि.प्रा.	20
सी–6	झांसी वि.प्रा.	50
सी–7	मुजफ्फरनगर वि.प्रा.	50
सी–8	रायबरेली वि.प्रा.	20
सी–9	सहारनपुर वि.प्रा.	100
सी–10	उन्नाव वि.प्रा.	20
	योग(श्रेणी–सी)	400
	महायोग	3000

वर्ष 2004–05 में विभिन्न श्रेणी के भवनों / भूखण्डों के निर्माण एवं विकास के अभिकरणवार लक्ष्य (भवन संख्या में)

श्रेणी व क्रम संख्या	अभिकरण के नाम	बाम्बे / आश्रय / दुर्बल आय वर्ग के भवन	अल्प आय वर्ग एवं भाऊराव देवरस के भवन / भूखण्ड	मध्यम आय वर्ग भवन / भूखण्ड	उच्च आय वर्ग भवन / भूखण्ड	योग भवन / भू.
1	2	3	4	5	6	7
ए.एस.–1	गाजियाबाद वि.प्रा.	5000	3000	4000	25000	14500
ए.एस.–2	आ.वि. परिषद वि.प्रा.	7000	6000	8000	6000	27000
ए.एस.–3	कानपुर वि.प्रा.	6000	3000	4000	2500	15500
ए.एस.–4	लखनऊ वि.प्रा.	6000	3500	4500	3000	17000
	योग (श्रेणी–ए.एस)	24000	15500	20500	14000	74000
ए–1	आगरा वि.प्रा.	1000	1000	1000		3200
ए–2	इलाहाबाद वि.प्रा.	1000	750	900	200	2850
ए–3	मेरठ वि.प्रा.	500	250	800	50	1600
ए–4	मुरादाबाद वि.प्रा.	500	250	800	175	1725
	योग (श्रेणी–ए.)	3000	2250	3500	425	9375
बी–1	अलीगढ़ वि.प्रा.	200	100	100	50	450
बी–2	बरेली वि.प्रा.	300	150	100	50	600
बी–3	गोरखपुर वि.प्रा.	300	200	100	50	650
बी–4	मथुरा–वृन्दावन वि.प्रा.	300	250	100	50	700
बी–5	वाराणसी वि.प्रा.	400	300	100	50	850
	योग(श्रेणी–बी.)	1500	1000	500	250	3250
सी–1	बांदा वि.प्रा.	150	150	25	0	325
सी–2	बुलन्द शहर वि.प्रा.	150	100	50	25	325
सी–3	फैजाबाद वि.प्रा.	150	150	50	25	375
सी–4	फिरोजाबाद वि.प्रा.	150	100	50	0	300
सी–5	हापुड़–पिलखुआ वि.प्रा.	200	150	75	25	450
सी–6	झांसी वि.प्रा.	200	150	50	25	425
सी–7	मुजफ्फरनगर वि.प्रा.	100	100	50	0	250
सी–8	रायबरेली वि.प्रा.	100	100	50	0	250
सी–9	सहारनपुर वि.प्रा.	200	150	50	25	425
सी–10	उन्नाव वि.प्रा.	100	100	50	0	250
	योग(श्रेणी–सी)	1500	1250	500	125	3375
	महायोग	30000	20000	25000	14800	90000

वित्तीय वर्ष 2004–05 में
अल्पसंख्यक बाहुल्य नगरों में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के भवनों/भूखण्डों के अभिकरणवार लक्ष्य (संख्या में)

श्रेणी व क्रम संख्या	अभिकरण के नाम	बाम्बे/आश्रय/दु.आ.व. (भवन/भूखण्ड)	अल्प आय वर्ग (भवन/भूखण्ड)	योग
1	2	3	4	5
ए.एस.–1	गाजियाबाद वि.प्रा.	1000	500	1500
ए.एस.–2	आ.वि. परिषद वि.प्रा.	4000	2000	6000
ए.एस.–3	कानपुर वि.प्रा.	1000	500	1500
ए.एस.–4	लखनऊ वि.प्रा.	1000	500	1500
	योग (श्रेणी–ए.एस)	7000	3500	10500
ए–1	आगरा वि.प्रा.	1200	300	1500
ए–2	इलाहाबाद वि.प्रा.	1200	500	1700
ए–3	मेरठ वि.प्रा.	1800	1100	2900
ए–4	मुरादाबाद वि.प्रा.	1800	110	2900
	योग (श्रेणी–ए.)	6000	3000	9000
बी–1	अलीगढ़ वि.प्रा.	1200	750	1950
बी–2	बरेली वि.प्रा.	1200	750	1950
बी–3	गोरखपुर वि.प्रा.	900	350	1250
बी–4	मथुरा–वृन्दावन वि.प्रा.	900	300	1200
बी–5	वाराणसी वि.प्रा.	800	350	1150
	योग(श्रेणी–बी.)	5000	2500	7500
सी–1	बांदा वि.प्रा.	100	50	150
सी–2	बुलन्द शहर वि.प्रा.	200	100	300
सी–3	फैजाबाद वि.प्रा.	300	150	450
सी–4	फिरोजाबाद वि.प्रा.	200	100	300
सी–5	हापुड़–पिलखुआ वि.प्रा.	200	100	300
सी–6	झांसी वि.प्रा.	200	100	300
सी–7	मुजफ्फरनगर वि.प्रा.	200	100	300
सी–8	रायबरेली वि.प्रा.	150	50	200
सी–9	सहारनपुर वि.प्रा.	300	150	450
सी–10	उन्नाव वि.प्रा.	150	100	250
	योग(श्रेणी–सी)	2000	1000	3000
	महायोग	20000	10000	30000

वित्तीय वर्ष 2004–05 में
अल्पसंख्यक बाहुल्य नगरों में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के
भवनों/भूखण्डों के अभिकरणवार लक्ष्य (संख्या में)

क्र.सं.	नगर का नाम	जनपद	योजना लागत (रु. लाख)	केन्द्र स.के अनुमोदन हेतु प्रेषण की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5
1	उन्नाव	उन्नाव	252.30	प्रेषित
2	महोना	लखनऊ	105.49	प्रेषित
3	सिकन्द्राराव	अलीगढ़	187.44	प्रेषित
4	कुरावली	मैनपुरी	109.20	प्रेषित
5	लखना	इटावा	105.80	प्रेषित
6	बहराइच	बहराइच	208.00	प्रेषित
7	भरथना	इटावा	200.50	प्रेषित
8	राया	मथुरा	100.00	30.4.2004
9	फरा	मथुरा	100.00	30.4.2004
10	छाता	मथुरा	100.00	30.4.2004
11	गोकुल	मथुरा	100.00	30.4.2004
12	शाहगंज	जौनपुर	100.00	30.4.2004
13	नदीगाँव	जालौन	100.00	30.4.2004
14	इटावा(पुनरीरक्षित)	इटावा	400.00	31.5.2004
15	डासना	गाजियाबाद	100.00	31.5.2004
16	काकोड़	बुलन्दशहर	100.00	31.5.2004
17	अतरौली	अलीगढ़	200.00	31.5.2004
18	इकदिल	इटावा	100.00	31.5.2004
19	जसवन्तनगर	इटावा	100.00	30.6.2004
20	कन्नौज	कन्नौज	350.00	30.6.2004
21	भिन्गा	श्रावस्ती	100.00	30.6.2004
22	मेड	अलीगढ़	100.00	30.6.2004
23	बागपत	बागपत	200.00	30.6.2004
24	दोहरी घाट	मऊनाथ भंजन	100.00	31.8.2004
25	उरई	जालौन	230.00	31.8.2004
26	गंगाघाट	उन्नाव	350.00	31.8.2004
27	अजमतगढ़	आजमगढ़	100.00	30.9.2004
28	मीरनपुर	मुजफ्फरनगर	100.00	30.9.2004
29	सोरों	एटा	200.00	30.9.2004
30	सिधौली	सीतापुर	100.00	30.9.2004
	महायोग		4797.93	

16 नगरों की नई/पुनरीक्षित महायोजनाएं तैयार किए जाने का लक्ष्य

क्र.सं.	नगर का नाम	नई पुनरीक्षित महायोजना	लक्ष्य तिथि
1	2	3	4
1.	लखनऊ	पुनरीक्षित	30.9.2004
2.	गोरखपुर	पुनरीक्षित	30.9.2004
3.	इलाहाबाद	पुनरीक्षित	31.12.2004
4.	कोसीकलॉ	नई	31.12.2004
5.	नन्दगांव (मथुरा–वृन्दावन)	नई	31.12.2004
6.	छाता (मथुरा–वृन्दावन)	नई	31.12.2004
7.	चौमुहा (मथुरा–वृन्दावन)	नई	31.12.2004
8.	गोण्डा	नई	31.3.2005
9.	मुरादाबाद	पुनरीक्षित	31.3.2005
10.	गाजियाबाद	पुनरीक्षित	31.3.2005
11.	लोनी	पुनरीक्षित	31.3.2005
12.	मुरादनगर	नई	31.3.2005
13.	बांदा	पुनरीक्षित	31.3.2005
14.	जहांगीराबाद	नई	31.3.2005
15.	अकबरपुर माती	नई	31.3.2005
16.	राबर्टसगंज	नई	31.3.2005

वित्तीय वर्ष 2004–05 में

रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अभिकरणवार लक्ष्य (संख्या में)

श्रेणी व क्रम संख्या	अभिकरण के नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में (संख्या)	1000 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में (संख्या)	नये/विद्यमान जलाशयों में (संख्या)
1	2	3	4	5
ए.एस.–1	गाजियाबाद	10	100	5
ए.एस.–2	अस.वि. परिषद	10	100	5
ए.एस.–3	कानपुर वि.प्रा.	10	100	5
ए.एस.–4	लखनऊ वि.प्रा.	10	100	5
	योग(श्रेणी–ए.एस.)	40	400	20
ए.–1	आगरा वि.प्रा.	6	60	3
ए.–2	इलाहाबाद वि.प्रा.	6	60	3
ए.–3	मेरठ वि.प्रा.	6	60	3
ए.–4	मुरादाबाद वि.प्रा.	6	60	3
	योग(श्रेणी–ए.)	24	240	12
बी–1	अलीगढ़ वि.प्रा.	4	40	2
बी–2	बरेली वि.प्रा.	4	40	2
बी–3	गोरखपुर वि.प्रा.			
बी–4	मथुरा–वृन्दावन वि.प्रा.	4	40	2
बी–5	वाराणसी वि.प्रा.	4	40	2
	योग(श्रेणी–बी.)	16	160	8
सी–1	ब्रांदा वि.प्रा.	2	20	1
सी–2	बुलन्द शहर वि.प्रा.	2	20	1
सी–3	फैजाबाद वि.प्रा.	2	20	1
सी–4	फिरोजाबाद वि.प्रा.	2	20	1
सी–5	हापुड़–पिलखुआ वि.प्रा.	2	20	1
सी–6	झांसी वि.प्रा.	2	20	1
सी–7	मुजफ्फर नगर वि.प्रा.	2	20	1
सी–8	रायबरेली वि.प्रा.	2	20	1
सी–9	सहारनपुर वि.प्रा.	2	20	1
सी–10	उन्नाव वि.प्रा.	2	20	1
	योग(श्रेणी–सी)	20	200	10
	महायोग	100	1000	50

वित्तीय वर्ष 2004–05 में हरित पर्यावरण के अन्तर्गत

वृक्षारोपण के अभिकरणवार लक्ष्य (संख्या में)

श्रेणी व क्रम संख्या	नाम विकास प्राधिकरण / आ.वि. परिषद	वृक्षारोपण के लक्ष्य (संख्या)
1	2	3
ए.एस.–1	गाजियाबाद	50000
ए.एस–2	आवास विकास परिषद	150000
ए.एस–3	कानपुर	50000
ए.एस–4	लखनऊ	50000
	योग श्रेणी–ए.एस	300000
ए–1	आगरा	20000
ए–2	इलाहाबाद	20000
ए–3	मेरठ	30000
ए–4	मुरादाबाद	30000
	योग श्रेणी–ए.	100000
बी–1	अलीगढ़	10000
बी–2	बरेली	10000
बी–4	गोरखपुर	10000
बी–6	मथुरा–वृन्दावन	10000
बी–7	वाराणसी	10000
	योग श्रेणी–बी.	50000
सी–1	बांदा	5000
सी–2	बुलन्दशहर	5000
सी–3	फैजाबाद	5000
सी–4	फिरोजाबाद	5000
सी–5	हापुड़–पिलखुवा	5000
सी–6	झांसी	5000
सी–7	मुजफ्फरपुर	5000
सी–8	रायबरेली	5000
सी–9	सहारनपुर	5000
सी–10	उन्नाव	5000
	योग श्रेणी–सी.	50000
	महायोग	500000

वित्तीय वर्ष 2004–05 में सोलर पैसिव आर्कीटेक्चर के प्राविधान हेतु अभिकरणवार लक्ष्य (भवन संख्या में)

श्रेणी व क्रम संख्या	अभिकरण के नाम	भवनों की संख्या जिसमें सोलर पैसिव आर्कीटेक्ट का प्राविधान किया जाता है
1	2	3
ए.एस.–1	गाजियाबाद वि.प्रा.	50
ए.एस.–2	आ.वि. परिषद	50
ए.एस.–3	कानपुर वि.प्रा.	50
ए.एस.–4	लखनऊ वि.प्रा.	50
	योग(श्रेणी–ए.एस.)	200
ए.–1	आगरा वि.प्रा.	30
ए.–2	इलाहाबाद वि.प्रा.	30
ए.–3	मेरठ वि.प्रा.	30
ए.–4	मुरादाबाद वि.प्रा.	30
	योग(श्रेणी–ए.)	120
बी–1	अलीगढ़ वि.प्रा.	20
बी–2	बरेली वि.प्रा.	20
बी–3	गोरखपुर वि.प्रा.	20
बी–4	मथुरा–वृन्दावन वि.प्रा.	20
बी–5	वाराणसी वि.प्रा.	20
	योग(श्रेणी–बी.)	100
सी–1	बांदा वि.प्रा.	10
सी–2	बुलन्द शहर वि.प्रा.	10
सी–3	फैजाबाद वि.प्रा.	10
सी–4	फिरोजाबाद वि.प्रा.	10
सी–5	हापुड़–पिलखुआ वि.प्रा.	10
सी–6	झांसी वि.प्रा.	10
सी–7	मुजफ्फर नगर वि.प्रा.	10
सी–8	रायबरेली वि.प्रा.	10
सी–9	सहारनपुर वि.प्रा.	10
सी–10	उन्नाव वि.प्रा.	10
	योग(श्रेणी–सी)	100
	महायोग	520

COMPLIMENTARY COPY

कार्मिक प्रबंधन

संख्या – सीएम 48/9–आ–1–04–191 एलडीए/ 03

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर भारतीय
सामाजिक परिवर्तन साहित्य संस्थान एवं संग्रहालय,
गोमतीनगर, लखनऊ

COMPLIMENTARY COPY

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 01 मार्च, 2004**

विषय : बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर भारतीय सामाजिक परिवर्तन साहित्य संस्थान एवं संग्रहालय के कार्य संचालन हेतु निदेशक के अस्थायी पद का सृजन एवं पद सृजन के फलस्वरूप श्री अजीत कुमार दास, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) की संविदा के आधार पर की गयी नियुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सीएम 287/9–आ–1–03–82 विविध/97, दिनांक 14.08.03 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर भारतीय सामाजिक परिवर्तन साहित्य संस्थान एवं संग्रहालय के कार्य संचालन हेतु निदेशक के सृजित अस्थायी पद पर श्री अजीत कुमार दास, आई. ए.एस. (सेवानिवृत्त) की संविदा के आधार पर की गयी नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 14.08.03 उक्त सीमा तक संधोधित समझा जाये।

भवदीय

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या– सीएम– (1)/9–आ–1–04, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या : 1460/9–आ–3-04-85 विविध/ 2003

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5

लखनऊ दिनांक 01 जून, 2004

विषय : बाध्य प्रतीक्षा काल के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों का स्थानान्तरण होने को स्थिति में प्रायः सक्षम अधिकारी द्वारा समय से कार्यमुक्त न करने अथवा योगदान आख्या प्रस्तुत करने पर कार्यभार समय से ग्रहण न कराये जाने के कारण जहां एक ओर शासन के आदेशों की अवहेलना होती है वहीं दूसरी ओर सम्बन्धित प्राधिकरण का कार्य भी बाधित होता है। योगदान आख्या स्वीकृत न हाने की स्थिति में प्रायः संबंधित कार्मिक को बिना कार्य किये वेतन का भुगतान कराना पड़ता है, जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 से 4 के भाग–2 के मूल नियम–17 के प्राविधानों के विपरीत होता है। साथ ही मा. न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित No Work No Pay के सिद्धान्त का भी उल्लंघन होता है। इस प्रकार यह कृत्य स्वतः कर्मचारी आचरण नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह तथा अनुशासन एवं अपील नियमावली के सुसंगत प्राविधानों की परिधि में आ जाते हैं तथा कार्यमुक्त न करने अथवा कार्यभार ग्रहण न कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

2– इस संबंध में यदि किसी कार्मिक को बाध्य प्रतीक्षावधि का वेतन दिये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो भविष्य में वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या जी–1–528/दस–1998–213/98 दिनांक 9 अगस्त, 1999 (प्रति संलग्न) की व्यवरणानुसार सम्बन्धित कार्मिक को भुगतान किये जाने वाले बाध्य प्रतीक्षावधि के वेतन आदि की धनराशि की वसूली कार्यमुक्त न करने वाले अथवा कार्यभार ग्रहण न कराने वाले अधिकारी के वेतन से की जायेगी।

3– इसके अतिरिक्त कतिपय मामलों में यह पाया गया है कि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन जानबूझ कर सुनिश्चित नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में यदि बिना कार्य किये वेतन दिये जाने की स्थिति बनती है तथा संबंधित के विरुद्ध कार्यभार ग्रहण न करने का कारण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की अवधि को उसकी अनाधिकृत अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः कृपया उपरोक्त प्रकृति के समस्त प्रकरणों के तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या– (1)/9–आ–5–2004–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

(2) वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

(3) गार्ड फाइल।भवदीय

आज्ञा से

रामवृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1

संख्या जी–1–528/दस–1998–213/98

दिनांक : 9 अगस्त 1979

कार्यालय ज्ञाप

विषय : वाष्प प्रतीक्षा काल को वित्तीय अनियमितता माना जाना तथा ऐसे काल के वेतन भुगतान की सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष से वसूली की व्यवस्था।

विभिन्न विभागों से बाध्य प्रतीक्षा काल के नियमन संबंधी ऐसे मामले वित्त विभाग के अनुमोदनार्थ संदर्भित होते रहते हैं जिसमें संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती में सम्बन्धित विभाग द्वारा अत्यधिक विलम्ब किया जाता है या तैनात अधिकारी को कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जाता है और अन्ततः उसका न्यावर्तन करना पड़ता है। किन्हीं–किन्हीं मामलों में यह विलम्ब एक माह या उससे भी अधिक होता है जब अधिकारी/कर्मचारी को बाध्य होकर अपनी तैनाती की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समय से तैनाती आदेश न होने से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का कोई दोष न होने के कारण उस बाध्य प्रतीक्षा काल में शून्य पद पर मानना पड़ता है एवं बिना कार्य किये ही उस अवधि के दौरान का भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ता है जो वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं है।

2. अतः समस्त प्रशासकीय विभागों से मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इसके लिये वे यह सुनिश्चित कर लें कि तैनाती के आदेशों में विलम्ब के कारण बाध्य प्रतीक्षा के कारण बिना काम के वेतन भुगतान की स्थिति न बनने पाए। जहां कहीं भी स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हुये अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जाता, वहां बाध्य प्रतीक्षा के लिये वह कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे जो कार्यभार ग्रहण नहीं करने देते। तात्कालिक प्रभाव से बाध्य प्रतीक्षा में बिना कार्य किये ही ड्यूटी पर माने जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को भुगतान किये जाने वाले वेतन के कारण होने वाली वित्तीय हानि तथा सरकार कार्यभार ग्रहण न करने देने वाले अधिकारी से वसूल कर सकेगी, यदि सरकार इस स्थिति के कारण से संतुष्ट नहीं हो जाती।

3. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के बाध्य प्रतीक्षा काल सम्बन्धी प्रकरण अखिल भारतीय सेवा नियमावली के प्राविधान के अन्तर्गत निस्तारित किये जायेंगे।

4. यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सुशील चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव

संख्या जी– 528/दस–11–213/98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(3) विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय।

(4) राज्यपाल सचिवालय।

(5) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) महालेखाकार, 1/2/3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव

संख्या : 1454/9–आ–5-04-135 ई/ 03

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ दिनांक 30 जुलाई, 2004**

विषय : विकास प्राधिकरणों में तैनात/कार्यरत अभियंताओं से उनसे उच्च पदों का कार्य लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3150/9–आ:5–03–135ई/03, दिनांक 01.12.2003 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में उल्लेखनीय है कि शासन की यह सामान्य नीति है कि यदि विकास प्राधिकरणों में सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता सृजित पद के अनुरूप उपलब्ध हों तो उक्त पदों पर कार्य उन्हीं अभियंताओं से ही लिया जाय। यदि विशेष परिस्थितियों में कहीं ऐसा नहीं है अर्थात सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता की उपलब्धता सृजित पदों के विरुद्ध कम है, तब ऐसे प्रकरणों में कार्यरत उपलब्ध अधिकारियों को ही स्वतंत्र प्रभार सौंप कर कार्य कराये जाने की व्यवस्था रखे जाने की मंशा है। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में कनिष्ठ अभियंताओं से उच्च पद के दायित्वों का निर्वहन कराया जाना नितान्त आवश्यक हो, तो संबंधित उपाध्यक्ष औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं संबंधित अभियंता के कार्य, आचरण, सामान्य ख्याति तथा उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए स्वतंत्र प्रभार सौंपने के संबंध में गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ताकि अन्य अभियंताओं के कार्य एवं मनोबल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3– उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.12.2003 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यथा सम्भव उपलब्ध अधिकारियों से ही प्राधिकरणों के कार्य लिये जायें। यदि किसी प्राधिकरण में स्वीकृत पद से कम अधिकारी उपलब्ध हैं तो तैनाती हेतु अवगत कराया जाय, परन्तु बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के किसी को भी वरिष्ठ प्रभार न दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4– कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

जे.एस. मिश्र

सचिव

संख्या– (1)/9–आ–5–2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रामवृक्ष प्रसाद

विशेष सचिव

अवस्थापना सुविधाओं का विकल्प

संख्या : 1777/9-आ-1-2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद।
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 28 अप्रैल, 2004

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

विषय : ग्रीष्म ऋतु उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित कालोनियों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्रीष्म ऋतु में बढ़ते तापमान के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन परिस्थितियों का सामना करने हेतु तत्काल सामयिक कदम उठाते हुए प्रभावी व्यवस्था किया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि जन सामान्य को पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में समुचित व उपयुक्त गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर किये जाने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

(1) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित कालोनियों जो नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों को हस्तान्तरित नहीं हुई हैं, पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व परिषद/प्राधिकरण का है। इन कालोनियों में लगे ट्यूबवेल चालू दशा में रखे जायें तथा बन्द ट्यूबवेलों को सर्वोच्च वरीयता देकर एक सप्ताह में ठीक करवाकर चालम कराया जाये। यदि किसी ट्यूबवेल का विद्युत संयोजन कराया जाना हो तो संबंधित जिलाधिकारी तथा पावर कारपोरेशन के अधिकारियों से संपर्क कर विद्युत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय।

(2) परिषद/प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन योजनाओं/कालोनियों में निर्मित पानी की टंकियों को अभियान चलाकर साफ कराया जाय। यदि टंकियों में लीकेज आदि की कोई समस्या हो तो उसे भी ठीक करा दिया जाय।

(3) जिन स्थानों पर किसी कारणवश पाइप वाटर सप्लाई न हो पा रही हो तो पानी की टैंकर का पूल बनाकर कमी वाले क्षेत्रों में समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। आवश्यकतानुसार निजी टैंकरों के प्रयोग हेतु उन्हें ससमय अनुबन्धित भी करा लिया जाय।

(4) पेयजल संयंत्रों यथा--ट्यूबवेल तथा वाटर वर्क्स को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो, ऐसी व्यवस्था की जाये तथा यथा आवश्यकता जनरेटर की भी व्यवस्था की जाय।

(5) जिन स्थलों पर पानी की टंकियों तथा ट्यूबवेलों से पानी की पूर्ति न हो पा रही हो, उन स्थलों पर इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प लगवाय जायें। पानी की पाइप लाइनों के सीवेज/लीकेज को प्राथमिकता पर ठीक कराया जाये।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था पर आगामी वर्षा ऋतु के दृष्टिगत अभी से जल निकासी की व्यवस्था करने हेतु भी कारगर उपाय सुनिश्चित किये जायें। उचित होगा कि आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाय।

3— कृपया समुचित पेयजल उपलब्ध कराने तथा इसके लिए आवश्यक सूचनाओं के संकलन हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के कार्यालयों में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। उसमें 24 घंटे के लिए कार्मिक की तैनाती किये जायें। इस हेतु जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त का मार्गदर्शन व सहयोग भी प्राप्त किया जाय।

4— उपरोक्त समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे। कृपया उक्त हेतु नोडल अधिकारी भी नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या— 1777(1)/9—आ—5—2004—तद्दिनांक

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

जे.एस.मिश्र
सचिव

ई–मेल

संख्या– 2091/9–आ–1–2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 30 जून, 2004**

विषयः ग्रीष्म ऋतु में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1777/9 आ–1 04, दिनांक 28.01.04 के क्रम में मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित कालोनियों जो नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों को हस्तानान्तरित नहीं हुई है में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने से संबंधित उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पीने की स्वच्छ जलापूर्ति बनाये रखने हेतु पानी की टंकियों में क्लोरीनेशन तथा यदि आवश्यक हो तो सुपर क्लोरीनेशन कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत भी करायें। इसी प्रकार इन कालोनियों में जल निकासी एवं सीवर की भी सुव्यवस्थित प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

जे.एस.मिश्र
सचिव

<u>**संख्या 2091(1)/9–आ–1–04, तद्दिनॉक।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

१. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
२. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
३. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या– 261/9–आ–1–सीवेज प्लान्ट/2004/(आ.ब.)

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मागांधी मार्ग, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 17 नवम्बर, 2004**

विषयः सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के अधिकतर नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के अभाव में सीवर का गन्दा पानी बिना समुचित उपचार के नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप नदियों में प्रदूषण का स्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का मुख्य कारण यह है कि नगर की सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए वांछित आकर का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाने के लिए बहुत बड़े क्षेत्रफल के भूखण्ड की आवश्यकता होती है जो कि एक ही स्थान पर आसानी से सुलभ नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त इस बृहद् परियोजना के निर्माण हेतु वांछित वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कर पाना भी कठिन कार्य है।

2. उक्त स्थिति में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद/प्राधिकरणों द्वारा विकसित क्षेत्रों में बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट्स के स्थान पर आधुनिक तकनीक पर आधारित छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट जिनके लिए अधिक भूमि की आवश्यकता न हो तथा निर्माण लागत भी कम हो, अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए चरणबद्ध रूप से निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. उक्त के सम्बन्ध में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी लालपुर हाउसिंग योजना में एक छोटे एवं सस्ते सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की व्यवस्था की गई है। इस प्रोजेक्ट की छाया प्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि आप इसका अध्ययन करवाकर उपयुक्तता के आधार पर इसे परिषद/प्राधिकरणों द्वारा विकसित क्षेत्रों के लिए अंगीकार करने पर विचार करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या : 261(1)/9–आ–1–सीवेज प्लान्ट/2004 तद् दिनांक :
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
3. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या– 238/9–आ–1–समीक्षा बैठक/519/(आ.ब.)

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2004**

विषयः सीवेज निस्तारण एवं ट्रीटमेन्ट से सम्बन्धित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सीवेज़ निस्तारण एवं ट्रीटमेन्ट की जो परियोजनाएं विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसी सभी परियोजनाओं की मासिक समीक्षा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा नियमित रूप से की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उनका निर्माण निर्धारित विशिष्टियों एवं समय–सारणी तथा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत किया जा रहा है। जिन परियोजनाओं की प्रगति धीमी पायी जाये अथवा लागत में वृद्धि या निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कमी पायी जाये, उनसे सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की जाये।

इस संदर्भ में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उनका भी नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित किया जाये कि सीवेज़ निस्तारण एवं ट्रीटमेन्ट का कार्य संतोषजनक रूप से हो रहा है।

उपरोक्त सभी परियोजनाओं की प्रगति एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक माह एम.पी.आर. के साथ आवास बन्धु को भेजी जाये।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र
सचिव

<u>संख्या 238 (1)/9–आ–1–समीक्षा बैठक/519(आ.ब) तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ.प्र. शासन को इस अनुरोध के साथ कि स्थानीय निकायों एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीवेज़ निस्तारण एवं ट्रीटमेन्ट से सम्बन्धित जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशाषी निदेशक, उ.प्र. आवास बन्धु।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

महत्वपूर्ण

संख्या– 6265/आठ–1–2004/67–बैठक/04

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

लखनऊ दिनांक 03 दिसम्बर, 2004

विषयः कूड़ा निस्तारण तथा सीवरेज ट्रीटमेंट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 3664/9–आ–1–04–91 विविध/04, दिनांक 29.10.04 तथा शासनादेश संख्या :
261/9–आ–1–सीवेज प्लान्ट/2004 (आ.ब.) दिनांक 17.11.04 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुपालन के संबंध में पर्यावरण विभाग द्वारा कतिपय नगर निगमों को नोटिस जारी की गयी थी, उन
नगर निगमों से जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनमें से अधिकांश में यह कहा गया है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण से संबंधित
विकास प्राधिकरणों द्वारा समुचित लैण्ड फिल साइट्स नहीं उपलब्ध करायी जा रही है जिसके फलस्वरूप नगरीय ठोस अपशिष्ट
(प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के प्राविधानों के अनुपालन में कठिनाई हो रही है। नियमों में उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार
नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु समुचित लैण्ड फिल साइट्स उपलब्ध कराने का दायित्व विकास प्राधिकरणों का है। इस
संबंध में अलमित्रा एच. पटेल बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के मुकदमें में मा. सर्वोच्च न्यायालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट
के निस्तारण के संबंध में समुचित व्यवस्था न करने के लिए राज्य सरकारों के विरुद्ध विपरीत टिप्पणी की गयी है तथा समयबद्ध
रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–15 के अंतर्गत संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजनात्मक
कार्यवाही करने का प्राविधान है। यदि संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा आवास विभाग के संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा
पर्यावरण, संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उसके अधीन विनिर्मित नियमावलियों के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जायेगा तो ऐसी
'स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के अनुरूप नगर निगमों, नगर
महापालिकाओं/नगर पालिकाओं को उपयुक्त लैण्ड फिल साइट्स उपलब्ध करायें ताकि कूड़े का समुचित निस्तारण स्थानीय
निकायों द्वारा किया जा सके। यह कार्य समयबद्ध रूप से किया जाना आवश्यक है क्योंकि मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शपथ
पत्र के माध्यम से अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

कृपया समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या : 6265(1)/आठ–1–04, तद्‌दिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु जनपथ, लखनऊ।
4. पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

हीरा लाल गुप्ता
विशेष सचिव

संख्या– 1678/9–आ–3–2004 काम्प/2001

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

2. **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

3. **नियत प्राधिकारी**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक 9 जून, 2004

विषयः रिलायन्स इन्फोकाम लि. द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजो (एमसी.एन.) की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिलायन्स इन्फोकाम लि. द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजो (एम.सी.एन.) की स्थापना के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :–

1. रिलायन्स इन्फोकाम लि. द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजो (एम.सी.एन) को भी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं की श्रेणी में माना जायेगा।

2. रिलायन्स इन्फोकाम लि. द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजो (एम.सी.एन) हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल चूंकि 2500 वर्ग मी. प्रस्तावित है। अतः महायोजना/जोनल प्लान/ ले–आउट प्लान में चिन्हित स्थलों एवं जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य स्थलो पर ही भूमि का चयन किया जायेगा और इसके लिए नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

3. प्रस्तावित 2500 वर्ग मी. क्षेत्रफल में से 400 वर्ग मी. भू–आच्छादन से अधिक के अधिभोगों हेतु अग्निशमन सुरक्षा एन.ओ.सी. तथा 500 वर्ग मी. भू–आच्छादन से अधिक अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्था अनिवार्य होगी।

4. कम्पनी से प्राप्त भवन मानचित्रों का मानचित्र जमा करने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया शासन के उपरोक्त निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

जे.एस. मिश्र
सचिव

<u>संख्या–1678(1)/9–आ–3–04–240 काम्प/2001</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश।
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

रामबृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव।

12

सिस्टम सुधार

संख्या– 2479/9–आ–1–2004

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 21 जून, 2004**

विषयः प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से सम्बन्धित जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन की नीति जन मानस को निष्पक्ष त्वरित समयबद्ध एवं विनम्रतापूर्वक सेवा उपलब्ध कराना है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग जिसका मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास एवं आवासिकी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान है की जवाबदेही नागरिकों के प्रति सबसे अधिक है। अतः प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से सम्बन्धित जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया गया है कि :–

1. "जन सामान्य की समस्याओं के निराकरण हेतु शासन द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुरूप सप्ताह में 4 दिन (सोमवार से बृहस्पतिवार तक) आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा जन समस्याओं से संबंधित प्रकरणों को सुनकर उनका निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रत्येक माह में दो बार यथा सम्भव द्वितीय एवं चतुर्थ बुद्धवार को जन समस्याओं के समाधान हेतु कैम्प आयोजित किया जाय जिसमें सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थिति रहेंगे जिससे कि समस्याओं का समाधान यथासम्भव उसी दिन कैम्प में ही किया जा सके।
3. उक्त कैम्प के आयोजन का समुचित प्रचार प्रसार किया जाये जिससे कि अधिक से अधिक लोगों द्वारा उसमें भाग लिया जा सके।
4. उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।,
5. इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय
जे.एस. मिश्र
सचिव,

संख्या : 2479(1)/9–आ–1–04, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त आयुक्त/अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समरत अनुभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
4. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या– 1760/9–आ–1–04-17विविध/03

प्रेषक,

वी.के. मित्तल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2004

विषयः सरकारी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भू–जल स्रोतों के अनियोजित रूप से एवं अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कतिपय भागों में भू–जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा नगरों की निरन्तर बढ़ती हुई आबादी के लिए समुचित पेयजल आपूर्ति की समस्या गम्भीर होती जा रही है। इस संबंध में भू–जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस ओर ध्यानाकर्षण किया गया है कि भू–जल के गिरते स्तर की समस्या का समाधान रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों द्वारा किया जा सकता है। उक्त मंत्रालय द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय भू–जल परिषद तथा नवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत 100 से अधिक कार्यालय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजनायें क्रियान्वित की जा चुकी हैं एवं कई अन्य सरकारी भवनों/कालोनियों में "रिचार्ज स्ट्रक्चर्स" डिजाइन हेतु तकनीकी परामर्श दिया गया है जिसके फलस्वरूप उत्साहबर्धक परिणाम सामने आये हैं। अतः जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि सरकारी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करने हेतु शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2. इस संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति एवं कार्य योजना से संबंधित पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 1703ए/9–आ–1–29 विविध/98, दिनांक 12.04.01 तथा शासनादेश संख्या 3671/9–आ–1–17 विविध/03, दिनांक 19.06.03 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

2.1 मण्डलों में स्थित समस्त सरकारी भवनों जैसे–मण्डलायुक्त कार्यालय, मण्डलायुक्तों के निवास, कलेक्ट्रेट, जिलाधिकारी निवास, सरकारी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, कचेहरी तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम इत्यादि में रूफ टाप हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाय।

2.2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के डिजाइन एवं अधिष्ठापन में केन्द्रीय भू–जल परिषद तथा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग का तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

2.3 सरकारी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के अधिष्ठापन में वित्त पोषण हेतु यथासम्भव केन्द्रीय भू–जल परिषद द्वारा अनुमन्य अनुदान का उपयोग किया जाय। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड से भी नियमानुसार वित्त पोषण की व्यवस्था की जा सकती है।

3. उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस कार्यक्रम को अत्यन्त सक्रिय रूप से संचालित किया जाय व समाज के सभी वर्गों का इसमें सहयोग लिया जाये।

4. मण्डल स्तर पर कृत कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाये।

भवदीय

वी.के. मित्तल
मुख्य सचिव

संख्या 1760(1)/9-आ-1-04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 11/2/2004-जी.डब्लू, दिनांक 17.01.04 के संदर्भ में।
2. अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 11/2/2004-जी. डब्लू, दिनांक 28.05.04 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल परिषद, सीतापुर रोड, लखनऊ।
12. प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ
13. निदेशक भूगर्भ जल विभाग, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. सदस्य/सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

जे.एस.मिश्र
सचिव

संख्या– 3894/9–आ–1–29विविध/98 (आ.बा)

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 9 अगस्त, 2004

विषयः सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना हेतु मानक उपविधि।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारतवर्ष जैसे विकासशील देश में ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में तीव्र वृद्धि के बावजूद ऊर्जा की मांग निरन्तर बढ़ रही है जिसके कारण देश तथा प्रदेश में ऊर्जा की कमी बनी हुई है। ऊर्जा की मांग तथा आपूर्ति में विद्यमान गैप को सामान्यतः ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय (Renewable) स्रोतों एवं विशेष रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग कर पूर्ण किया जा सकता है। सौर ऊर्जा चूंकि प्रदूषणमुक्त एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा आधारित सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है। उक्त सिस्टम की स्थापना हेतु मानक विशिष्टियों के साथ–साथ ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैन्डर्ड्स द्वारा इण्डियन स्टैन्डर्ड्स भी निर्धारित किए जा चुके हैं।

2.अतएव, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के गैप को पूर्ण करने हेतु अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन दिया दिया जाना अपरिहार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कतिपय कार्यात्मक भवनों (Functional Buildings) में सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी "माडल बिल्डिंग बाई–लॉज" के आधार पर निम्न मानक उपविधि तैयार की गई है जिसे शासन द्वारा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में अध्याय–12 के रूप में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया हैः–

12.1 "निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र स्थापित किया जाएगा :–

(i) अस्पताल तथा नर्सिंग होम
(ii) होटल
(iii) अतिथि गृह
(iv) विश्राम गृह
(v) छात्रावास
(vi) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/प्राविधिक संस्थाएं/प्रशिक्षण केन्द्र
(vii) सशस्त्र बल/अर्द्ध–सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक
(viii) सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के उपयोग के अन्य भवन।

(ix) 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवन।

12.2 उक्त प्रकृति के भवनों में निर्माण अनुज्ञा तभी देय होगी जबकि भवन के डिजाइन में छत से विभिन्न वितरण स्थलों तक, जहां गर्म पानी की आवश्यकता हो, तापरोधक पाइपों का प्राविधान हो एवं भवन की छत पर सोलर वाटर हीटर संयन्त्र हेतु उपयुक्त स्थान हो। छत की लोड बियरिंग क्षमता न्यूनतम 50 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए तथा भवन की छत पर संयन्त्र की स्थापना हेतु खुला स्थान उपलब्ध होना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी सीधे प्राप्त हो सके।

12.3 संयन्त्र की क्षमता एवं मानदण्ड : स्नानागार एवं रसोईघर हेतु सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म करने के संयन्त्र की न्यूनतम क्षमता 25 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति होनी चाहिए बशर्ते छत का अधिकतम 50 प्रतिशत भाग ही सौर ऊर्जा संयन्त्र के उपयोग में लाया गया हो।

12.4. विशिष्टियां : सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र एवं प्रणाली "ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड" (B.I.S.) विशिष्टि I.S. 129333 के अनुरूप होनी चाहिए तथा जहां कहीं भी जब लगातार गर्म पानी की आवश्यकता हो, तो वहां सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ पानी गर्म करने हेतु बिजली अथवा अन्य व्यवस्था का प्राविधान किया जा सकता है।"

3. कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में उपर्युक्त मानकों के समावेश हेतु बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अंगीकृत कराकर एक माह के अन्दर शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि बोर्ड बैठक आयोजित होने में विलम्ब हो तो परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित कराने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र
सचिव

<u>संख्या 3894(1)/9–आ–1–29विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, उ.प्र., आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या– 1624/62–1–2004–7डब्लू. पी./2004 टी.सी.

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव**
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
   उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनु.–1 **लखनऊ दिनांक 8 सितम्बर, 2004**

विषयः प्रदेश में भूजल संचयन एवं रिचार्जिंग की विभिन्न योजनाओं के समन्वय भूजल अनुसंधान, अनवेषण,, प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु शासन स्तर पर लघु सिंचाई विभाग को "नोडल विभाग' तथा लघु सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन "भूगर्भ जल निदेशालय" को "नोडल एजेन्सी" घोषित किया जाना।

महोदय,

प्रदेश में सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक सेक्टर में गत दशकों में मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने से भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन किये जाने के परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर भूजल स्तर में चिन्ताजनक गिरावट तथा अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विभिन्न विकास योजनाओं में भूगर्भीय जल की निरंतर बढती मांग एवं आगामी दशकों में इस स्रोत के समक्ष उत्पन्न होने वाली सम्भावित चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए भूगर्भ जल स्रोतों के एकीकृत अनुसंधान, प्रभावी नियोजन, अन्वेषण एवं प्रबन्धन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

वर्तमान में भूगर्भ जल दोहन, नियोजन, प्रबन्धन आदि के लिए प्रदेश में कोई नोडल विभाग/नोडल एजेंसी घोषित नहीं है, जिसके फलस्वरूप जहां विभिन्न उपभोक्ता विभागों एवं संस्थाओं (यथा–लघु सिंचाई, सिंचाई, ट्यूबवेल एण्ड प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जल निगम, नगर निकाय, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, राजकीय एवं निजी उद्योग आदि) के साथ उचित सामंजस्य तथा आंकडों एवं सूचनाओं का समुचित आदान–प्रदान न होने से प्रदेश स्तर पर भूजल पारिस्थितिकीय तंत्र का वास्तविक वैज्ञानिक आंकलन, नियोजन एवं प्रबन्धन संभव नहीं हो पा रहा है, वहीं विभिन्न विभागों द्वारा भूगर्भ जल संचयन एवं रिचार्ज के बारे में चलाई जा रही योजनाओं एवं समय–समय पर भूगर्भ जल प्रबन्धन हेतु लिये गये निर्णयों के अनुपालन के बारे में भी समुचित समन्वयन होने से भूजल सम्पदा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है तथा विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों का समेकित रूप से सही आंकलन भी नहीं हो पा रहा है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भूगर्भ जल सम्पदा के दीर्घकालिक प्रबन्धन एवं नियोजन तथा भूगर्भ जल दोहन के नियंत्रण एवं भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन व विभिन्न विभागों द्वारा रिचार्ज हेतु चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी समन्वय तथा अनुश्रवण हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन स्तर पर लघु सिंचाई विभाग को नोडल विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 'भूगर्भ जल निदेशालय' को "नोडल एजेन्सी" घोषित किया जाता है।

भवदीय

वी.के. मित्तल
मुख्य सचिव

संख्या– 1624/1/62/–1–2004 /तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. लघु सिंचाई मंत्री, उ.प्र. शासन।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग विभाग।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ.प्र.।
5. मुख्य अभियंता, उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम।
6. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
7. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ.प्र.।
8. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ.प्र.।
9. निदेशक, कृषि विभाग, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उ.प्र.।
11. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ.प्र.।
12. उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।
13. निदेशक, स्वजल, उ.प्र.।
14. प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, उ.प्र.।
15. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. ट्यूबैल खण्ड–प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि.।
16. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र लखनऊ।
17. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ.प्र.।
18. महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ।
19. निदेशक, वाल्मी, लखनऊ।
20. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
21. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ.प्र.।
22. महानिदेशक, उ.प्र. विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी परिषद, लखनऊ।
23. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी भूमि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लखनऊ।
24. नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम/महापालिकाएं, उ.प्र.।
25. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
26. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
27. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम।

आज्ञा से,

अजय कुमार जोशी
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या :3085/9–आ–1–विविध/2004
लखनऊ : दिनांक : 05 जून, 2004
कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से "हाई–टेक टाउनशिप्" विकसित करने हेतु विकासकर्ता कम्पनियों के चयन के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या 6087(1)/9–आ–1–2003–34विविध/2004 दिनांक 22 नवम्बर, 2003 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय समिति को सहयोग प्रदान करने के लिए तकनीकी समिति के गठन से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या 191/9–आ–1–विविध/2004 दिनांक 12 जनवरी, 2004 को निरस्त करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल निम्नवत तकनीकी मूल्यांकन समिति पुनर्गठित करने के निर्देश देते हैं।

1.	अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
3.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार, या उनका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त मुख्य नियोजक के पद से कम न हो	सदस्य
5.	प्रोफेसर एवं हेड, अर्बन प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर डिपार्टमेंट, आई.आई.टी. रूड़की या उनके द्वारा नामित अर्बन प्लानिंग/टाउनशिप नियोजन में अनुभवी विशेषज्ञ जो प्रोफेसर रैंक से कम न हो।	सदस्य
6.	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स अथवा अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्था द्वारा नामित वित्त विशेषज्ञ	सदस्य
7.	अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य–संयोजक

2. समिति का कार्य निम्नवत् होगा :–

प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं मूल्यांकन तथा उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कार्यालय ज्ञाप संख्या : 6087/9–आ–1–2003–34 विविध/2004 दिनांक 22 नवम्बर, 2003 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3. वाह्य विशेषज्ञों को समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शासकीय नियमों में अनुमन्य अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा जिसका भुगतान आवास बन्धु द्वारा किया जाएगा।

वी.के. मित्तल
मुख्य सचिव

संख्या : 3085(1)/9-आ-1-विविध/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. डायरेक्टर, आई.आई.टी., रूड़की।
5. डायरेक्टर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स, नई दिल्ली।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने हेतु।
7. गार्ड फाइल, आवास बन्धु।
8. गार्ड फाइल, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1।

आज्ञा से,

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या– 2626/9–आ–1–04–34विविध/03 टी.सी.–1

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 01 जुलाई, 2004**

विषयः उत्तर प्रदेश में हाई–टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु निर्धारित नीति में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 6087/9–आ–1–03–34 विविध/03, दिनांक 22.11.03 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में हाईटेक टाउनशिप का विकास किये जाने हेतु निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए नीति निर्धारित की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 22.11.03 के प्रस्तर 4 के उप प्रस्तर (5) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं :–

शासनादेश दिनांक 22.11.03 में की गयी व्यवस्था	**संशोधित व्यवस्था**
प्रस्तर – 4 **उप प्रस्तर (5)** विकासकर्ता कम्पनी को भूमि के क्रय अथवा हस्तान्तरण, जो 90 वर्ष की लीज पर होगा, हेतु स्टैम्प ड्यूटी से छूट होगी, परन्तु भूमि विकास के उपरान्त विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों पर स्टैम्प ड्यूटी एवं फ्री–होल्ड परिवर्तन शुल्क एवं भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत अनुवर्ती विक्रय/फ्री–होल्ड परिवर्तन के समय विकासकर्ता कम्पनी द्वारा अर्जनकर्ता अभिकरण को देय होगा।	**प्रस्तर– 4** **उप प्रस्तर (5)** विकासकर्ता कम्पनी को भूमि के क्रय अथवा हस्तान्तरण, जो 90 वर्ष की लीज पर होगा, हेतु स्टैम्प ड्यूटी से छूट होगी, परन्तु भूमि विकास के उपरान्त विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों पर स्टैम्प ड्यूटी एवं फ्री–होल्ड परिवर्तन शुल्क एवं भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत अनुवर्ती विक्रय/फ्री–होल्ड परिवर्तन के समय विकासकर्ता कम्पनी आवंटियों द्वारा शासकीय अभिकरण को देय होगा।

3. तद्नुसार शासनादेश संख्या 6087/9–आ–1–03–34विविध/03, दिनांक 22.11.03 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

जे.एस. मिश्र
सचिव

संख्या 2626(1)/9-आ-1-04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संबंधित मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित अध्यक्ष/जिलाधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या– 263/9–आ–1–सालिडवेस्ट मैनेजमेंट/2004/(आ.ब.)

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 24 नवम्बर, 2004

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

विषयः भारत सरकार द्वारा जारी नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम–2000 में व्यवस्थित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार विकास प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में भूमि भरण स्थलों (Sanitary Land Fill) का अभिनिर्धारण करना और इन स्थलों के विकास, प्रचलन एवं रख–रखाव के लिए इन्हें सम्बन्धित स्थानीय निकायों को सौंपने का दायित्व प्राधिकरणों का है।

2. इस सम्बन्ध में उक्त नियम की छाया प्रति संलग्न करते हुए मुझे आपको यह निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया अपने प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व्यवस्था विकास संचालन एवं रख–रखाव हेतु आधुनिकतम तकनीकी के अनुसार वांछित न्यूनतम भूमि का चिन्हांकन एवं आरक्षण कर यथासमय उसे सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सौंपे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

3. संदर्भित विषय में मुझे यह भी निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी है कि विकास हेतु प्रस्तावित समस्त प्रकृति के भू–विन्यास मानचित्र स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु मूलभूत सुविधाओं (जैसे कूड़ा एकत्रण, अस्थायी भण्डारण, स्थानान्तरण, कूड़े का निस्तारण तथा प्रसंस्करण) की समुचित व्यवस्था कर ली गयी है।

उपरोक्त आदेशों का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र
सचिव

संख्या : 263(1)/9–आ–1–सालिडवेस्ट मैनेजमेंट/2004 तद्दिनांक (आ.ब.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
5. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

रामवृक्ष प्रसाद
विशेष सचिव

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1 — उपखण्ड (ii)

PART II - Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 46 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19,2004/माघ 30, 1925

No. 46 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2003/ASVINA 11, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

संकल्प

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2002

का.आ. 908 (अ).– नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 783 तारीख 27 सितम्बर, 1999, उसी तारीख के भारत राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, ऐसे व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 अक्टूबर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों की बात जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर लिया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों को संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 है।

(2) जैसा इन–निमयों–में–अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाए ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना–** ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिए उत्तरदीयी प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकारी को लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं–** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) "बात निरपेक्ष प्राचन" से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें आक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का माइकोबाधित नियोजन अंतर्वलित है:

(ii) "प्राधिकार" से "सुविधा के प्रचालक" को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है;

(iii) "जैविक निम्नकरणीय पदार्थ" से वह पदार्थ अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है;

(iv) "जैविक मीथेनीकरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाईमी विघटन करती है;

(v) "संग्रहण" से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाना अभिप्रेत है;

(vi) "कचरा खाद बनाने" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसका कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्मजैवीय निम्नकरण अंतर्वलिक है;

(vii) "ढहाने तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट" से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने संबंधी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलवे से उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(viii) "व्ययन" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को संदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अंमि रूप से व्ययन अभिप्रेत है;

(ix) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है;

(x) "अपशिष्टो के उत्पादक" से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है:

(xi) "भूमिभरण" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजायन की गई सुविधा में अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है:

(xii) "निक्षालितक" से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलंबित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

(xiii) "लाइसीमीटर" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उस में से जल की गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेषक के लिए अन्तःस्राव जल के एकत्रण के लिए किया जाता है:

(xiv) "नगरपालिका प्राधिकारी" से म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, म्यूनिसिपेलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिसर जिसके अन्तगर्त अधिसूचित क्षेत्र समिति (एन.ए.सी.) अथवा सुसंगत कानूनों के अंतर्गत कठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है;

(xv) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किंतु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किये जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है

(xvi) "प्रसुविधा के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, प्रसंसकरण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाने की प्रसुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है :

(xvii) "गुटिकारण" से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाएं तैयार की जाती है जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की कई लघु क्यूब या बेलनाकार टूकड़ो में होंगे और इसके अन्तर्गत ईधन गुटिकाएं भी आती है जिसे कचरे से प्राप्त ईधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है;

(xviii) "प्रसंसकरण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये व पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।

(xix) "पुनः चक्रण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथवकरण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तन करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नही भी हो सकता है;

(xx) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(xxi) "पृथक्करण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, आकर्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग–अलग करना अभिप्रेत है;

(xxii) "राज्य बोर्ड या समिति" से यथास्थिति, किसी राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघराज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है;

(xxiii) "भण्डारण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इसे प्रकार डिब्बा बंद किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट बिखेरने, से रोगवाहको के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके;

(xxiv) "परिवहन" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कुड़ा करकट बिखेरने, रोगवाहकों की पहुँच को रोक जा सके;

(xxv) "अधिभौम जल" से वह जल अभिप्रेत है, जो भू सतह तथा मौग जल स्तर के मध्य अर्थात् असंतृप्त क्षेत्र में होता है;

(xxvi) "कृषि कचरा खाद बनाना" जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केचुओं को उपयोग में लाने की एक प्रक्रिया है;

४. नगरपालिका प्राधिकारी का दायित्वः–

(1) प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकारी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर इन नियामें के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंरकरण और व्ययन के लिए किसी भी अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तदायी होगा।

(2) नगरपालिका प्राधिकारी या किसी सुविधा का प्रचालक, अनुसूची 1 में अधिकथित कार्यान्वयन कार्यक्रम की अनुपालना की दृष्टि से राज्य बोर्ड यह समिति से, अपशिष्टों के प्रसंस्करण और व्ययन प्रसुविधा की, जिसके अन्तर्गत भूमि मरण भी है, स्थापना के लिए प्राधिकार मंजूर करने के लिए प्रारूप–1 में आवेदन करेगा।

(3) नगरपालिका प्राधिकारी, अनुसूची– 1 में अधिकथित कार्यान्वयन सूची के अनुसार इन नियमों का पालन करेंगे।

(4) नगर पालिका प्राधिकारी, अपनी वार्षिक रिर्पोटक को प्ररूप 2 में,

(क) किसी महानगर की दशा में, यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव को ; या

(ख) सभी अन्य नगरों या शहरों की दशा में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को, प्रतिवर्ष 30 जून को या उसके पूर्व राज्य बोर्ड यह समिति को प्रति के साथ भेजेगा।

5. **राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का दायित्व :–**

(1) यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र के शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव का महानगरों में इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(2) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त का उनकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

6. **केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राजय बोर्ड या समितियों का दायित्व :–**

(1) राज्य बोर्ड या समिति, भू जल, परिवेशी वायु, निक्षालन गुणता तथा कचरा खाद्य गुणता से संबंधित मानकों का मानीटरन और अनुपालन करेगा जिसके अन्तर्गत अनुसूची ii, iii और iv में विभिर्दिष्ट भस्मीकरण मानक भी है।

(2) राज्य बोर्ड या समिति, यथास्थिति, अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा जिसके अन्तर्गत भूमिभरण भी है, स्थापित करने हेतु प्राधिकार देने के लिए नगरपालिका प्राधिकारी या सुविधा के प्रचालक से प्ररूप में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव की जांच करेगा तथा ऐसा प्राधिकार जारी करने से पूर्व अन्य एजेंसियों जैसे राज्य शहरी विकास विभाग, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, एयर पोर्ट या बेरा प्राधिकरण, भू जल बोर्ड या अन्य किसी एजेंसी के दृष्टिकोण पर भी विचार करेगा।

(3) राज्य बोर्ड या समिति, अनुसूची 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट अनुपालना मानदंड और मानक, जिसके अंतर्गत ऐसी अन्य शर्तें भी हैं, जो आवश्यक हो, का अनुबद्ध करते हुए पैतालीस दिवस के भीतर नगरपालिका प्राधिकारी या सुविधा के किसी प्रचालक को प्ररूप–3 में प्राधिकार जारी करेगा।

(4) प्राधिकार दी गई अवधि के लिए विधिमान्य होगा और विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात् नया प्राधिकार अपेक्षित होगा।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन और पुनर्विलोकन तथा मानीटरन डाटा के संकलन के विशिष्ट निर्देश के साथ राज्य बोर्डो और समितियों से समन्वय करेगा।

7. **नगरीय ठोस अपशिष्टों को प्रबंधन :–**

(1) किसी शहर या नगर में उत्पन्न किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन तथा हथालन अनुसूचि–2 में अधिकथित मापदण्डों और प्रक्रियोओं के अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

(2) नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा या सुविधा के प्रचालक द्वारा स्थापित अपशिष्ट प्रंसस्करण या निपटान सुविधाएं, अनुसूचि iii और iv में दिए गए विनिर्देशों तथा मानकों को पूरा करेगी।

8. **वार्षिक रिपोर्ट :–**

(1) राज्य बोर्ड और समिति प्ररूप iv में प्रतिवर्ष 15 सितम्बर को या उससे पहले इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिर्पोट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर समेकित वार्षिक पुनरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अपनी सिफारिशों साहित प्रति वर्ष 15 दिसम्बर से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

9. **दुर्घटना की सूचना देना :–**

किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, प्रसंस्करण उपचार शोधन तथा व्ययन, सुविधा या भूमिभरण स्थल अथवा ऐसे अपशिष्टों के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होने पर नगरपालिका प्राधिकारी, प्ररूप 5 में दुर्घटना की सूचना महानगर की दशा में सचिव प्रभारी, शहरी विकास विभाग और अन्य सभी मामलों में जिला कलेक्टर या उपायुक्त का भेजेगा।

अनुसूची – 1
(नियम 4 (2) और 4 (3) देखिए)
कार्यान्वयन सूची

क्रमांक	अनुपालन के मानदण्ड	अनुसूची
1.	अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाएं स्थापित करना	31.12.2003 तक अथवा उससे पूर्व
2.	अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निपटान सुविधाओं के निष्पादन की निगरानी करना	6 माह में एक बार
3.	इन नियमों के उपबंधों क अनुसार मौजूदा भूमि भरण स्थलों का सुधार किया जाना	31.12.2001 तक अथवा उससे पूर्व
4.	भावी प्रयोग के लिए भूमि भरण स्थलों की पहचान करना तथा प्रचालन के लिए स्थल (स्थलों) को तैयार करना।	31.12.2002 तक अथवा उससे पूर्व

अनुसूची – 2

(नियम 6 (1) और (3), 7 (1) देखिए)

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

क्रम	पैरोमीटर	अनुपालनीय मानदण्ड
1.	नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	1. शहरों और नगरो तथा सरकार द्वारा अधिसूचित शहरो क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों का कूड़ा–करकट फैलाना प्रतिबिद्ध होगा। कूड़ा–करकट फैलाने को प्रतिबिद्ध करने और अनुपालन को सुकर करने के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपाय किएं जाएंगे, अर्थात :– (i) सामुदायिक कूड़ेदान द्वारा संग्रहण, (मध्यस्थित कूड़ादान) घर–घर जाकर संग्रहण, ध्यानी युक्त वाहनों की घंटी बजाकर (अनुझेय ध्वनि स्तरों से अधिक ध्वनि किए बिना) पूर्व सूचित नियमित समयों और समय सारणी के अनुसार जैसे किन्ही ढंगों मं से किसी को अपनाकर घर–घर जाकर कूड़ा–कचरा संग्रहण करना। (ii) होटलों/रेस्ताराओं कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यक क्षेत्रों समेत झुग्गी–झोपड़ी तथा इधर–उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करना। (iii) बूचडखानों, मांस और मछली बाजारों, फल एंव सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का, जो जैव निम्नकरणीय प्रकृति का होता है, प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सके, (iv) जैव–चिकित्सीय अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जाएगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जाएगा। (v) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहीत अपशिष्ट को हाथ से खींची जाने वाली ठेला गाड़ियों द्वारा सामुदायिक कूड़ाघरों में डाला जायेगा। (vi) बागवानी और निर्माण/ढहाए गए कार्यों से उद्भूत अपशिष्टों/मलवे को अलग–अलग संगृहीत किया जायेगा और समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा इसी प्रकार, दुग्ध डेरियों से उत्पन्न अपशिष्ट को राज्य विधियों के अनुसार विधिसमित किया जायेगा। (vii) अपशिष्ट (कूड़ा–करकट, सूखी पत्तियाँ) को जलाया नहीं जायेगा। (viii) आवास पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर/नगर में किसी अन्य स्थान के आस–पास नहीं घूनमे दिया जायेगा तथा राज्य विधियों के अनुसार उनका प्रबंध किया जायेगा। 2. नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्ट संग्रहण अनुसूची को और शहर/नगर, जनहित के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति को अधिसूचित करेगा। 3. अपशिष्ट उत्पादकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कूड़ा–करकट न फैलाएं और इस अनुसूची के पैरा 1 (2) के अनुसार नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए जाने वाली संग्रहण और पृथक्करण प्रणाली के अनुसार अपशिष्ट के परिदान को सुनिश्चित करें।

2.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण	नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, नगरपालिकों प्राधिकारी अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा ऐसी पृथक की गई सामग्रियों के पुनर्चक्रण/पुनः प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा। नगरपालिका प्राधिकारीय एक चरणबद्ध कार्यक्रम चलायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समुदाय को अपशिष्ट पृथक्करण में शामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और गैर–सरकारी संगठनो के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही नियमित बैठकें आयोजित की जाएगी।
3.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का भंडारण	नगरपालिका प्राधिकारी भंडारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे कि इसके आस–पास आस्वास्थयकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हों। भंडारण सुविधाओं की स्थापना की जायेगी। भण्डारण सुविधा ऐसे स्थान पर रखी जायेगी जहां प्रयोजन पहुंच सके। (i) निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व का ध्यान में रखते हुए भंडारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी। भण्डारण सुविधा ऐसे स्थान पर रखी जायेगी जहां प्रयोक्ता पहुंच सके। (ii) नगरपालिका प्राधिकारियों अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा–उपलब्ध कराई जाने वाली भंडारण सुविधा का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि इक्कठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो और जो सौंदर्यपरक रूप से प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो तथा उसे अपना सा लगे। (iii) भंडारण सुविधा अथवा कुड़ेदान अपशिष्टों के हथालन, निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाइन का होगा। जैव–निम्नीकरण अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदान हरे, पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्टों के कुड़ेदान सफेद और अन्य अपशिष्टों के भंडारण के लिए कूड़ेदान काले पेंट किए जाएंगे। (iv) अपशिष्टों का मानव द्वारा उठाई धराई किया जाना प्रतिबिद्ध होगा यदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए समुचित पूर्वासधानियों के अधीन मानव द्वारा उठाई धराई की जाएगी।
4.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन	अपशिष्टों का परिवहन करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन ऊपर से ढके होंगे। अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई और न ही उसे खुले रूप से इधर–उधर बिखरने दिया जाएगा तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदंडो को अपनाया जाएगाः–

अनुसूची – 3

[नियम 6 (1) और (3), 7 (2) देखिए]

भूमि–भरण स्थलों के लिए विनिर्देश

स्थल चयन

1. विकास प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में भूमि भरण स्थलों का अभिनिर्धारण करना और इन स्थलों के विकास, प्रचालन एवं रख–रखाव के लिए इन्हें संबंधित नगरपालिका प्रधिकारियों को सौपने का दायित्व विकास प्राधिकारणों का है। अन्य यह दायित्व संबंधित नगरपालिका प्राधिकारियों का है।
2. भूमिभरण स्थलों का चुनाव पर्यावरणीय मामलों की जांच पर आधारित होगा। राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों के शहरी विकास विभाग जरूरी अनुमोदन/मंजूरियां प्राप्त करने के लिए संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करेगा।
3. भूमि भरण स्थल की योजना और डिजाइन चरणबद्ध निर्माण योजना तथा बंद करने की योजना के उपयुक्त प्रलेखन के साथ बनाई जायेगी।
4. भूमि भरण स्थलों का चयन नजदीकी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा (बेस्ट्स प्रोसैसिंग फैसिलिटी) का उपयोग करने के लिए किया जाएगा। अन्यथा, अपशिष्ट प्रसंरकरण सुविधा योजना भूमि भरण स्थल के अभिन्न भाग के रूप में होगी।
5. वर्तमान भूमि भरण स्थलों में का जो पांच वर्षो से अधिक समय में भरे जाने है इस अनुसूची के लिए गए इन विनिर्देशों के अनुसार सुधार किया जएगा।
6. जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का व्ययन जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के अनुसार किया जाएगा। परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन समय–समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के अनुसार किया जाएगा।
7. भूमि भरण स्थल का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका 20–25 वर्षो तक प्रयोग किया जा सके।
8. भूमि भरण स्थल आवासीय बस्ती, वन क्षेत्रों, जलाशयों, स्मारकों, राष्ट्रीय पार्कों, नम भूमि तथा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर स्थित होगा।
9. भूमि भरण स्थल के चारों तरफ एक वफर जोन बनाये रखा जाएगा जिसे और विकसित नहीं किया जाएगा और इसे नगर आयोजना विभाग की भूमि उपयोग योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
10. भूमि भरण विमानपतन से जिसमें हवाई अड्डा भी सम्मिलित है, दूर होंगे। भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व नगरपालिका प्राधिकारी, विमानपतन या हवाई अड्डा प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

स्थल पर सुविधाएं

11. भूमिभरण स्थल के चारों और कांटेदार तार की बाड/झाड़ियां लगाई जाएंगी और एक समुचित द्वार का प्रबंध किया जाएगा ताकि वहां आने वाहनों अथवा अन्य परिवहन साधनों को मानीटर किया जा सके।

(vii) प्रसंस्कृत अपशिष्टों के लिए उपयोगिता कार्यक्रम (उत्पाद उपयोगिता)

(viii) अपशिष्ट प्रसंस्करण छीजन के निपटान की पद्धति (मात्रा और किस्म)

(ix) पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय

(x) परियोजना निवेश और प्रत्याशित आय

(xi) संयंत्र में कार्यरत कर्मकारों के बचाव के लिए किए गए उपाय।

5.2 अपशिष्ट का निपटान

(i) अभिनिर्धारित स्थल का नं.

(ii) स्थल का नक्शा

(iii) प्रतिदिन निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा

(iv) अपशिष्ट की प्रकृति और संगठन

(v) पद्धति/स्थल चयन के लिए अपनाए गए मानदंडो का विवरण।

(vi) प्रचालन के अंतर्गत वर्तमान स्थल का विवरण

(vii) भूमिभरण की पद्धति और प्रचालन का विवरण

(viii) पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए किए गए उपाय

तारीखः

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप II

(नियम 4 (4) देखिए)

नगरपालिका प्रधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

(i) शहर/नगर का नामः .... (ii) जनसंख्या ....

(iii) नगरपालिका निकाय का नाम और पताः ....

....

टेलीफो सं. ....

फैक्स ....

(iv) नगरीय ठोस अपशिष्ट का व्ययन ....

करने वाले प्रभारी का नाम और पदनाम ....

1. ठोस अपशिष्ट की मात्रा संघठन

(i) प्रतिदिन उद्भूत होने वालेः ....
अपशिष्ट की कुल मात्रा ....

(ii) प्रतिदिन संग्रहीत अपशिष्ट की कुल मात्रा ....

(iii) निम्नलिखित संसाधनों के लिए मात्रा ....

(क) कचरा खाद बनाना : ....

(ख) कृमि संवर्धन : ....

(ग) गुट्काकरण : ....

(घ) अन्य,
यदि कोई हो, : ....

(iv) भूमिभरण द्वारा व्ययनित
किए गए अपशिष्ट की
कुल मात्रा ....

(क) भरण के लिए
प्रयोग किए गए
स्थलों की संख्या : ....

(ख) प्रयुक्त क्षेत्र

(ग) क्या भार तुला
सुविधा उपलब्ध है : हां नहीं

(घ) क्या क्षेत्र में बाड़
लगी हुई है : हां नहीं

(ङ) स्थल पर प्रकाश
सुविधा है : हां नहीं

(ब) क्या उपरकर सुविधाएं
बुल्डोजर, कम्पेक्टर
आदि कृपया विनिर्दिष्ट करें : ....

(छ) स्थल पर उपलब्ध कुल श्रमिक ....

(ज) क्या आच्छादन दैनिक आधार
पर किया जाता है हां नहीं

(झ) क्या आच्छादन सामग्री का
प्रयोग किया जाता है और
क्या यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ....

(ञ) गैस निकास के प्रावधान उपलब्ध उपलब्ध नहीं

(हां / नही)

(ट) निक्षालन के संग्रहण के लिए

प्रावधान ....

2. भण्डारण सुविधाएं

(i) अपशिष्ट संग्रहण के लिए

सम्मिलित क्षेत्र ....

(ii) सम्मिलित घरों की संख्या ....

(iii) क्या घर–घर से सग्रहण किया

जाता है (यदि हां, तो क्या नगर

पालिका द्वारा अथवा निजी अभिकरण

अथवा गैर सरकारी संगठन द्वारा

किया जाता है।) ....

(iv) कूड़ेदान

विनिर्देश (आकृति और आकार)	वर्तमान संख्या	भविष्या के लिए प्रस्तावित
(क) कंक्रीट से बना कुड़ेदान (क्षमता) :		
(ख) ट्रालियां (क्षमता) :		
(ग) डिब्बे पेलसर :		
(घ) डम्पर पेलसर :		
(ड) अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें। :		

(v) क्या सभी कूड़ेदानों/संग्रहण स्थलों

से प्रतिदिन कूड़ा उठाया जाता है। :

(vi) क्या कूड़ेदानो इत्यादि से कूड़ा श्रमिकों

द्वारा अथवा मशीन द्वारा उठाया जाता है

अर्थात् उदाहरण के लिए फ्रंट एण्ड लोडर्स

के प्रयोग द्वारा (कृपया सही का निशान लगाएं) : श्रमिकों द्वारा लीडर अन्य, कपया विनिर्दिष्ट करें,

3. परिवहन

		:	वर्तमान संख्या	वास्तविक आवश्यकता/प्रस्तावित
(i)	ट्रक	:		
(ii)	ट्रक–टिपर	:		
(iii)	ट्रैक्टर–ट्रेलर	:		
(iv)	रिफ्यूज–कलेक्टर	:		
(v)	डम्पर–प्लेसर	:		
(vi)	पशु–ठेला	:		
(vii)	तिपहिया साइकिल	:		
(viii)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	:		

4. क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव दिया गया है

....

....

....

5. क्या प्राइवेट फर्मो इत्यादि को नीचे दी गई जैसी अपशिष्ट को संसाधन द्वारा उपयोगी बनाने की तकनीक को अजमाने के लिए आमंत्रिता करने के कोई प्रयास किए गए हैं :

	अपशिष्ट को उपयोग बनाने की तकनीक	प्रस्ताव	किए गए उपाय (वह मात्रा जिसका किया जाता है)
(i)	कचरा खाद बनाना :		
(ii)	कृमि समूह संवर्धन :		
(iii)	गटिकाकरण :		
(iv)	अन्य, यदि कोई हो, कृपया विनिर्दिष्ट करें। :		

6. निम्नलिखित अस्वास्थ्यकर संक्रियाओं को रोकने के लिए कौन से प्रावधान उपलब्ध है और इन्हें कैसे लागू किया जाता है :

(i) दुग्धशाला से संबंधित क्रियाकलाप :

(ii) बूचड़खाने और जानवरों का अप्राधिकृत वध :

(iii) मलवा (भवन संबंधी मलवा) उठाना :

(iv) पार्को, फुटपाथ आदि पर अतिक्रमण

7. कितनी मलिम बरितयों की पहचान की

गई है और क्या इनमें स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं

8. क्या दाडिक कार्रवाई के लिए नगरपालिका मजिस्ट्रेड नियुक्त किए गए हैं : हां नही

9. अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन

(i) नियम के नियंत्रधीन कितने अस्पताल/क्लीनिक हैं

(ii) जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट के बायन के लिए कौन सी रीतियां अपनाई जाती हैं ?

(iii) वन्य जैन–चिकित्सीय अपशिष्टों के बायन के लिए सामूहिक शोधन सुविधा स्थापित करने के लिए आपका कोई प्रस्ताव है ?

(iv) शहर/नगर में कितने प्राइवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि चल रहे है और उनके अपशिष्ट के व्ययन पर निगरानी के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

तारीख :

नगर पालिका आयुक्त के हस्ताक्षर

प्ररूप III

(नियम 6 (3) देखें)

प्राधिकार जारी करने का फार्म

सेवा में,

....

....

फाइल सं ....

तारीख ....

संदर्भ : आपका दिनांक .... का आवेदन सं...

महोदय,

.... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रस्ताव की जांच के बाद................ को उनके .... प्रशासनिक कार्यलय को .... में अपशिष्ट प्रक्रिया/अपशिष्ट निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए इस प्राधिकार पत्र के साथ संलग्न शर्तों (अनुपालन के मानकों सहित) पर .... को प्राधिकृत करता है।

(1) यह प्राधिकार .... तक वैद्य रहेगा। वैधता का तारीख समाप्त होने के बाद इसका पुनः नवीकरण प्राप्त करना होगा। (2) .... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, किसी भी समय, कोई शर्त प्रति संहरण करने के लिए लगा सकती है जिसकी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के उपबंधो के उल्लंघन को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (1986 का 26) के दाण्डिक उपबंध लागू होंगे।

तारीख

भवदीय

स्थान

सदस्य सचिव

राज्यप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/

प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्ररूप– IV

(नियम 8 (1) देखिए)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समितियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक पुनर्विलोकन रिपोर्ट का प्रारूप।

सेवा में,

अध्यक्ष,

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण और वन मंत्रालय)

भारत सरकार

'परिवेश भवन' इर्स्ट अर्जुन नगर,

दिल्ली – 1100032

1. राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र का नाम
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम और पता
3. इन नियमों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नगर विशेष अपशिष्टों प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नगरपालिका प्राधिकारियों की संख्या
4. नगरपालिक प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचि । (नियम 4 (3)) के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण — कृपया उपाबद्ध । के रूप में संलग्न करें।
5. नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची ॥ (नियम 6 (1) और (3) नियम (2)) के कार्यन्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण — कृपया उपाबद्ध ॥ के रूप में संलग्न करें।
6. नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचि ||| (नियम 6 (1) और (3) नियम 7 (2)) के कार्यन्वयन के संबंध में की कई प्रगति का संक्षिप्त विवरण — कृपया उपाबद्ध ||| के रूप में संलग्न करें।

7. नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचि IV (नियम 6 (1) और (3) नियम 7 (2)) के कार्यन्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण — कृपया उपाबद्ध IV के रूप में संलग्न करें।

तारीख :

स्थान

अध्यक्ष या सदस्य सचिव
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्ररूप V

(नियम (9) देखिए)

दुर्घटना की सूचना

1. दुर्घटनाओं का तारीख तथा समय
2. उन घटनाओं का क्रम जिनके कारण दुर्घटना हुई
3. किस अपशिष्ट के कारण दुर्घटना हुई
4. मानव स्वास्थय तथा पर्यावरण पर दुर्घटनाओं के प्रभावों का निर्धारण
5. किए गए आपातकालीन उपाय
6. दुर्घटना के प्रभावों का कम करने के लिए उठाए गए कदम
7. इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए के लिए किए गए उपाय

तारीख ....

स्थान ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

(फा. सं. 17–2/95–एब.एस.एम.डी)
वी. राजगोपालन, संयुक्त सचित

संख्या–2726/9–आ–3–2004–96काम्प/2004

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 05 अगस्त 2004

विषय : बहुखण्डीय आवासीय भवनो में सीवर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित न करने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध मे।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय बहुखण्डीय भवनों में सीवर का कनेक्शन सीवर लाइन से न करके सीधे भूमि में "ड्रिलिंग" करके सीवर का निस्तारण किया जा रहा है। यह स्थिति आपत्ति जनक है, जिससे भूजल प्रदूषि एवं संक्रमित होने की पूर्ण सम्भावना है।

नगरो में निर्मित बहुखण्डीय भवनो का मानचित्र क्षेत्र के विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जिसके आधार पर बिल्डर्स द्वारा बहुखण्डीय भवनो का निर्माण किया जाता है। अतः अनुमोदित मानचित्र के प्राविधानों को सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित विकास प्राधिकरण का है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि समस्त बहुखण्डीय भवनों का सर्वेक्षण अनुमोदित भवन मानचित्र से मिलान कराते हुए सुनिश्चित कराने का कष्ट करे। मानचित से मिलान के उपरान्त सीवर निस्तारण की समुचित व्यवस्था न करने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय। ऐसे बहुखण्डीय भवन स्वामियों की सूची जिनके द्वारा स्वीकृत मानचि के प्राविधानों के विपरीत भवन का निर्माण कराते हुए, सीवर निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है, शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाय। यह भी अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बहुखण्डीय भवन मानचित्रों में सीवर निस्तारण की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाय।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या– 1368/सी.आर.ए. (जल भराव)/04, दिनांक 9–7–2004 के क्रम में।
3. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, समस्त स्थानीय निकाय, उ.प्र.

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनु सचिव।

विविध

संख्या – 1818/9–आ–1–04–76डीए/04

प्रेषक

जे.एस.मिश्र

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,

इलाहाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग– 1

लखनऊः दिनांक 28 मई, 2004

विषयः– मो. कैफ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को निःशुल्क आवास प्रदान किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी मो. कैफ द्वारा हाल ही में सम्पन्न भारत एवं पाकिस्तान की एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रंखला के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मो. कैफ, भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य, को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत एक उच्च आय वर्गीय भवन निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस संबंध में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस.मिश्र

सचिव

संख्या 1818 (1)/9–अ–1–04, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल/अध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण।
4. सचिव, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. संयुक्त सचिव, गोपन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मा. मुख्य मंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ), उत्तर प्रदेश शासन।
7. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
8. मो. कैफ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल

भवदीय

जे.एस.मिश्र

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

संख्या–विस–17/9–आ–1–2004–4 समिति/04

लखनऊ : दिनांक : 07 जुलाई, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश १४ वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2002–03) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी सस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या प्राक्कलन समिति, विधान सभा, सचिवालय उ.प्र. को उपलब्ध कराने हेतु श्री शिव जनम चौधरी, अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2. श्री शिवजनम चौधरी का कार्यालय टेलीफोन नं.– 2237162, सी.एच. 4693 तथा आवास टेलीफोन नं. 2389431 है।

भवदीय

जे.एस.मिश्र
सचिव

संख्या–विस–17 (1)/9–आ–1–2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपसचित, समिति (वित्त) अनुभाग–2 विधान सभा सचिवालय, उ.प्र.।
2. श्री शिव जनम चौधरी, अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
3. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी
वशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

संख्या–3697/9–आ–1–04–50 विविध/04

लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को आवंटित "दसवी योजना (2002–2007) का मध्यावधि मूल्यांकन" विषयक अध्ययन हेतु वांछित आंकड़े/सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2– श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यालय का टेलीफोन नम्बर–2237287, सी.एच.4691 तथा निवास का टेलीफोन नम्बर–2237713 है।

जे.एस.मिश्र
सचिव

संख्या 3697(1)/9–आ–1–04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर–ओ, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनुसचिव

ई–मेल/फैक्स

महत्वपूर्ण

संख्या–भा.सं. 128/9–आ–1–04–80 विविध/04

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.आवास आयुक्त,

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,

लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,

विकास, प्राधिकरण लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद, मेरठ

वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली व मुरादाबाद,

उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2004

विषय : **"सिटी इन्जाइज आफ रूरल डेवलपमेंट" विषय पर विश्व पर्यावास दिवस मनाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है, वर्ष 2004 में नैरोबी, केन्या में "सिटी इन्जाइज आफ रूरल डेवलपमेंट" विषय पर दिनांक 04.10.04 को एक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। उक्त विषय का मुख्य उद्देश्य शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पारस्परिक रूप से जोड़ना है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व पर्यावास दिवस–2004 नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिनांक 01.10.04 को मनाया जायेगा।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व पर्यावास दिवस–2004 के उपरोक्त महत्वपूर्ण अवसर पर प्रदेश में भी "सिटी इन्जाइज आफ रूरल डेवलपमेंट" विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, सेमिनार, कार्यशाला आदि आयोजित कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उक्त कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत इत्यादि भी करने का कष्ट करें।

भवदीय

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

संख्या 1732/9 आ–3–04–46 वि./2003

लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

आर्कीटेक्ट एक्ट 1972 की आवश्यकताओं के दृष्गित पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–37–2–250 डी.ए./81 (विकास प्राधिकरण भवन योजना या जल संभरण, जल निकास व सीवर योजना तैयार करने के लिए लाइसेंस देने) उपविधि 1984 में संशोधन करने हेतु शासन द्वारा निम्नवत समिति का गठन किया गया है:–

1–	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2–	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
3–	अनुसचिव (श्री चौधरी) उ.प्र. शासन	सदस्य
4–	अपर आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6–	आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, उ.प्र. द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

उक्त समिति प्रकरण का परीक्षण कर अपनी आख्या दिनांक 30.11.2004 तक शासन को प्रेषित करेगी।

जे.एस. मिश्र
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश
2– सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
3– अनुसचिव (श्री चौधरी) उ.प्र. शासन
4– आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– श्री एन.आर.वर्मा, अपर निदेशक, आवास बन्धु
6– आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, उ.प्र.
7– निजी सचिव, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
एच.एल. गुप्ता
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

संख्या 4179/9 आ–3–04–46 वि./2003

लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

आर्कीटेक्ट एक्ट 1972 की आवश्यकताओं के दृषित पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–37–2–250 डी.ए./81 (विकास प्राधिकरण भवन योजना या जल संभरण, जल निकास व सीवर योजना तैयार करने के लिए लाइसेंस देने) उपविधि 1984 में संधोधन करने हेतु शासन द्वारा गठित समिति में अपर आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के स्थान पर उप आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को सदस्य नामित किया जाता है। इस संबंध में पूर्व में दिनांक 12–10–2004 को निर्गत कार्यालय–ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

2– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

3– सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

4– सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

5– श्री एन.आर.वर्मा, अपर निदेशक, आवास बन्धु

6– उप आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

7– निजी सचिव, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एच.एल.गुप्ता
विशेष सचिव

ई–मेल

संख्या– 5143/आठ–1–04–108 विविध/04

प्रेषक,

हीरा लाल गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास,
लखनऊ।

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्बर, 2004

विषय : **विभागीय निर्णय प्रक्रमों में सांख्यिकीविद की भूमिका के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर 11.73 में यह संस्तुति की गयी है कि "राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष अपने–अपने विभागीय निकायों/कार्य–कलापों विभागीय सांख्यिकीविदों को भी शामिल करने चाहिए तथा सांख्यिकीविद के महत्वपूर्ण सहयोग को देखते हुए विभागीय सांख्यिकीविदों को विभागाध्यक्ष के सीधे सम्पर्क में रखना चाहिए"।

2– कृपया राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

हीरा लाल गुप्ता
विशेष सचिव

संख्या : 5143(1)/आठ–1–04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश, शासन।
2. निदेशक, आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनुसचिव

सुखद पर्यावास

आवास बन्धु (आवास विभाग), उत्तर प्रदेश शासन
प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ – 226001 द्वारा प्रकाशित
दूरभाष : (0522) 2622941, 2627021 फैक्स : (0522) 2612098
ई–मेल : abandhu@sancharnet.in
वेब साईट : awas@up.nic.in
एवं उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० द्वारा मुद्रित

मुद्रण संख्या 2000

मूल्य : 190/- रुपये

जुलाई 2006